खण्ड-328, अंक-4
शनिवार, 16 आश्विन, शक संवत् 1899
(8 अक्टूबर, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 328 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४१५-४१८
कानपुर नगर महापालिका में चुंगी की चोरी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	४१८
कानपुर में जनता पार्टी के जुलूस पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं द्वारा हमला के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	४१९-४२०
करवी गल्ला मन्डी में बया वर्ग के मजदूरों पर सेल्स टैक्स लगाये जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	४२०
डी० सी० एम० ई०, श्री के० डी० सिंह, वर्कशाप पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के प्रतिनिधि मंडल को तिरस्कृत किये जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	४२०-४२१
प्रदेश को अधिग्रहीत चीनी मिलों में मशीनों के पुर्जों के अभाव में मिलें बन्द रहने से गन्ना किसानों एवं मिल मजदूरों के संकट के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	४२१
केन्द्रीय कारागार, आगरा को तोड़कर उसके स्थान पर अस्पताल निर्माण न करके नया कारागार बनाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	४२२
वाराणसी नगर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में गेहूं और चावल के अभाव के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	४२२
ग्राम कन्होली, जिला देवरिया के श्री होरी हरिजन को पीटे जाने से मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	४२३
विद्युत परिषद्, उत्तर प्रदेश तथा अन्य निगमों द्वारा लघु उद्योगों की इकाइयों से माल न खरीदने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	४२३
लखनऊ सहकारी दुग्ध यूनियन लि० द्वारा वितरित दूध में चींटी तथा कीड़े पाये जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	४२४
श्री रामेश्वर नाथ चौबे, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना ..	४२४
विभिन्न समितियों तथा निकायों के निर्वाचन का परिवर्तित कार्य-क्रम ..	४२५
सदन के समय में बिजली चली जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	४२६
श्री हरि केवल प्रसाद द्वारा उनका नाम कार्य सूची में न छपने पर आपत्ति	४२६-४२७
श्री श्यामधर मिश्र द्वारा सदन में 'जनता चोर' शब्दों का प्रयोग किये जाने पर श्री शतरुद्ध प्रकाश द्वारा आपत्ति ..	४२७-४२८
विधान भवन के सामने गिरफ्तार विद्यार्थियों को खाना-पानी न दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत	४२८

विषय	पृष्ठ संख्या
कतिपय विषय	४२९
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, १९७७ (पुरः स्थापित किया गया)	४२९
१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ६०--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या ६१--सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ८४--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८५--बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (जारी) ..	४२९-४९३
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	४९३
श्री गुलाब सेहरा, डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल, श्री चन्द्र सेन सिंह तथा श्री मोहन सिंह की गिरफ्तारी की सूचना ..	४९३-४९४
युवक कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं द्वारा आकाशवाणी, लखनऊ के प्रसारण के विरुद्ध प्रदर्शन करने पर उनकी गिरफ्तारी तथा लखनऊ जेल में उन्हें उच्च श्रेणी न दिए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	४९४-४९६
ग्राम खोपा, थाना राजापुर, जिला बांदा के तीन हरिजनों को गोली मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन	४९६
लखनऊ नगर में दिनांक २६ सितम्बर, १९७७ को दिन में जगदीश चन्द्र बोस चौराहे पर अवध सहकारी बैंक के खजान्ची श्री अविनाश कुमार से डकैतों द्वारा रुपये छीने जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	४९६
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उप कुलपति के निवास पर घेराव तथा आमरण अनशन पर नियम ५१ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य पर अग्रेत्तर स्पष्टीकरण	४९६-५०२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, ८ अक्तूबर, १९७७

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–३३१

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नारायण, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशरफी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कलानाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मौहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री

गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर, भैय्या, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद,श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जगेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री

धरम राम, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीर कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुल बारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवाठ 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशन दयाल, श्री

बिहारी लाल हंस, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मकबूल हुसेन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल 'देहलवी', श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उस्मान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुधर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र. श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रविन्दर सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री

राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश श्रीमती, श्री
विश्वनाथ पान्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ, चौधरी
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव राज सिंह श्री, निर्भय
शिव लाल बित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सलाबत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरबीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी कृष्ण अवस्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हकिम लाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट :- इसके अलावा, श्री राम नरेश यादव भी सदन में उपस्थित थे।

कानपुर नगर महापालिका में चुंगी की चोरी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, कानपुर नगर महापालिका में लगातार चुंगी की चोरी जारी है, जबकि चुंगी ही महापालिका की आय का एक मुख्य स्रोत है। अप्रैल, १९७६ से लगातार इस सम्बन्ध में प्रशासक नगर महापालिका, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग एवं मुख्य लेखा परीक्षक नगरमहापालिका, कानपुर को भूतपूर्व सभासद श्री हंस देव सिंह गौतम द्वारा लिखा जा रहा है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। आज भी रेलवे से आयेहुये माल की चुंगी की चोरी बराबर जारी है। लगभग केवल डेढ़ साल में इस चोरी से एक करोड़ रुपये से ऊपर का महापालिका को नुकसान हो चुका है। तमाम प्रमाण हैं कि रेलवे के आर० आर० पर चुंगी वसूल नहीं की गई है या शेड्यूल रेट से कम वसूली की गई है या और या जाली रसीदों का प्रयोग किया गया है।

महापालिका के चेकिंग क्लर्क, श्री बाबू लाल राठौर तथा महेन्द्र सिंह ने इन चोरियों की शिकायत की, जिनकी फोटो कापी इसके साथ संलग्न* है उससे पूर्णतया चोरी का मामला स्पष्ट हो जाता है।

अविलम्ब इसकी जांच कराई जानी चाहिए, जिससे चुंगी की चोरी रोकी जा सके और दोषी अधिकारियों को कठोर दण्ड दिया जा सके। इसीलिये मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी को फोटो कापी सहित श्री हंस देव सिंह गौतम का प्रतिवेदन दे रहा हूं।

कानपुर में जनता पार्टी के जुलूस पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम के शून्य प्रहर में शासन का ध्यान कानपुर में घटी निम्नलिखित अप्रिय घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं :—

दिनांक ६ अक्तूबर, १९७७ को अपराह्न कानपुर में जनता पार्टी के एक शान्तिपूर्ण जुलूस पर कांग्रेसियों तथा युवक कांग्रेस के लोगों द्वारा किए गए पथराव से एक गर्ल्स इन्टर कालेज की प्राचार्या, श्रीमती माधवी लता शुक्ल, युवा जनता के नेता सर्वश्री लक्ष्मी शंकर गुप्त, अरविन्द बाजपेई तथा मोहन लाल गुप्त सहित अनेक कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पथराव में घायल लोगों के साथ ही छूरेबाजी से जनता पार्टी के दो कार्यकर्ता सर्वश्री प्रदीप कुमार तथा कन्हैया गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य शासन के विचारार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं :—

१—जुलूस पर किया गया पथराव सुनियोजित था तथा इसके लिए शहर कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय तिलक हाल में एवं मेस्टन रोड पर कांग्रेसी दुकानदारों के यहां पहले से ही भारी मात्रा में पत्थर एकत्रित कर लिये गये थे।

२—पथराव करने वालों में शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी तथा शहर एवं जिले के कुछ पूर्व कांग्रेसी विधायक भी शामिल थे।

३—यदि पुलिस सावधानी से काम लेती तो पथराव की अप्रिय घटना न घटती।

*छापी नहीं गयी।

[श्री बाबू राम शुक्ल--]

४--जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता अभी तक कोतवाली के समक्ष धरना दिये हुए हैं ।

५--पथराव करने वाली पार्टी का नेतृत्व करने वाले कांग्रेसी नेताओं को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया ।

६--स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है ।

अतः मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वह स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए जुलूस पर पथराव एवं छूरेबाजी करने वालों को तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश दें तथा दोषी पुलिस कर्मचारियों को दंडित करें ।

करवी गल्ला मंडी में बया वर्ग के मजदूरों पर सेल्स टैक्स लगाये जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

अध्यक्ष महोदय, बांदा जिले में करवी गल्ला मंडी के बया वर्ग अर्थात् जो केवल तौलने की मजदूरी का काम करते हैं, उनके ऊपर सेल्स टैक्स (बिक्री-कर) लगाने की नयी व्यवस्था के विरोध में बया वर्ग ने विगत २६ सितम्बर, १९७७ से हड़ताल कर दी है । इससे उपभोक्ताओं और किसानों को भारी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है ।

हड़ताल करने से पूर्व करवी के बया वर्ग ने मुख्य मंत्री जी, संस्थागत वित्त मंत्री जी और बिक्री-कर आयुक्त, लखनऊ को पत्र भेजकर निवेदन किया था कि बिक्री-कर अधिकारी, करवी उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनसे बिक्री-कर वसूल करने की कार्यवाही कर रहे हैं । उनका कहना है कि वे न तो खरीदार हैं और न बेचने वाले । खरीदार गल्ला आढ़तिया होता है और बेचने वाला किसान होता है । वह तो केवल तौलने का काम करते हैं, इसलिए उनके ऊपर बिक्री-कर या खरीद कर लगाने का कोई औचित्य अथवा नियम नहीं है । उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि यदि २५ सितम्बर तक उनको राहत न दी गयी तो वे २६ सितम्बर, १९७७ से हड़ताल कर देंगे । उनकी इस सूचना के बावजूद शासन की ओर से कोई प्रभावी एवं ठोस कदम नहीं उठाया गया और अन्ततः हड़ताल हो गई । उनकी हड़ताल से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और चीजों के दाम एकायक बढ़ गये हैं । इससे जनता को भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन और शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

डी० सी० एम० ई०, श्री के० डी० सिंह, वर्कशाप पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्रतिनिधि मंडल को तिरस्कृत किए जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री बाबू लाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी सरकारी कार्यालयों में छुआछूत, घृणा और द्वेष की भावना हरिजनों के प्रति अधिकारियों में व्यापक रूप से प्रचलित है ।

डी० सी० एम० इ०, श्री के० डी० सिंह, बर्कशाप पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्रतिनिधि मंडल को तिरष्कृत कि यंजाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

दिनांक १५ सितम्बर, १९७७ को जब गोरखपुर के अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में डी०सी० एम० ई०, श्री के० डी० सिंह, शाप पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यालय में गये तो उन्होंने कहा कि मैं चमार, धोबी, पासी के हाथ से पत्रक नहीं लेता, टेबिल पर रख दो जिससे अनुसूचित तथा जनजाति के कर्मचारियों को अत्यन्त ठेस लगी और इस घटना की सूचना गोरखपुर नगर के थाना कैन्ट में मुकदमा नं० १२०१ धारा ७ नागरिक सुरक्षा अधिकार नियम के अन्तर्गत श्री संतलाल राम, मंत्री, कारखाना शाखा द्वारा १९-४५ बजे चिकि संख्या नं० १२३३ के अन्तर्गत मुकदमा लिखाया गया । इस मामले में यह अधिकारी एवं ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ने अभियुक्त श्री के० डी० सिंह की गिरफ्तारी का आदेश दिया किन्तु डी० आई० जी०, गोरखपुर के मौखिक हस्तक्षेप से अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप गोरखपुर नगर व जनपद के हरिजनों में इस घटना से अत्यन्त क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है और यदि अविलम्ब श्री के० डी० सिंह की गिरफ्तारी न की गई तो कोई भी अप्रिय घटना किसी भी समय गोरखपुर में घट सकती है ।

अतः आपके माध्यम से हम लोगों की मांग है कि डी० आई० जी०, गोरख-पुर को अविलम्ब निलम्बित किया जाय और इस घटना से उत्पन्न समस्या पर माननीय मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य प्रसारित करें ।

प्रदेश की अधिगृहीत चीनी मिलों में मशीनों के पुर्जों के अभाव में मिलें बन्द रहने से गन्ना किसानों एवं मिल मजदूरों के संकट के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के उन चीनी मिलों के सम्बन्ध में जो सरकार अपने अधिकार में ले लिया है । अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उन मिलों को अगर समय से पहले कभी सामानों की पूर्ति की व्यवस्था नहीं की गयी तो समय से मिलों के चलने का आसार नहीं दिखाई देता है । जिससे २० हजार गन्ना किसानों का जो सूखे से भी पीड़ित हैं, उनका गन्ना समय से मिल में न लिए जाने से जनता में भारी असंतोष एवं भुखमरी आने की संभावना है । मिल न चलने का मुख्य कारण यह है कि शासन द्वारा केमिकल, गनी बैग्स, फायरउड, सल्फर, स्टोर सम्बन्धी मशीनरी पार्ट, पैसे के अभाव में समय से नहीं खरीदा जा रहा है ।

उक्त सामानों एवं गन्ने की शेष बकाये की धनराशि के भुगतान के लिए तत्काल २० लाख रुपये की आवश्यकता सिसवा चीनी मिल के लिए है जिसमें दस लाख सामानों के खरीद एवं दस लाख शेष धनराशि के भुगतान की है । इसी प्रकार से और मिलों के लिए धनराशि की आवश्यकता है ।

अतएव सरकार सुचारु रूप से मिलों को चलाने के लिए समय से पूर्व धन की व्यवस्था सिसवा, घुघली, छितौनी, खड्डा आदि के लिए करें और सूखा से व्याप्त असंतोष तथा भुखमरी से बीस हजार किसानों की रक्षा करें । उक्त व्यवस्था जल्द से जल्द होना आवश्यक है क्योंकि अब समय बहुत ही कम है ।

केन्द्रीय कारागार, आगरा को तोड़कर उसके स्थान पर अस्पताल निर्माण न करके नया कारागार बनाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान लाहौर से लाये जाने के पश्चात् श्री जय प्रकाश नारायण एवं डा० राम मनोहर लोहिया केन्द्रीय कारागार, आगरा में काफी समय तक बन्दी रखे गये थे और वहीं से १९४६ में छोड़े गये थे। सम्प्रति यह केन्द्रीय कारागार तोड़ा जा रहा है। जनता की इच्छा है कि उस बैरक को जहां वे बन्दी रहे थे स्वतंत्रता आन्दोलन में उनके बन्दी जीवन की यादगार के रूप में सुरक्षित रखा जाय।

केन्द्रीय कारागार के नये भवन का निर्माण उस स्थान पर किया जा रहा है जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल निर्माण के लिए अधिगृहीत किया गया था। कारागार के लिए नये भवन का शिलान्यास श्री संजय गांधी ने किया था। जनता इस स्थान पर कारागार निर्माण से बहुत क्षुब्ध है, क्योंकि इस स्थान पर अस्पताल बनना था। आगरा मंडल ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ जिलों की सेवा करने वाले सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज अस्पताल में स्थान बहुत कम है, मंडल को अस्पताल की आवश्यकता अधिक तथा कारागार की आवश्यकता कम है।

यदि केन्द्रीय कारागार अति आवश्यक है तो नगर से ५-६ किलो मीटर दूर वन विभाग की सैकड़ों एकड़ भूमि है, वहां कारागार बनाया जा सकता है।

वाराणसी नगर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में गेहूं और चावल के अभाव के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, वाराणसी नगर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में गेहूं और चावल नहीं मिल रहा है जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है और अजीब स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में वाराणसी के विभिन्न सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में अनाज अधिकतर सरकार के द्वारा नहीं पहुंचाया गया है जबकि प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह घोषित किया था कि महीने की पहली तारीख को विभिन्न सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में अनाज पहुंचा दिया जायगा, किन्तु अनाज न पहुंचने के कारण उपभोक्ताओं को भीषण महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और बाजार में खुले रूप में एक रुपया ६० पैसा प्रति किलो गेहूं और दो रुपया प्रति किलो चावल साधारण किस्म का बिक रहा है। शहर का गरीब आदमी इतने ज्यादा दामों पर अनाज खरीदने में असमर्थ हो रहा है और कई घरों में तो एक वक्त चूल्हा जल रहा है। पूरे बनारस शहर में हाहाकार मचा हुआ है। ६-७ तारीख के वाराणसी के स्थानीय समाचार-पत्रों में भी इस सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित किये गये। आज वाराणसी के संसद सदस्य, श्री चन्द्रशेखर सिंह जी ने प्रातःकाल मुझे वाराणसी से आकर यह बताया कि बनारस में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में अभी तक गेहूं, चावल व दाल न पहुंच पाने की वजह से जनता में व्यापक असंतोष उत्पन्न हो रहा है। इसी के साथ-साथ सरकार द्वारा यह घोषित किये जाने पर कि तेल १० रु० किलो से ज्यादा नहीं बिकेगा बाजार में १६ रुपया किलो बिक रहा है।

अतः मान्यवर, इस महत्वपूर्ण सूचना के द्वारा आपकी अनुज्ञा से वाराणसी की इस गंभीर स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित करना चाहता हूं।

ग्राम कन्होली, जिला देवरिया के श्री होरी हरिजन के पीटे जाने से मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री बुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आज माननीय सदन को एक लोक महत्व के प्रश्न की सूचना देना चाहता हूं। आज ही यह सूचना मिली है कि देवरिया जिले के रुद्रपुर थाने में स्थित कन्होली गांव के बीस वर्षीय होरी नाम का हरिजन (धोबी) को ऊंची जाति के एक व्यक्ति ने इसलिये मारा कि उसने बेगार करने से इन्कार कर दिया। श्री होरी को इतना मारा गया कि वह खून से लतपथ हो कर बेहोश हो गया। घर वाले उसे देवरिया सदर अस्पताल में ले गये जहां उसके दूसरे दिन मृत्यु हो गई।

मान्यवर, देवरिया जिले की यह पहली घटना नहीं है। इस प्रकार की घटना आये दिन तथा पहले इस जिले के खुखून्द थाने में हो चुकी है। पूरे जिले में निर्बल वर्ग के लोगों में भय और आतंक व्याप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि तुरन्त आवश्यक कार्यवाही के लिये शासन को निर्देश दें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन, इसकी जांच करवा लें। मारने वाला कांग्रेसी है वहां का।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या कारण है कांग्रेसी लोग धोबियों को ही मारते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी जांच कीजियेगा ? (हंसी)

विद्युत् परिषद् उत्तर प्रदेश तथा अन्य निगमों द्वारा लघु उद्योगों की इकाइयों से माल न खरीदने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विद्युत् परिषद् तथा अन्य निगमों द्वारा अधिकतर सामानों की खरीद उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों की इकाइयों द्वारा न कर दूसरे प्रदेशों के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा होती रही है। आज भी जनता पार्टी के इस शासन में भी बड़े पैमाने पर निगमों द्वारा सामानों की खरीदारी का आदेश प्रदेश के बाहर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दिये जाने का निर्णय लिया जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयों के बन्द हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे। यही नहीं, दूसरे प्रदेशों में खरीदारी से अरबों रुपयों का सेल्स टैक्स व एक्साइज ड्यूटी जो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिलती वह दूसरे प्रदेश की सरकारों को मिलेगी। जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है कि प्रदेश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायगा, लेकिन इसके विपरीत विद्युत् परिषद् तथा अन्य निगमों द्वारा करोड़ों रुपये का माल दूसरे प्रान्तों के बड़े औद्योगिक इकाइयों से खरीदना प्रदेश के हित में नहीं है।

अतः आपके माध्यम से चाहूंगा कि उद्योग मंत्री इस पर अपनी नीति स्पष्ट करें।

लखनऊ सहकारी दुग्ध यूनियन लि० द्वारा वितरित दूध में चींटी तथा कीड़े पाये जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हू ।

यह कि इसके पहले भी मैं लखनऊ सहकारी दुग्ध यूनियन लि० द्वारा वितरित खराबी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं । सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है । आज मैं पुनः लखनऊ के दूध पीने वाले नागरिकों की ओर से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दिनांक १ अक्तूबर, १९७७ को राजेन्द्रनगर स्थित वितरण केन्द्र पर दूध की बोतलों में कीड़े और चींटियां पाये जाने के समाचार प्राप्त हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा तो नहीं है कि इसमें ज्यादा विटामिन हों । (हंसी)

श्री गनेशी लाल चौधरी—

इस बात की जब शिकायत उस केन्द्र के विक्रेता से की गयी तो उसने कहा कि आजकल बरसात है और कीड़े बहुत हैं । इसलिये दूध में कीड़े मर जाना स्वाभाविक है । सहकारी दुग्ध यूनियन लिमिटेड, लखनऊ की यह अकर्मण्यता है जिसके कारण नगर निवासियों को कीड़ों से भरा हुआ दूध पीने को मिलता है । सरकार तुरन्त इस अविलम्बनीय लोक महत्व के ऊपर ध्यान दे, जिससे नगर निवासियों को शुद्ध दुग्ध पान करने का अवसर मिले ।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा. . . .

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं ।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

एक व्यवस्था आपकी चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

अभी व्यवस्था नहीं । जब अवसर आयेगा तब । पहले आइटम समाप्त होने दीजिये ।

श्री रामेश्वर नाथ चौबे, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

जिला मजिस्ट्रेट, बरेली के पत्र दिनांक ५ अक्तूबर, १९७७ तथा अधीक्षक, जिला कारागार, बरेली के वायरलेस मेसेज दिनांक ६ अक्तूबर, १९७७, जो इस सचिवालय में दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुए, के अनुसार श्री रामेश्वर नाथ चौबे, सदस्य, विधान सभा (बरेली) को ५ अक्तूबर, १९७७ को अपराह्न २-३० बजे भारतीय दण्ड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन किला में दर्ज किये गये मुकदमें के सम्बन्ध में जिला कारागार, बरेली में दाखिल किया गया ।

विभिन्न समितियों तथा निकायों के निर्वाचन का परिवर्तित कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष--

विभिन्न समितियों तथा निकायों के निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक ८ अक्तूबर, १९७७, नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा १० अक्तूबर, १९७७, नामों की वापसी की अन्तिम तिथि १४ अक्तूबर, १९७७ तथा मतदान यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक १७ व १८ अक्तूबर, १९७७ को किये जाने की सूचना सदन में दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ को एवं माननीय सदस्यों को पत्र द्वारा ३० सितम्बर, १९७७ को दी गयी थी ।

अब शासक एवं विपक्ष दल के अनुरोध पर विभिन्न समितियों एवं निकायों के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित परिवर्तित कार्य-क्रम निर्धारित किया गया है :--

१--नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय	..दिनांक ११ अक्तूबर, १९७७ को ४ बजे अपराह्न तक ।
२--नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	..दिनांक १२ अक्तूबर, १९७७ को ३ बजे अपराह्न (सचिव, विधान सभा के कक्ष में) ।
३--नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	..दिनांक १४ अक्तूबर, १९७७ को ४ बजे अपराह्न तक ।
४--मतदान यदि आवश्यक हुआ, तो--	
(क) सदन की समितियों एवं विभिन्न निकायों के लिए	..दिनांक १७ अक्तूबर, १९७७ को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न ५ बजे तक (कमरा नं० ४८ में) ।
(ख) २९ स्थायी समितियों के सदस्यों के लिए	..दिनांक १८ अक्तूबर, १९७७ को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न ५ बजे तक (कमरा नं० ४८ में) होगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, ४ बार समितियों का चुनाव स्थगित हुआ, उपाध्यक्ष का चुनाव स्थगित हुआ । शासक पक्ष और विपक्ष दल के लोगों की इसमें क्या राय नहीं मिल रही है ? आखिर इस गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा छपाई आदि में तो व्यय होता ही है और इस पर १५ मिनट का समय तो अवश्य ही व्यर्थ होता है, तो इसको स्थगित ही कर दिया जाय, ताकि इस पैसे और समय का दुरुपयोग तो न हो सके ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन यह सही है, जहां तक कमेटियों के चुनाव की बात है इसमें कुछ कठिनाई होती है, लेकिन जहां तक उपाध्यक्ष का सवाल है, इसका निर्वाचन १८ तारीख से पूर्व ही निश्चित रूप से कर दिया जायगा और इसकी तारीख भी मैं शीघ्र ही निश्चित करके घोषणा कर दूंगा ।

सदन के समय में बिजली चली जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, कल जब सदन चल रहा था बिजली कट गयी थी, दोपहर में भी कट गयी थी, शाम को माननीय मुख्य मंत्री जी जब बोल रहे थे तब भी बिजली कट गयी थी। मान्यवर, यह नहीं कहा गया कि बिजली क्यों कट गयी, जब सदन चलता हो, यह बड़ी गम्भीर बात है। जब माननीय गृह मंत्री जी आये हुए थे और उनका भाषण हो रहा था, उस समय भी बिजली कट गयी थी। मान्यवर, यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है और मैं विशेषाधिकार की सूचना देता हूं, इस पर आप अपना निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष—

यह औचित्य का कोई प्रश्न तो होता नहीं है, बिजली क्यों गयी, इस पर माननीय विद्युत् मंत्री जानकारी करें कि इसका कारण क्या था ?

(श्री हरिकेवल प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, जब इस सदन की बिजलीकाट दी गयी तो किसान तो हमेशा परेशान रहता है।

श्री हरिकेवल प्रसाद द्वारा उनका नाम कार्य सूची में न छपने पर आपत्ति

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आज के एजेंडे में १२ नम्बर देखें, उसमें केवल श्री गनेशी लाल चौधरी का ही नाम है····

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। मैं समझता था कि आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, इसकी अनुमति नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, इसकी अनुमति नहीं है।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था के विरोध में, आपके दफ्तर ने जो काम किया है उसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूं। यह जो आज का बारहवां आइटम है। इसलिए कह रहा था कि वक्तव्य के लिए आपने स्वीकार किया था, श्री गनेशी लाल चौधरी का और मेरा। मैंने भी इस सम्बन्ध में दिया था और आपने सदन में घोषणा की थी कि यह जो महत्व का प्रश्न है इस पर नियम ५१ में वक्तव्य, मैं स्वीकार करता हूं। आपने कहा था कि आपका नाम जोड़ दिया जायगा। तो कार्य सूची १२ को देखें जिसमें केवल श्री गनेशी लाल चौधरी का नाम है, मेरा नाम नहीं जोड़ा गया है। मेरा कहना है कि आपके दफ्तर और आपके द्वारा मेरी उपेक्षा क्यों ? इस पर आप व्यवस्था दें ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरिकेवल जी, कृपया संशोधित एजेंडा देखें। इसमें आपका नाम जोड़ने में भूल से रह गया। इसलिये आज इसमें आपका नाम जोड़ दिया गया है। यह छपने में भूल हुई, इसका खेद है। आपका नाम बढ़ा दिया गया है।

श्री श्याम धर मिश्र द्वारा सदन में 'जनता चोर' शब्दों के प्रयोग किये जाने पर श्री शतरुद्ध प्रकाश द्वारा आपत्ति

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल माननीय सदन में शाम के समय माननीय श्याम धर मिश्र ने कहा था कि सदन के अंदर उधर जनता चोर बैठे हैं। मैंने व्यवस्था का सवाल उठाया था। आपसे निवेदन किया था कि वह इन शब्दों को वापस लें या फिर इनको कार्यवाही से निकाल देना चाहिये। आपने व्यवस्था दी थी कि मैं सदन की कार्यवाही को देखूंगा और यदि किसी भी माननीय सदस्य ने ऐसा किया होगा तो मैं कहूंगा कि वह माफी मांगें। मान्यवर, मैंने कार्यवाही दिखलाई थी उसमें यह शब्द लिखें हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने गैर संसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है वह माफी मांगें।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था भी आप ही देने लगे।

माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी, मैंने कल की कार्यवाही को देखा। उसमें लिखा है कि 'जन चोर हैं, और दूसरी जगह श्याम धर जी ने कहा है कि "जनता चोर उधर बैठे हैं।" इन शब्दों के बारे में जैसा मैंने कहा कि मैं फिर से, चूंकि आज मैं पहले की रूलिंग देख रहा था....

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मुझे भी सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अभी इजाजत नहीं है। दूसरी रूलिंग में देख रहा था। एक मर्तबा शिक्षा मंत्री श्री हर गोविंद सिंह जी थे तो किसी ने चोर शब्द का इस्तेमाल किया। तो अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी कि किसी व्यक्ति को चोर कहना अनुचित है। लेकिन समुदाय के लिये यदि इसका प्रयोग किया जाय तो अप्रिय बात नहीं है। रूलिंग में देख रहा हूं। इसी तरह से ४२० कहना, यह आदमी बेईमान है और दूसरे यह कहना कि इसमें बेइमानी की गयी है। तो मैं इसका अध्ययन करूंगा। आया चोर शब्द का प्रयोग कि "चोर उधर बैठे हैं" संसदीय प्रणाली के विरुद्ध हैं कि नहीं? इसके बाद मैं इस पर व्यवस्था दूंगा। यही मैंने कहा है।

अगर इस प्रकार की व्यवस्था हुई तो मैं प्रोसीडिंग से निकालूंगा, यदि मैंने देखा कि इस तरह के शब्द वास्तव में गलत हैं। कल ही मैंने कहा था कि ज्यादा श्रेयस्कर यही है इस तरह के शब्दों का प्रयोग न किया जाय कि "जन चोर उधर बैठे हैं।" क्योंकि अगर सिर्फ चोर शब्द का प्रयोग करते कि चोर उधर बैठे हैं तो साफ था कि उसी वक्त मैं कह सकता था कि यह अत्यन्त अनुचित है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

एक निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि मैं इस पर व्यवस्था सुरक्षित रख रहा हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप कार्यवाही देख लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कार्यवाही देखी है। मैं दस तारीख को इसको पुनः लूंगा तब मैं इस पर व्यवस्था दूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा निवेदन है कि उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का केस बनता है और उनका मामला विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था दे चुका हूं कि यदि यह हुआ तो यह दंडनीय है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी व्यवस्था तो देंगे ही लेकिन कभी-कभी मुश्किल हो जाती है कि आदरणीय सदन में यदि श्री कृष्ण भगवान का नाम लें कि 'चित्त चोर' है । तो आप व्यवस्था दें कि उनको 'चित्त चोर' यदि कहें तो यह अव्यवस्थित नहीं होगा । (हंसी)

श्री अध्यक्ष—

'चित्त चोर' संसदीय भाषा के विरुद्ध नहीं है । (हंसी)

विधान भवन के सामने गिरफ्तार विद्यार्थियों को खाना-पानी न दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि कल विधान भवन के सामने कुछ लड़के ८ बजे गिरफ्तार हुये । आज ६ बजे तक उनको खाना-पानी नहीं दिया गया। थाने में वह बन्द हैं। किसी मैजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश नहीं किया गया है । इस तरह मे उनके साथ ज्यादती हो रही है । मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी से यह स्पष्ट करा दें कि उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कराकर जेल भेज दें और जो सजा होगी, वह भुगतेंगे । खाना-पानी न देना यह अन्याय है जो बड़ी खराब बात है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी जो शिकायत माननीय सदस्य ने किया है उसको देख लें । यदि २४ घंटे से अधिक समय हो गया है तो उसकी जांच करें ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी (राजनैतिक पेंशन उप मंत्री)—

माननीय, जो शिकायत आयी है उसकी जांच करा लेंगे ।

कतिपय विषय

श्री अध्यक्ष--

आइटम नं० ४ पर मुख्य मन्त्री जी वक्तव्य दें ।

राजनैतिक पेंशन उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

मान्यवर, कल आपके आदेश हुए थे तो सूचना मंगायी जा रही है और आज शाम को इस पर वक्तव्य दे देंगे ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, आइटम नं० २ में हमने विशेषाधिकार की सूचना दी है । उसको आपने छोड़ दिया ।

श्री अध्यक्ष--

जो सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं उनका अभी मैंने अध्ययन नहीं किया है । इसलिए उनको बाद में लूंगा ।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, १९७७†

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, १९७७ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, १९७७ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शारदा भक्त सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, १९७७ को पुरःस्थापित करता हूं ।

१९७७-७८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ६०--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ६१--सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ८४--सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८५--बहुप्रयोजनीय नदी घाटी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

*श्री सिंचाई मन्त्री (बलबीर सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या

---

†दिनांक ८ अक्तूबर, १९७७ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित किया गया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बलवीर सिंह]

६०--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३१,४४,३१,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६१--सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १४,४७,८६,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८४--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६१,११,०८,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८५--बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,४६,२५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन में और माननीय सदस्यों के सामने यह कहने की जरूरत नहीं है कि सिंचाई विभाग का हमारे देश और प्रदेश की प्रगति में कितना सहयोग होने के कारण उसकी क्या अहमियत है और कितना महत्वपूर्ण यह विभाग है । मान्यवर, अब तक हमारे देश में जो खेती योग्य भूमि है उसका क्षेत्रफल १७२ लाख हेक्टेयर है । इस भूमि में से अभी तक पिछली चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केवल ६०.८४ लाख हेक्टेयर सिंचित क्षमता हो पायी थी । मैं यह कहूंगा कि यह बहुत कम है और खेती लायक क्षेत्र की केवल ३५.५ प्रतिशत ही यह आता है । हमारा लक्ष्य इससे बहुत बड़ा है। अगर हम इस ३५.५ प्रतिशत को बढ़ाकर ३०० प्रतिशत कर सकें तो हमारे देश की सही मायने में तरक्की हो सकती है । इसलिए यह योजना बनायी गयी कि पंचवर्षीय योजना में बड़ी-बड़ी योजनाओं के द्वारा २५.१२ लाख हेक्टेयर और छोटी योजना जैसे नलकूप आदि के द्वारा ७ लाख हेक्टेयर भूमि को पानी दे सकें । इस तरह से साल के आखीर में ७६ लाख हेक्टेयर भूमि की आबपाशी कर सकेंगे जो लगभग ५० प्रतिशत होगा । लेकिन यह भी बहुत कम है । इसलिए यह बात समझ में आती है कि यदि देश और प्रदेश को अन्न के मामले में सेल्फ सफिशिएन्ट बनाना है तो सिंचाई की योजनाओं की तरफ विशेष ध्यान देना होगा । अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो केन्द्र से पैसा लाना होगा । मैं यह बात सदन के सामने रख रहा हूं कि हम अच्छी तरह यह समझ सकें कि कितनी बड़ी समस्य हमारे सामने आबपाशी की है और जब तक हम इस समस्या का मुकाबला वार स्तर पर नहीं करेंगे हर क्षेत्र में सहयोग करके तब तक यह समस्या हमारे सामने मुंह फैलाये खड़ी रहेगी और किसी भी वक्त हमारे प्रदेश में भुखमरी हो सकती है या देश की स्थिति भी बिगड़ सकती है । इसलिए मान्यवर, हम ने इस बजट में इन योजनाओं को सम्मिलित किया है ।

(१) टेहरी डेम प्रायोजना, (२) लखवार बांध प्रायोजना, (३) समानान्तर निचली गंगा नहर, (४) मेजा बांध को ऊंचा करना, (५) मौदहा बांध आदि। इनके अतिरिक्त रामगंगा, शारदा सहायक और गंडक प्रायोजनायें जो पहले से चली आ रही हैं ऐसी आशा है कि ये इस साल में पूरी हो जायंगी। शारदा सहायक प्रायोजना की दो मुख्य बारांज तथा लिंक नहर पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। दरियाबाद बाराबंकी नहर प्रणाली से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। गोमती नदी के जल सेतु का कार्य इस वर्ष पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से इन प्रायोजनाओं से जून ७८ तक ३.७५ लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के उत्पादन का लक्ष्य है।

मान्यवर, मैंने चार मांगें सदन के सामने प्रस्तुत की हैं, जिनमें सबसे पहली अनुदान संख्या ६०—है जो काम को चलाने और मेन्टिनेन्स के लिए है। दूसरी अनुदान संख्या ६१—है और यह स्टाफ के लिए है, इस्टैब्लिशमेंट के लिए है। किसी भी योजना को चलाने के लिए या जो योजनायें पहले बन चुकी हैं उनके रख-रखाव के लिए, देख-भाल के लिए, उन पर काम चलता रहे इन सबके लिए स्टाफ की आवश्यकता है। इसलिए इस अनुदान संख्या ६१—में उसके लिए रुपये की मांग की गयी है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों मांगें बहुत जरूरी हैं ताकि हमारा जो पुराना काम है वह खराब न हो, बिगड़े नहीं।

इसके बाद अनुदान संख्या ८४—है कैपिटल आउटले और इसमें जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं या जो बीच की मीडियम योजना है उनके लिए रुपया मांगा गया है। इस अनुदान में मान्यवर, माइनर इर्रीगेशन के लिए भी रुपया मांगा गया है जिसमें ट्यूबवेल्स हैं, माइनर लिफ्ट हैं, डैमेज हैं, आदि। मान्यवर, हमारे प्रदेश के लिए जो दूसरे नम्बर का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है नहरें बना देने के बाद, डैम बना देने के बाद, वह फलड्स का है। इसी अनुदान में फलड्स के लिए भी रुपया मांगा है। मान्यवर, अनुदान संख्या ८४—में ही हमारी बड़ी-बड़ी योजनायें आती हैं और छोटी योजनायें भी इसमें आ जाती हैं, जो हमारे प्रदेश में बहुत काफी हैं। इनके सम्बन्ध में मैं संक्षेप में बतलाना चाहता हूं और इनमें से कुछ का मैंने पहले भी जिक्र किया है। लेकिन इन अनुदान में जो खासतौर से योजनायें हैं जिनका जिक्र बजट में भी है, जो लिट्रेचर बांटा है उसमें भी है, विस्तार से इनका जिक्र कर दिया गया है लेकिन मैं संक्षेप में उनका जिक्र यहां सदन में भी कर देना चाहता हूं। जो स्कीम्स पहले से चली आ रही हैं उनमें एक रामगंगा प्रोजेक्ट है। उसके लिये बजट में रुपये का प्रावधान है। इस रामगंगा प्रोजेक्ट से सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेपुर, बिजनौर, इलाहाबाद और मुजफ्फरनगर जिलों को फायदा होगा। दूसरा टेहरी डैम है जिससे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, इलाहाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, मैनपुरी, एटा तथा आगरा जिलों को फायदा होगा। इसके बाद गंडक परियोजना है। इस पर जल्दी ही काम पूरा हो जायगा और यह देवरिया तथा गोरखपुर जिले को सिंचित करेगी।

इसके अलावा जो पुरानी चली आने वाली स्कीमें हैं जिनको लिया गया है वह हैं शारदा सहायक प्रोजेक्ट। इससे खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर जौनपुर, आजमगढ़ तथा गाजीपुर को फायदा होगा। फिर कोसी इर्रीगेशन स्कीम है, जिससे नैनीताल,

[श्री बलवीर सिंह]

रामपुर प्रभावित होंगे । सदन में मैं इन स्कीम्स के बारे में इसलिए बतला रहा हूं कई दफा सवाल उठते हैं कि हमारे क्षेत्र को नजरन्दाज कर दिया इन स्कीम्स से यह पता चल जायगा कि हमारा इरादा किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा करने का नहीं है । बल्कि हर क्षेत्र इन स्कीम्स के अन्तर्गत करीब-करीब कवर हो जाते हैं । हरिपुरा रिजरवायर से नैनीताल, रामपुर व अडवा डैम से मिर्जापुर, इलाहाबाद को फायदा होगा । ईस्ट बैंगुल से बरेली, शाहजहांपुर, दोहरीघट सहायक प्रोजेक्ट के द्वारा आजमगढ़, बलिया तथा स्ट्रेथनिंग शारदा सागर के द्वारा बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी तथा उन्नाव को फायदा होगा ।

इनके अलावा अब कुछ मीडियम प्रोजेक्ट्स विभाग तैयार कर रहा है । इसके अन्तर्गत कोसी वैली से नैनीताल, रामगंगा वैली से अल्मोड़ा को फायदा पहुंचेगा । रिमाडलिंग भीमगोंडा हेडवर्क्स पर काम हो रहा है । डलमऊ पम्प कैनाल स्टेज टू से राय बरेली, प्रतापगढ़ को फायदा होगा । रिपेयर आफ नानक सागर के अन्तर्गत चिलिमल पम्प कैनाल से बांदा को फायदा होगा । रिमाडलिंग केन कैनाल के अन्तर्गत देवकली पम्प कैनाल स्टेज वन से गाजीपुर जिले को फायदा होगा । सरजू पम्प कैनाल से बहराइच जिले को फायदा होगा । किशनपुर पम्प कैनाल तथा माड आफ किशनपुर पम्प कैनाल से इलाहाबाद को फायदा होगा । नई स्कीमों के अन्तर्गत जो मल्टीपरपज प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं उनके अन्तर्गत सखवर ध्या प्रोजेक्ट से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा मेरठ को फायदा होगा । मेजर प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत नारायनपुर पम्प कैनाल की केपेसिटी को बढ़ाने से वाराणसी, मिर्जापुर तथा गाजीपुर को फायदा होगा । पैरेलल लोअर गंगा कैनाल से एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, सोन पम्प कैनाल से मिर्जापुर, रेंजिंग मेज डैम से मिर्जापुर तथा इलाहाबाद तथा राजघाट डैम व राजघाट कैनाल से ललितपुर, झांसी, जालौन तथा हमीरपुर को फायदा होगा ।

माननीय, इस राजघाट डैम के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी सदन को देना चाहता हूं । इस डैम की परियोजना प्रोजेक्ट काफी पुराना है और काफी दिनों से इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था । इस डैम का बनना हमारे बुन्देलखंड के लिए बहुत जरूरी था और इस सरकार के बनने के बाद इसे पूरा करने की कोशिश की गई और आपको ताजुब होगा यह सुन कर कि इतनी पुरानी योजना जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई थी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से एक घंटे में क्लीयर किया गया और इस राजघाट डैम के साथ ही में बान सागर का भी जिक्र कर देना चाहता हूं । उसकी भी यही समस्या थी । इससे मिर्जापुर और दूसरे जिलों को फायदा पहुंचेगा और यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट में उलझा पड़ा था जब उत्तर प्रदेश में यह सरकार आई तो इसने सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान दिलाया । माननीय, यह सुन कर ताजुब होगा कि इसको भी एक घंटे के अंदर सुलझा दिया और माननीय बरनाला जी ने जो केन्द्र में सिंचाई मंत्री हैं, ने हमको बुलाया । मैं दिल्ली गया इससे संबंधित जो मध्यप्रदेश और बिहार गवर्नमेंट था उनके प्रतिनिधि भी बुलाये और यह भी मुश्किल काम था । इन दोनों को सिर्फ दो घंटे के अंदर तय कर दिया राजघाट योजना को और बाण सागर को क्लियरेंस मिल गई । जहां तक राजघाट योजना का सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना सेंटर को भेजी हुई थी हमारे यहां से इसका क्लियरेंस हो गया है । दो महीने का इसमें समय रखा है और इस दो महीने के बाद क्लियरेंस हो जाने पर इस पर काम शुरू करने की स्थिति में हम हो जायेंगे ।

इसी तरह से बाण सागर योजना भी चालू हो जायेगी । उधर बिहार से भी नकी योजना बन रही है और उसके बन जाने के बाद दो महीने में यह भी

क्लियर हो जायेगी । मैंने सदन का ध्यान इसलिए दिलाया है कि कितनी अच्छी स्कीमें यह बनने जा रही हैं और मैं आशा करता हूं कि इस पर जल्दी ही काम शुरू हो जायेगा ।

मान्यवर, मिर्जापुर में सोन पम्प और मेजा डैम बन जाने से सिंचाई की सुविधा बढ़ जायेगी । इसी प्रकार ललितपुर के लिए सहजाद डैम है । जमरानी डैम नैनीताल के लिए है । इसी प्रकार कनहर योजना मिर्जापुर के लिए है । मध्य गंगा योजना बुलन्दशहर के इलाके में जहां पर पानी की कमी थी बहुत फायदेमंद है इससे वहां पर पानी की कमी पूरी होगी । इस योजना से बुलन्दशहर, अलीगढ़ और एटा को फायदा होगा । हम आशा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम जल्द बना पायेंगे ।

देवकली पम्प की कपेसिटी कम थी इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है इस पर काफी पैसा लगेगा । मोहदा डैम बन जाने से इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमीरपुर को फायदा होगा । बुन्देलखंड का इलाका सिंचाई के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है इसकी जानकारी सरकार को है । इसलिए यह कोशिश की जा रही है कि यह जो सिंचाई के साधन हैं इसको हम बढ़ा दें । लेफ्ट बैंक गंगा कैनाल से बहराइच और गोंडा को फायदा होगा । बहराइच और गोंडा में कैनाल की बहुत कमी है जिससे वहां आबपासी की सुविधा कम हैं । यह हमारा फर्ज है कि इस तरफ भी ध्यान दें और जितनी ज्यादा सुविधा दे सकते हैं वह हम देने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)––

बुन्देलखंड की तरफ ध्यान देंगे या नहीं ?

श्री बलवीर सिंह––

इसी तरह से ओखला बेरेज का मामला है (व्यवधान) वैसे तो आप पार्लियामेंटेरियन हैं । अगर आपको कुछ कहना है तो खड़े हो जाइये मैं बैठ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष––

श्री रणजीत सिंह, जो आप बाद में, अगर आपको बोलने का अवसर मिले तो अपनी बात कहियेगा ।

श्री बलवीर सिंह––

आप इन्हें समझा देंगे । बुन्देलखंड की बात कही गई है । मैंने खुद कहा है बुन्देलखंड का इलाका ऐसा है जिसकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये, विशेष ध्यान देना चाहिये । मैंने उन लोगों से वादा भी किया है, अधिवेशन के बाद मैं बुन्देलखंड जाऊंगा और जो हो सकेगा, करने की कोशिश करूंगा । लेकिन शायद माननीय सदस्य इस बात को भूल गये थे उनको जानकारी नहीं थी जब कि मैंने राजघाट बांध की बात की, माताटीला बांध है और कई बांध हैं । राजघाट की जो बात की है उसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी क्लियर करवाया है । इसका साफ मतलब यह है कि सरकार को चिन्ता है वर्ना जिस

[श्री बलवीर सिंह]

तरह से १०-२० साल से लटका पड़ा हुआ थ, पड़ा रहता । यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमें बुन्देलखंड की बड़ी चिन्ता है । हमारे इंजीनियरों ने जो सहायक नहरें बनेंगी, उ का पूरा नकशा बना कर, पूरी स्कीम बना कर सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज दिया है । माननीय सदस्यों को मैं यह जानकारी देना चाहता था । इसके अलावा उनके पास कोई साल्यूशन होगा या कोई स्कीम होगी तो सरकार की तरफ से देर नहीं होगी जल्दी से जल्दी आपकी मर्जी के मुताबिक अगर टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर ठीक है तो उसको करवाने की कोशिश की जायेगी ।

औखला बैराज के बाद ताजेवाला बैराज लिया गया है । यह बैरज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सरदर्द है । ताजेवाला है हेडवर्क्स की वजह से हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान बहुत तकलीफें उठा रहे हैं । यह मान्यवर, हरियाणा के कब्जे में है और आप माफ करेंगे मान्यवर, जब मैं यह कहूं कि हरियाणा सरकार जानबूझ कर भी उसमें कुछ दिक्कतें पैदा करती है ताकि उस हेडवर्क्स के जरिये से हमारी ईस्टर्न जमुना नहर में पानी न आ सके, ऐसी कुछ रुकावटें डाली जाती हैं जिसकी वजह से लाजमी बात है कि न रबी और न खरीफ में पानी मिल पाता है । एक बात और भी है । यह बहुत पुराने जमाने का बैराज है । ताज्जुब होगा माननीय सदस्यों को सुन कर कि उस बैराज के फाटक जिनसे पानी रोका जाता है, लकड़ी के हैं या पत्थर डाल दिये जाते हैं । यह ठीक नहीं है । इसकी बड़ी जरूरत थी कि इसमें हिस्सा ले सकें और इस काम को आगे बढ़ा सकें । लेकिन इसके लिए अभी कुछ कहना हमारे लिए मुश्किल है कि कब तक काम शुरू हो जायगा । अभी सेंटर में भेजा है । फिर शायद हरियाणा सरकार इसमें देर करना चाहती है क्योंकि उनका फायदा है । चूंकि हरियाणा का जिक्र आया है, आपके माध्यम से एक शिकायत और हरियाणा सरकार को करना चाहता हूं और उन तक पहुंचाना चाहता हूं अगर मेरी बात पहुंच सके । जब पानी देने का नम्बर आता है जैसा मैंने बताया दखलदाजियां की जाती हैं, रोड़े अटकाये जाते हैं, हमें पूरा पानी नहीं दिया जाता है, जब फ्लड्स का जमाना आता है, बारिश में तो हरियाणा और राजस्थान का सारा पानी उत्तर प्रदेश में ढकेल दिया जाता है । 'ढकेल' शब्द का इसलिए इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि बंधे तोड़ दिये जाते हैं । जरूरत से ज्यादा भेजा जाता है । कामा रेगुलेटर हमारा मथुरा जिले में लगा हुआ है, उसमें ८२० क्यूसेक फीट पानी की क्षमता उनके साथ हुए हमारे समझौते के अनुसार है । लेकिन होता क्या है १,०४० उन्होंने किया है । इसकी जब हमने शिकायत की फ्लड कमीशन से तो हमारी शिकायत के फलस्वरूप हाथी साहब ने मथुरा में कान्फ्रेंस की जहां तक मुझे याद है ५ या ६ अगस्त को । उसमें भी १ हजार ४० क्यूसेक फीट पानी लेना तय हुआ । हम १,०४० तक ले सकते थे, जब १८ करोड़ रुपया वह हमको दे देते, लेकिन फिर भी हमने हाथी साहब, जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के चेयरमैन हैं, के हुक्म को माना ।

लेकिन मान्यवर, राजस्थान और हरियाणा फिर भी हम पर सीधे नहीं हैं । उनके द्वारा हम पर जो बीतती है वह हम ही जानते हैं । पिछले १५ या २० दिन जिनके ऊपर सिंचाई की जिम्मेदारी है उन्होंने जिस तरह बिताएं हैं, उसका अनुमान वही लगा सकते हैं कोई और उसको समझ नहीं सकता है । १८ क्यूसेक फीट पानी जबरदस्ती हमको लेना पड़ा, जबकि इतना पानी लेने से गोवर्धन डैम रसूलपुर गांव के पास टूट गया था और उससे जो भयंकर स्थिति उस जनपद में आई हुई थी, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते । इस तरह से यह इतना पानी हमारे लिए हर तरह से मुसीबत की सूरत बन गया और यहां यह कहना मेरा माउंट

आफ प्लेस न होगा कि हमारे लिए वह १-२ दिन तो बहुत ही खतरनाक बन गये, जबकि उस बांध को तोड़ने के वास्ते, कामा के पास हरियाणा और राजस्थान के लोगों ने उसे तोड़ने का जबरदस्त प्रयास किया। हमें इसकी सम्भावना थी और हमने पी० ए० सी० भेजी, जो कुछ हमें करना था, हमने उसे तैयारी के साथ करने का प्रयास किया। इस समय सदन को बताना आवश्यक था कि क्या चल रहा है और आगरा व मथुरा को इस बाढ़ से किस तरह बताया जा सका वर्ना मैं नहीं कह सकता कि क्या हालत उनकी होती। फिर भी मथुरा जिले में बहुत बरबादी हुई है। मथुरा जिले के लोग भले ही समझें कि हमको उसका पता नहीं है, किन्तु हमको सब पता है और उसे समय पर रोका न जाता तो और अधिक ज्यादा बर्बादी होती ....

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)---

आगरा में भी बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है।

श्री बलवीर सिंह---

उसके बारे में भी हमें जानकारी है। मथुरा में मैं पहुंच गया था, हुक्म सिंह जी ने आगरा में जाने का अवसर नहीं दिया। मैं कोशिश करूंगा कि हमने मथुरा के लिए और जो अन्य जगहों के लिए स्कीमें बनाई हैं बाढ़ को रोकने के लिए, उनमें से हर एक में मैं नहीं जा सकूंगा लेकिन फिर भी अधिक से अधिक जगह जाने का प्रयास करूंगा और हुक्म सिंह जी को उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि जहां इस तरह की तकलीफ होगी वहां अवश्य जाऊंगा और देखूंगा और टैक्निकल एडवाइज लेकर उसे दूर करूंगा। सरकार का इरादा तकलीफों को दूर करने का है।

जो फ्लड की बातें हैं, यह मामला चल रहा है, लेकिन मैं फ्लड का थोड़ा जिक्र कर दूं, फिर मैं इस टापिक पर पुनः आजाऊंगा। ६० या ६५ योजनाएं हमने बजट में ली हैं, जो बहुत जरूरी हैं, प्रदेश को इनसे फायदा होगा। हम योजनाएं बनाते रहें, पानी खेती के लिए देते रहें, लेकिन एक जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा, हमारे देश का और किसान का है, वह है बाढ़, वह है कटाव और वह है गरकी। यह तीनों एक ही हैं। ये बहुत बड़ी दुश्मन हमारी, देश की और किसान की हैं। तो इनको कैसे रोका जाये। फ्लड के लिए जो बजट में प्राविधान है वह १० करोड़ का है। बहुत कम है। १० करोड़ से ज्यादा तो मथुरा जिले के लिए चाहिये और हुक्म सिंह जी ने आगरा के लिए कह दिया। इसके अलावा और भी जगहों पर प्रबन्ध करना है। जैसा मैंने कामा रेगुलेटर के लिए सुनाया वैसा ही बिहार बांध का है। वह पूरा बना नहीं है, वह जीर्ण क्षीर्ण हालत में है। इसी बरसात में ऐसा लगा कि पानी उत्तर प्रदेश की ओर जरूर आयेगा।

माननीय, सिंचाई विभाग के बड़े इन्जीनियरों को और स्वयं मुझको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है कि इसमें क्या किया जाये। हम लोगों ने बिहार सरकार से सम्पर्क स्थापित किया। फ्लड कमीशन से सम्पर्क स्थापित किया और बरनाला साहब से सम्पर्क स्थापित किया। बराबर इन्जीनियरों की ड्यूटी टेलीफोन पर रखी गयी जिससे कि उत्तर प्रदेश को बाढ़ के प्रभाव से बचाया जा सके। मैं कहना चाहता हूं कि वह हुआ नहीं, लेकिन आगे के लिए क्या किया जाये? इसको कैसे हल किया जाये? इस साल बाढ़ और कटाव से मुसीबत आ

[श्री बलबीर सिंह]

गयी, यह हर साल आती है। हरसाल १८ लाख हेक्टयर भूमि जब वर्षा कम होती है तो प्रभावित होती है और अगर यह ज्यादा प्रभावित होती है तो ५२ करोड़ तक प्रभावित होती है। इसी तरह की स्थिति हर साल होती है। सैकड़ों आदमी मरते हैं और जिन्स का नुकसान ३३ करोड़ के करीब होता है और जब बाढ़ ज्यादा होती है तो मान्यवर, २०० करोड़ से कम का नुकसान नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि १३ लाख हैक्टयर जमीन पर इसका प्रभाव पड़ा और मान्यवर, ७१३८ गांव इससे प्रभावित हुए। ४४ हजार घर क्षतिग्रस्त हुए और १२६ आदमियों को जाने गयी। यह बड़े अफसोस की बात है। हम नहीं बचा सके या हम उनको बचाने की स्थिति में नहीं थे। ८८५ पशु मरे और ३७·८ लाख व्यक्ति इससे प्रभाक्ति हुए। तो यह हमारी मुसीबत है, बाढ़ क्या है यह मुसीबत है इसलिए कोई भी सरकार हो उसे भी चिन्ता रही होगी। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन्हें चिन्ता नहीं थी। हमें भी चिन्ता है और सरकार को भी इस बात की चिन्ता होगी। लेकिन इसका इलाज क्या है ? इस पर हमें बड़ी गहराई से सोचना होगा। मान्यवर, हमने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग को बुलाया। उनके सामने ये सब बातें रखीं। हमने एक योजना भी उनको दी है और यह प्रार्थना की है कि आप हमें रुपया दीजिये और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यह रुपया हमें मिलेगा। लेकिन मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं। फिर भी हम उनके पास जायेंगे और मुझे आशा है कि तीस करोड़ रुपया या उससे ज्यादा रुपया हमें मिल सकेगा।

श्री जयसुख लाल हाथी जो कि बाढ़ आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ने एक बात कही कि यह ऐसी मुसीबत है कि जब यह आती है तो बाढ़ रोकने के लिए दौड़-भाग करते हैं, शोर मचाते हैं लेकिन उस समय हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और जब यह बाढ़ चली जाती है तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं होती है। इसीलिए मैंने आप से कहा कि इस पर हमें चिन्ता करनी है। हमें ही नहीं बल्कि माननीय सदस्यों को भी चिन्ता करनी होगी कि बाढ़ को कैसे रोका जाय क्योंकि बाढ़ आने पर कुछ कोशिशें भी की जाती हैं। जब कटाव हो गया और बाढ़ आ गई तो हमने कई इंजीनियर्स को इंसर्ट किया। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। पहले से ही कुछ हो जाना चाहिये था। यह पहले से कुछ होने में क्या हो ? मान्यवर, अगर छोटे-छोटे बांध बना दिये जायें तो अगर एक जिले में एक बांध बनाया जाता है तो वह दूसरे जिले को जरूर काटेगा। इसलिए एक ऐसा प्लान बनाने की आवश्यकता है, जो मास्टर प्लान हो। उस मास्टर प्लान के बारे में हमने बाढ़ कमीशन से बात-चीत भी की। वे भी सहमत थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्लान होना चाहिये।

मान्यवर, एक बाढ़ का प्लान अप्रैल, १९७३ में बना १०६ करोड़ रुपये का मगर पैसा नहीं था। जहां तक मैं समझता हूं कि वह खत्म हो गया। उसके बाद एक दूसरा प्लान १९७६ में ३०० करोड़ रुपये का बना तो उसको कुछ बढ़ा कर हम चाहते थे कि बाढ़ आयोग की जो एथारिटीज हैं उनसे हम इसको पास करायें। उसका जिक्र मैंने बड़े मार्मिक शब्दों में बाढ़ कमीशन के सामने किया है और जहां तक मैं समझता हूं कि उन्होंने सहानभूतिपूर्वक विचार करने का वायदा किया है। पैसा देने का वायदा किया है और मैं समझता हूं कि इसमें अगर कोशिश की जायेगी तो उसमें हम कामयाब भी होंगे।

यही स्थिति बिहार बांध के प्लान के बारे में है, जिसका जिक्र हमने उनसे किया है। उसमें तो करीब-करीब हमें ऐसा लगा कि उनकी पूर्ण सहमति सी है। अगर उन्होंने मंजूर कर लिया तो उसमें पैसा भी लगेगा सेन्ट्रल गवर्नमेंट का।

इसमें दो राय नहीं हो सकती है । तो मान्यवर, ये तो बड़े–बड़े प्लान्स बनेंगे । लेकिन इस बाढ़ को रोकने के लिए जो हमारे रचनात्मक कार्य चल रहे हैं, जिनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश भी कर रही है, वे इस बाढ़ को काफी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं ।

बाढ़ रोकने के लिए हमें एक काम यह भी करना होगा कि जिन नदियों के कारण बाढ़ आती है जैसे शारदा, घाघरा, गंडक और राप्ती नदियां ये जहां से निकलती हैं, वहां हमें बांध बनाना होगा । वहां बांध बन जाने के बाद पानी कंट्रोल हो जायेगा । इससे पानी कम होगा और कटाव भी नहीं होगा । और इस कटाव से बाढ़ के रूप में आने वाली मुसीबत से हम बच सकेंगे ।

मान्यवर, वैसे तो कई योजनायें हैं जैसे साउथ योजना है । वह कई सालों से लटकी पड़ी है । उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है । अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमें और हिमांचल प्रदेश को एक टेबिल पर बिठा दे तो समस्या हल हो जायेगी । इसी तरह से हरियाणा सरकार भी साथ में आयेगी तो उसमें जो पानी के बंटवारे का सवाल है कि कितना रुपया वह देंगे और कितना पानी हम देंगे । इसी तरह से किसाऊ डैम के बारे में अभी कुछ बातें सेंट्रल गवर्नमेंट से तय होनी हैं । उसका डिजाइन भी मंजूर हो चुका है । बांध के लिए पत्थर कैसे ले जाये जायेंगे । पानी का कैसे कंट्रोल किया जायेगा । ये छोटी–छोटी बातें हैं, जो मुझे आशा है शीघ्र ही तय हो जायेंगी । लेकिन बाढ़ के सम्बन्ध में जो मैं कह रहा हूं ३ बांधों का बनना बहुत जरूरी है । एक तो शारदा पर पंचेश्वर का बांध है, दूसरा करनाली का है जो घाघर पर है और तीसरा राप्ती नदी पर भालू बांध है । यदि ये तीनों बांध बन जायेंगे तो न केवल हमारे प्रदेश में बाढ़ से रक्षा हो सकेगी अपितु हमारे देश और प्रदेश की बड़ी उन्नति होगी । यदि शारदा पर हमारा पंचेश्वर बांध बन जायगा तो हमें २००० मेगावाट बिजली इससे मिलेगी । इस समय हमारी बिजली की क्षमता केवल २४०० मेगावाट है । दूसरा जो करनाली का हमारा बांध है उससे १८०० मेगावाट बिजली मिलने की आशा है और तीसरा भालूभान बांध है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट इसमें बात कर रही है क्योंकि यह इन्टर नेशनल मामला है । नेपाल की सलाह के बिना नहीं हो सकता है । हमें आशा है कि वे हमें इसमें सहयोग देंगे ।

दूसरे मास्टर प्लान जो था मैंने उनका हवाला दिया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम छोटे–छोटे बांध या चैनल्स न बनायें । हमारी सरकार सजग है उसकी जानकारी हमारी सरकार को है । ये फ्लड्स के बारे में थोड़ी सी बातें हैं । लेकिन इनके लिए हमारे पास पैसा बहुत कम है । हम लोग स्कीम्स भेजते हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा देती है । आशा भी ऐसी ही है लेकिन १० करोड़ रुपये से तो हम एम्बेन्कमेंट भी नहीं बना सकते हैं । तो इस मामले में हमारे पास पैसे की कमी है ।

हमारे देश में एक बांध सागर है जिससे इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर के जिलों को पानी मिलेगा । हमीरपुर में एक डैम है । सिंकिंग आफ चैनल्स को सुधारा जा रहा है जिससे मिर्जापुर, वाराणसी आदि में सिंचाई हो सकेगी । एक लेस्टर वैली नैनीताल में है । एक योजना हिन्डन नदी को है जिससे मेरठ में सिंचाई हो सकेगी । एक अपर मोस्ट कैनाल है उसको मार्डनलाइज किया जा रहा है । इसी प्रकार से एक–एक अपर शारदा कैनाल है उसको भी मार्डनलाइज किया जा रहा है ।

[श्री बलबीर सिंह]

एक लफ्ज माननीय सदस्यों ने नहीं पढ़ा होगा "नवीनीकरण"। अंग्रेजी में उसे "मार्डनाईजेशन" कहते हैं। मर्डनाइजेशन इसलिए करना जरूरी पड़ा क्यों के हमारी जो नहरों का सिस्टम है वह बहुत पुराना हो गया है। इसमें बहुत सी कमियां हैं। एक कमी तो यह है कि ज्यादातर जो पुरानी स्कीम्स के आधार पर नहरें बनी थीं वे सिर्फ रबी की फसलों के लिए थीं। वेस्ट में खास तौर से ईस्ट को तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहां भी अगर कोई पुरानी नहरें हैं तो वे रबी के लिए है खरीफ के लिए नहीं है। तो मर्डनाइजेशन से वे इस तरह से बना दी जायेंगी कि वे रबी और खरीफ दोनों में पानी देने की क्षमता रखें। उन्हें गहरा किया जायगा चौड़ा किया जायगा इसमें भी सरकार द्वारा काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। फिर खटीमा इर्रीगेशन है नैनीताल में पम्प हाउस और टौंस पम्प कैनाल के लिए इलाहाबाद की तरफ का किस्सा है और कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि ईस्टर्न गंगा कैनाल, बिजनौर। आज एक माननीय सदस्य मुझसे कह रहे थे कि बिजनौर में कुछ है ही नहीं, तो उनके लिए तो है। और मार्डनाइजेशन होगा यमुना कैनाल का जिसकी बात मैं कर रहा था कि जो बाबा आदम के जमाने की कैनाल है और उससे पानी नहीं जाता है, रुक जाता है। उसे अच्छा बनाने की कोशिश की जायगी। फिर इसमें है मान्यवर, मार्डनाइजेशन आफ घग्घर कैनाल और फिर ज्ञानपुर पम्प कैनाल इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर के लिए है, इसमें कुछ कठिनाई आ गयी थी, लेकिन क्योंकि इसका लिया हुआ है पैसा भी बजट में तो इसमें भी कुछ करने की कोशिश की जायगी। जमानियां पम्प कैनाल की कैपेसिटी बढ़ायी जायगी, गाजीपुर से सम्बन्धित है। एक है मान्यवर, कोआना पम्प कैनाल, उसकी कैपेसिटी बढ़ायी जायगी। लछौरा हैड वर्क, इसका मार्डनाइजेशन होगा और बाकी सर्वे वगैरह का काम होगा।

मैंने काफी समय लिया है इन योजनाओं को पढ़ने में, लेकिन अगर मैं पढ़कर न सुनाता तो बात पूरी न होती, ऐसा मैंने समझा। इसके अलावा जैसे कि साउथ डैम, लखवा डैम है उन पर काम हो रहा है और पैसा उन पर भी खर्च किया जा रहा है। उस सब के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। पर मान्यवर, फिर भी मैंने काफी विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश की है कि कौन-कौन सी स्कीम्स ली गयी हैं और क्या फायदा है।

अब मैं थोड़ी सी बात किसानों के सम्बन्ध में करना चाहूंगा। यह सब कुछ जो हो रहा है अल्टीमेटली तो इससे प्रदेश का फायदा है। मुझे आपको हर व्यक्ति को फायदा है, देश को फायदा है, लेकिन नहर डिपार्टमेंट, इर्रीगेशन पूरा सिर्फ नहर नहीं, ट्यूबवेल वगैरह सारे डिपार्टमेंट इसका सीधा सम्बन्ध किसान से है। जो अन्न पैदा होता है, या कपड़ा बनाने के लिए कपास वगैरह पैदा होता है वह किसान पैदा करता है। तो इसलिए विभाग का सीधा सम्बन्ध आबपाशी या पानी का सीधा सम्बन्ध किसान से है। तो सवाल पैदा होता है कि अगर किसान यह समझेगा कि आबपाशी बहुत ज्यादा है छोड़िये खाद वगैरह कि इन चीजों की कीमत ज्यादा है, मैं पानी की बात कहता हूं। अगर वह समझेगा कि पानी का कर इतना ज्यादा है कि खेती करने से मुझे क्या फायदा है, क्योंकि इतनी मेहनत करूं, तो उसको यदि एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो वह काम नहीं करेगा। वह ज्यादा अन्न पैदा नहीं करेगा। सिर्फ उतना करेगा जितना उसके खाने के लिए जरूरी होगा। इसलिए जरूरी है कि किसान को इनसेंटिव दिया जाय, किसान यह समझे कि प्रदेश की सरकार या सिंचाई विभाग तुमसे हमदर्दी रखता है।

तो मान्यवर, इस समय सरकार की पालिसी यह है कि वह किसान को सस्ते दामों पर पानी दे नं० १ । दूसरे यह है कि किसान को हर दूसरी सुविधा सरकार दे, नाली की, गूल की । तीसरे यह है कि किसान यह आशा करता है और इसको हमारी पूरा करने की पालिसी है कि उसका आबपाशी का इन्दराज सही हो, गलत इन्दराज न हो और फिर यह भी है कि उसका शोषण सरकारी कर्मचारी न करें । तभी तो वह कुछ काम कर सकता है। तो जैसा मैंने बताया सरकार की नीति है किसान को सस्ता पानी दिया जाय । मैं किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहता । मेरे माननीय सदस्य जो मेरे सामने बैठे हैं यह न समझें मेरी आदत नही है और न दोष उनको दूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हू कि पिछली सरकार ने कुछ गलती कर दी । जो किसान ट्यूबवेल से पानी लेता है उस पर बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया । किसान पानी ले या न ले २१ रुपये एकड़ उसके सिर पर है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी किया था कि ईख बोयेगा तो ६० रुपये एकड़, एक पूरा टेबिल बना दिया । स्वाभाविक है कि किसान को परेशानी हुई । तो चलते चलते यह दिखाने के लिए कि हम किसान से बड़ी हमदर्दी रखते हैं यह कर दिया कि २१ रुपये सिर्फ सिंचित भूमि पर होंगे । इससे कोई फर्क नहीं पड़ा । तो किसान दुखी रहा । तो इस सरकार ने अब यह निर्णय ले लिया है कि यह २१ रुपया हमेशा के लिए खत्म ।

सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि १ रुपये में ६ हजार गैलन पानी खरीफ में मिलेगा और यह खरीफ कब से शुरू होगी, इसको मार्क कीजिए । जुलाई से शुरू नहीं होगी । खरीफ अप्रैल से शुरू होगी, पूरे ७ महीने । चाहे ईख हो, चाहे धान हो, चाहे कोई भी चीज हो इस पीरियड में उसे १ रुपये का ६ हजार गैलन के हिसाब से पानी मिलेगा । बाकी रह गयी रबी की फसल सिर्फ ५ महीने १ रुपये का ६ हजार गैलन पानी । मैं समझता हूं कि हमने किसान की तकलीफ को समझा है । लेकिन यह आखिरी लफ्ज नहीं है । इस पर कुछ करोड़ों का नुकसान होगा और किसान को फायदा होगा । शायद इस पर कुछ लोग यह कहना चाहेंगे कि यह तो आपने प्रदेश का घाटा कर दिया । इस घाटे को कहां से पूरा करेंगे ? तो आज मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सदन में घोषणा कर देना चाहता हूं कि हम सिंचाई विभाग को कमर्शल डिपार्टमेंट नहीं मानते । हम इसको सोशल डिपार्टमेंट मानेंगे जिससे सोसायटी का फायदा हो । आप पैसों में क्यों देखते हैं ? ८० करोड़ हमने खर्च किया इर्रीगेशन पर । ४० करोड़ मिलता है । लेकिन ४० करोड़ हमें सूद का देना पड़ता है । सब मिला कर ८० करोड़ होता है । कोई घाटा नहीं है इस तरह से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, फीगर्स कोई दूसरी भी हो सकती है, लेकिन खास बात यह है कि हम सोशल नीड पूरी करते है । जो पैदावार बढ़ती है, उससे जो पैसा आता है उससे प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ती है और हमारे प्रदेश और देश को आमदनी बढ़ती है । उसको आप क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, उसको भी कंसीडर करना होगा, उस पर भी ध्यान देना होगा ।

एक बात और है, आर्गूमेन्ट के ऊपर कभी ध्यान न दिया जाय कि हम नुकसान में जा रहे हैं । इर्रीगेशन डिपार्टमेंट जो है यह इम्प्लायमेन्ट पोटेशियल है, इसमें काफी आदमी काम करते हैं और जैसे योजनाएं बढ़ रही हैं, २ हजार के करीब तो इसमें और बढ़ जायेंगे, जिनको यह विभाग इम्प्लायमेन्ट दे सकेगा, मुझे ठीक याद नहीं है, २०-२५ हजार आदमी अब भी इसमें काम करते

[श्री बलवीर सिंह]

होंगे । जो देश की बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी, भुखमरी की है, उसमें यह विभाग सहायक होगा । मैं तो यह चाहता हूं कि जितना कम से कम पानी पर डेक्स लिया जाय, उतना ही अच्छा होगा ।

एक बात और है, किसान को आजकल ट्यूबवेल के मामले में एक और परेशानी हो रही है । जो सरकारी ट्यूबवेल हैं, वह तो पानी देते ही हैं, जो किसान अपने पैसे से या सरकार से कर्ज लेकर ट्यूबवेल लगा लेगा, उस पर सरकार क्या कहती है, उस पर सरकार का फरमाना है कि आप नहीं लगा सकते हैं २०० मीटर, १५० मीटर के फासले पर, तो यह एक समस्या किसान के सामने है । लेकिन इस पर विचार करना होगा । अगर किसान अपने पैसे से ट्यूबवेल लगाना चाहें, अगर वह डीजल को लगा ले, तो सरकार नहीं रोकती, तो इसलिए फिलहाल हमने यह फैसला किया है कि जो लोग अपने ट्यूबवेल लगा लेंगे, उनको दरख्वास्त देने के बाद बहुत सिम्पैथेटिकली उस पर विचार किया जायगा और हमारी तरफ से किसानों को इजाजत होगी कि वह अपना ट्यूबवेल लगाकर बिजली हासिल कर लें । सरकार कतई बिजली डिपार्टमेन्ट से नहीं कहेगा कि बिजली न दो । बाद में इस पालिसी के सम्बन्ध में फिर मौका होगा तो हम बात करेंगे ।

किसानों की एक भारी तकलीफ यह है कि वह सिंचाई तो बेचारा करता नहीं, लेकिन लिख दी जाती है इतनी सिंचाई की है या थोड़े रकबे में पानी लिया है और रकबा ज्यादा लिख जाता है । इसमें पास-बुक का सिस्टम चला था, मुहकमे में इतना स्टाफ नहीं था इसलिए वह कार्यान्वित नहीं हो सका । मैं कोशिश करूंगा कि हर किसान के पास पास-बुक जाय, बेईमानी का जिससे मौका न रहे । दूसरा मैंने यह भी फैसला किया है कि जो आबपाशी लिखने वाला व्यक्ति है, पतरौल है, आपरेटर है, जब वह पर्चा बांटेगा, उनको आदेश है कि जब तक पर्चा किसान के पास बांटे बाकायदा गांव में मुनादी करायेगा कि फलां दिन पर्चा बांटने आवेगा और वह रिकार्ड रखेगा कि यहां पर आया था और पर्चा बंटा था । मैं समझता हूं कि इससे बेईमानी का मौका नहीं मिल सकेगा । दूसरा जो सरकार ने फैसला किया है वह है कि जिले पर अधिकारियों को सेवा-कक्ष में रखा है, जिससे वे अपने आप को सेवक समझें, वरना वह शिकायती कक्ष बन जायगा । जब मैं किसी जिले में जाता हूं तो पता नहीं, हजारों आदमियों का तांता लग जाता है । कैसी छोटी-छोटी बातें होती हैं, किसी पतरौल के खिलाफ शिकायत है, किसी कुलाबे के बारे में छोटी सी शिकायत है । इनसे भी बहुत छोटी-छोटी बातों के लिये वे यहां आते हैं जिसको जिले के अधिकारी तय कर सकते हैं। इन शिकायतों को लेकर लोग मिनिस्टरों के पास आते हैं, मेरठ या मुरादाबाद, आजमगढ़ से यहां आते हैं । तो वाकई में किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है । कोई जगह भी नहीं है जहां वह अपनी बात सुना सकें । तो यह कक्ष रखा गया है जहां पर असिस्टेंट इंजीनियर ड्यूटी देगा । उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो शिकायतें आयेंगी उनको वह रजिस्टर करेगा । जिस अधिकारी से वह काम हो सकता है उनसे कराने की कोशिश करेगा और फिर रिपोर्ट देगा ।

आफिसर्स को यह आदेश दे दिए गए हैं, जितने भी सिंचाई विभाग के आफिसर्स हैं वह कम से १० बजे से ४ बजे तक, अगर दौरे पर नहीं हैं तो आफिस में रहेंगे। अपने घर में नहीं लेटे रहेंगे, अपनी कोठियों में नहीं सोयेंगे। मुझे शिकायत है आज के इंजीनियरों से कि वह घरों पर रहना चाहते हैं । उनको भी हो सकता है कि कुछ दिक्कतें हों, सवारी वगैरह न होने की वजह से दफ्तर न जाते हों । लेकिन उनको राइटिंग में आदेश दे दिए गए हैं कि १० बजे से ४ बजे तक अगर दौरे पर नहीं हैं तो आफिस में रहना पड़ेगा । तो कक्ष के संबंध में जैसा मैंने

बताया कि उनको आदेश दे दिया गया है कि जो शिकायतें आयें, जहां से वह ठीक हो सकती हैं, वह ठीक करायें । उन लोगों को जवाब भी देंगे और कर्टसी का इस्तेमाल करेंगे । अपने को हाकिम समझ कर लोगों को पागल नहीं समझेंगे ।

किसान और गरीब आदमी जो इस देश का मालिक है, वोटर है जिसके वोट से मान्यवर, हम यहां चुनकर आये हैं और दिल्ली में प्राइममिनिस्टर बैठे हैं, उसके साथ बर्ताव कैसा हो, आज अफसरों को इस बात को बताने की जरूरत है । इसलिए उन्हें आदेश दिए जा रहे हैं कि किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे । अपने पास आने वाले को पागल नहीं समझेंगे और यह न महसूस करें कि बेकार आदमी है, खामखां चले आते हैं । जब तक जूता काटता नहीं है, कोई शिकायत करने क्यों जाता है ? गांव का आदमी अगर जिले में आता है तो जरूर कुछ न कुछ १०-५ रुपये उसके खर्च होते हैं । सिर में उसके फोड़ा तो नहीं निकला है, उसे बावले कुत्ते ने तो नहीं काटा है कि वह यहां आके सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर या इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाकर उनको परेशान करे । इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने कह दिया है कि जनता के साथ उचित बर्ताव होना चाहिए । वोटर जो हैं उसको हाकिम माना जायगा और जो हाकिम बना बैठा है उसको सेवक माना जायगा ।

(मेजों की थपथपाहट) (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांति रखिये । (शोर)

एक सदस्य--

हल्ला करने में हम भी सहयोग करें ।

श्री बलवीर सिंह--

थोड़ा किसानों को भी सुनिये ।

श्री अध्यक्ष--

बहुत शोर हो रहा है । आप लोग बात न कीजिये ।

श्री बलवीर सिंह--

मान्यवर, ठीक है । बीच-बीच में कुछ चलता रहना चाहिये । मान्यवर, एक और चीज से किसान को बड़ी भारी तकलीफ है । वह चीज है जिसे तावान कहते हैं । कई दफे पतरौल भी नहर कटवा देते हैं तब भी जुर्माना होता है । कई दफे किसान खुद भी काटता है । लेकिन किसान जब काटता है जब वह सोचता है कि मैं भूखा हूं रोटी नहीं नसीब हो रही है । तब वह रोटी पाने की बात सोचता है । दोषी है, मैं उसका दोष कम नहीं करना चाहता हूं लेकिन सोचना है कि किन सरकमस्टांसेज में वह दोषी है ? लेकिन कई दफा पतरौल और अधिकारी कटवा देते हैं। तो मान्यवर, हमने यह फैसला किया है। इसमें चूंकि पैसा इंवाल्व है इसलिए यदि पूरे प्रदेश में किया जायेगा तो काफी खर्च होगा। इसलिए फिलहाल २-३ जिलों में इसको इस्तेमाल करके देखेंगे । वह यह कि जैसे पलाइंग स्कैवड, जुर्माने का

[श्री बलवीर सिंह]

सवाल है, गलत लिखाने का सवाल है आदि। हम पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं। लेकिन तजुर्बा करके देखना चाहते हैं। इसमें एक आफिसर के जिम्मे यह काम देखा जायेगा। एक कांस्टेबिल को डी० एम० से कहकर रखा जायेगा। कोशिश करेंगे कि जो आफिसर हो उसको समरी ट्रायल करने के अधिकार हों। और फिर उस समय जिसको काटते हुये पकड़ा जायेगा उसको सजा दी जायेगी। इसमें अधिकारी को गाड़ी भी दी जायगी जिससे विजिट कर सकें। इस प्रकार ऐसे केसेस कम होंगे।

मान्यवर, अब थोड़ी बातें विभाग के लोगों के बारे में कहना चाहता हूं। जैसे हमने कहा कि विभाग बहुत बड़ा है। इसमें काफी भ्रष्टाचार की शिकायतें आया करती हैं। इसके दो आस्पेक्टस हैं। एक तो यह कि कुछ लोग वकई ठेकेदारों से या योजनाओं में से अधिक स्टीमेट दिखाकर पैसा बचा लेते हैं जिसकी जांच हो रही है। दूसरा पहलू भी है जो छोटे अधिकारी हैं, जो होशियार और इंटेलीजेन्ट हैं वह हमसे आगे न निकल जांय इसलिए उनके खिलाफ गलत दरख्वास्तें दिलवा दी जाती है ताकि वह फंसे। इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के तरीके निकालने हैं। लेकिन कहीं विभाग के सब लोग डिमोरलाईज न हो जांय इसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन यदि डिमोरलाईज को जांच से पकड़ा गया तो उसको सख्त सजा देना है। सदन को अधिकार है कि उसको अधिक से अधिक सजा दे सकते हैं। लेकिन प्राइमाफेसी केस के लिए हमारे पास दरख्वास्तें आती है कि उसमें प्राइमा फेसी केस बना है कि नहीं उसकी जांच करायें तो इस तरह मान्यवर, हमने सलाह करके एक बात सोची है कि भ्रष्टाचार इतना और एक इंजीनियर जिस पास २०-३० हजार केसेस जिनकी जांच करनी होती है और इसके लिए दूसरे विभागों में विजीलेन्स विभाग है लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि इरीगेशन विभाग में कोई विजीलेन्स विभाग नहीं है। इसलिये यदि विजीलेन्स में भेजते हैं तो वह करेंगे या नहीं उनकी जिम्मेदारी हमारे प्रति नहीं है दूसरे विभाग करेंगे। दूसरे विभागों में जहां विजीलेन्स है वहां बढ़वायें और कोशिश हम यह कर रहे हैं कि इरीगेशन डिपार्टमेंट का अपना विजीलेन्स सेल हो जिससे कि हम सीधे बात कर सकें। कोई शिकायत आती है तो डायरेक्टर को बुलावें और उनसे कहें कि चार पांच दिन में इसको देखिये। अगर कोई प्राइमा फेसी केस बनता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जय और अगर नहीं बनता है तो उसको समाप्त कर दिया जाय। ऐसी नहीं कि केसेज लटके हुए हैं। पांच-पांच, सात-सात साल से केसेज पड़े हुए हैं। दो साल के तो काफी केसेज पड़े हुए हैं। उन पर फैसला नहीं हो पा रहा है।

मान्यवर, मैंने काफी समय सदन का ले लिया है। लेकिन थोड़ी बात खास तौर से असिस्टेंट इंजीनियर्स की बाबत और कहना चाहता हूं। उनकी एक खास दिक्कत रही है। उनका एडहाक एपाइन्टमेंट होता था। मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि १५/१७ साल से लोग पड़े है और उनका स्थायीकरण नहीं हो पाया। प्रोमोशन का तो सवाल ही नहीं। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि आइन्दा उनका कोई एडहाक एपाइन्टमेंट नहीं होगा। सब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये होंगे। इस साल तक जो लोग एडहाक थे उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेज दिया गया है। आइन्दा के लिए फैसला किया है कि एक लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन से मांगेंगे और जब जरूरत होगी उसमें से ही लोग रखे जायेंगे। यह विभाग तो बहुत बड़ा विभाग है और विकासशील विभाग है। अगर मैं कहूं कि सैकड़ों साल तक इसमें अभी गुंजाइश रहेगी तो गलत नहीं होगा इसलिए किसी को निकालने का तो सवाल ही नहीं है।

इस साल भी जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेजा गया है उनका भविष्य क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सरकार की हमेशा उनके साथ सहानुभूति है।

इस सम्बन्ध में एक बात और करना चाहता हूं कि एक सनवाल कमेटी एपाइन्ट हुई थी इंजीनियर्स की सर्विस कन्डीशंस देखने के बारे में, उनके ग्रेड्स को देखने के बारे में। उसकी रिपोर्ट आ गई थी और पिछली सरकार ने उसके लिए एक सब-कमेटी बनायी थी। आप पूछ सकते हैं कि उस पर अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ ? जो सब-कमेटी उस समय बनी थी वह बदल गई। अब दूसरी सब कमेटी बनानी है। वह उस पर विचार करेगी। अभी मैं इसे कहने लायक नहीं हूं कि मेरा क्या विचार है। वह तो सब-कमेटी विचार करेगी और निर्णय करेगी। लेकिन सरकार इस पर काफी सीरियस है। उसको हम टालना नहीं चाहते। जैसे और विभागों में है, रेवन्यू में है कि तहसीलदार का इतने दिन बाद प्रोमोशन हो जायगा। उनका यह ग्रेड होगा। लेकिन इस विभाग में कुछ नहीं है। इसलिए इस पर भी शासन सचेत है।

एक बात माननीय सदस्य और कहना चाहता हूं। खेती हमारी प्रदेश की पिछड़ी रही, बहुत पिछड़ी रही। उत्तर प्रदेश टेनेंसी ऐक्ट के लाने का क्या कारण था ? जमींदारी एबोलयूशन के बाद उसके द्वारा किसानों की स्टेबिलिटी बढ़ गई। किसानों को बेदखल नहीं किया जा सकता। उसी तरह से माननीय सदस्य, मैं चाहता हूं कि इस विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनकी स्टेबिलिटी आफ सर्विस होनी चाहिये। उनको विश्वास होना चाहिये कि अगर वे कुछ भ्रष्टाचार करेंगे, गलत काम करेंगे, तभी उनको सजा दी जायेगी, वरना स्टेबिलिटी आफ सर्विस होगी। तो इस तरह की, माननीय सदस्य, पालिसी है सरकार की। अब देखना है कि यह कहां तक सफल हो सकती है।

माननीय सदस्य, अब ज्यादा सदन का समय मैं नहीं लेना चाहता। फिर यदि किसी बात का जबाब देना होगा, तो दे दूंगा। सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा उस पक्ष के साथियों से यही निवेदन है कि अब वे क्या करेंगे इसका विरोध करके। इसको वे यूनानीमसला पास कर दें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय सदस्य, मैं....।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रियासत हुसैन जी, मैंने मिश्रा जी को बुला लिया है। अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

माननीय सदस्य, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६०--के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

[श्री श्यामधर मिश्र]

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६१—के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८४—के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८५—के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, इन सबकी कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना है ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, यह जो कटौती के प्रस्ताव का एजेंडा है, इसमें मिश्रा जी का कटौती का प्रस्ताव नहीं है। उसमें जिन लोगों को नाम दिये हैं, वे उसको प्रस्तुत कर सकते हैं । मेरा ख्याल है, श्री श्याम धर मिश्र जी को इस प्रस्ताव को रखने का अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें लीडर आफ दि अपोजीशन जिसको अधिकृत करता है, वह कटौती का प्रस्ताव पेश करता है । इसलिए माननीय मिश्र जी को अधिकार है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, जो मैंने एक रुपये का प्रस्ताव किया, तो वह तो केवल औपचारिक है । यह सही बात है कि इस विभाग को जितना मिलना चाहिये, वह नहीं मिला । यह सही बात है कि यह ऐसा विभाग है जिसने उत्तर प्रदेश में पिछले २५ वर्षों में काफी प्रगति की है । कुल ३० लाख हेक्टर की सिचाई इस प्रदेश में होती थी जब कि करीब-करीब एक करोड़ ७२ लाख हेक्टर खेती की सिचाई यहां होती है । जैसा माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया है कि पांचवी पंच वर्षीय योजना के शुरु में और चौथी पंच वर्षीय योजना के अंत में करीब-करीब ७५ लाख हेक्टर की सिचाई हो गई और लक्ष्य है पांचवी पंचवर्षीय योजना का और इस साल के अन्त तक ९० लाख हेक्टर हो जायगी । इसके माने यह हुये कि जब आजादी हमें मिली तो केवल करीब-करीब १५ फी सदी खेती यहां की सिंचित थी और आज करीब-करीब . . . (व्यवधान) . . . हम बतायें आप क्यों बतायेंगे ४५ फी सदी हो गई। लेकिन श्रीमन् देखा जाय सम्भावना क्या हैं । इरिगेशन कमीशन उत्तर प्रदेश ने, इरीगेशन कमीशन भारत सरकार ने यहां की सम्भावनाओं का पता लगाया है । यहां शत प्रतिशत सिंचाई नहीं हो सकती लेकिन हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां और बिहार में सब से अधिक प्रतिशत सिंचाई की सम्भावना है । जहां तक मुझे मालूम है करीब करीब ८० फी सदी खेतों पर अन्त तक आप सिंचाई कर सकते हैं ।

इस का मुख्य कारण यह है कि यहां की नदियों में भरपूर पानी है, भूमि पर पानी है और अन्दर पानी है और यहां के पानी का पूरा उपयोग हो । अब कहां

जा रहा है कि कावेरी गंगा योजना बने । श्रीमन्, मैं इस योजना का विरोधी हूं कि गंगा कावेरी योजना बने । गंगा, यमुना का उपयोग पहले हमारे प्रान्त में होना चाहिये । इस प्रकार की कावेरी की योजना की यहां कोई जरूरत नहीं है । मैं माननीय मन्त्री जी की बात की ताईद करता हूं जब उन्होंने कहा कि आज जो विषय है वह राजनीतिक विषय नहीं है । इस में कोई हमारा मतभेद नहीं है । मैं चाहता हूं ९० लाख हेक्टर में सिंचाई हो रही है तो वह जल्द से जल्द एक करोड़ हो जाय । श्रीमन् मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं । श्रीमन्, जो यह पुस्तिका उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने बांटी है मैं इस के लिए विभाग को बधाई देता हूं । मैंने करीब करीब जितनी भी विभागों की पुस्तकें बंटी हैं सब को शुरू से आखिर तक पढ़ा है लेकिन इस पुस्तक को यदि सही मानों में पूरा पढ़ा जाय, जिस को मैंने पढ़ा है तो एक शिक्षा मिलती है, ज्ञानवर्धन होता है और शुरू से, एक साल की बात नहीं है, सन् ५२ से विभाग के बारे में जानकारी होती है ।

तो श्रीमन्, मैंने स्टेटिसटिकल स्टेटमेंट देखा और उन आंकड़ों को देखा, हो सकता है मेरे आंकड़े गलत हों, लेकिन मेरे आंकड़े यह हैं कि आजादी जब हमें मिली सन् ५२ से पहले तो कुल १२ करोड़ रुपये सालाना लगभग सिंचाई पर खर्च होता था । इस साल श्रीमन्, तीन सौ करोड़ रुपये की मांग है, आज की मांग १३० करोड़ है लेकिन मैं लेखानुदान को ले कर के बात कर रहा हूं जो १६५ करोड़ होगी । तो ३०० करोड़ की मांग अकेले है और मेरा बस चले तो मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश के लिए अकेले ५०० करोड़ की मांग होनी चाहिये क्योंकि मेरा विश्वास यह है कि आमदनी उत्तर प्रदेश की बढ़ी है । आप स्टेटिसटिकल स्टेटमेंट को देखिये । १९६० में १९०१ करोड़ की आमदनी थी । १९७६ का सांख्यकी डायरी में लिखा है कि १९६० में जो आमदनी १९०५ करोड़ थी वह अब उसी अनुपात से लगा ली जाय तो २६०० करोड़ हो गयी है । उसके भीतर जाया जाय तो यह बढ़ोत्तरी ५५, ६० फीसदी है और वह केवल खेती के कारण है । इसलिए मुनाफा और लागत का रेशियो कम जो है उसे सिंचाई की योजनाओं पर नहीं लगाना चाहिय । इसमें आकड़े दिए हुए हैं । ७३-७४ के आंकड़ों के अनुसार सिंचाई योजनाओं से ६७ रुपये प्रति हेक्टर आमदनी हुई लेकिन खर्च १४२ रु० प्रति हेक्टर हुआ और इस किताब को देखने से ज्ञात होगा कि आज भी ज्यादा है बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि खेती भी बहुत आवश्यक है । उससे किसानों की पैदावार बढ़ रही है । प्रति एकड़ हजार रुपया अथवा दो हजार रुपये बढ़ रहा है । उसमें इसे जोड़ा जाय तो यह घाटा जो दिया हुआ है ४२ करोड़ सालाना तो यह घाटा कुछ नहीं है । ४२ करोड़ मन्त्री जी ने ब्याज लगवा दिया है जो ५ फीसदी पड़ता है । अगर इन योजनाओं पर ब्याज लगेगा तो फिर उत्पादन कैसे होगा ? आप इन योजनाओं को ब्याज रहित करिये ।

मैं एक बात और कहूंगा कि जो बड़ी-बड़ी योजनायें चल रही हैं हाइड्रो पावर, सिंचाई तथा नहर की जिनको इस पुस्तक के पृष्ठ १५० तक दिखाया गया है उनका ही बर्डन २०० करोड़ है । मुझे ज्यादा समय नहीं दिया जायगा वर्ना मैं एक-एक करके आपको दिखाता । जितना बड़ा बजट है उतनी लम्बी स्पीच मन्त्री जी की हुई लेकिन उतनी लम्बी स्पीच किसी और को करने नहीं दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप काफी बुद्धिमान हैं। थोड़े शब्दों में कह सकते हैं।

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं नहीं कह सकता कि और लोग दुद्धिमान नहीं हैं। लेकिन इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं यह कह रहा था कि यह जो ४० करोड़ रुपये का घाटा है वह घाटा नहीं है। ४० करोड़ का घाटा और इस साल ३०० करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट यह २५ वर्ष का अन्तिम प्रतीक है और अब जनता सरकार की शुरुआत है। मैं यह चाहूंगा कि ५ वर्ष में इसको ५०० करोड़ तक ले जाय और इसको बढ़ाये।

श्री सत्य प्रकाश (स्वायत्त शासन उप मन्त्री)—

आप वही बने रहियेगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

क्या अग्रवाल जी भी इसी तरह से व्यवधान करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

थोड़ा समय लगेगा मन्त्रियों को यह समझने में कि वे सरकार में हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

जहां पहले लागत और मुनाफे का रेशियो दो ढाई करोड़ होता था वहां वह आज ४२ करोड़ है। गूलों, लाइनों की व्यवस्था की गई। फिर आप दूसरे प्रदेशों को देखिये। तामिलनाडु को बहुत प्रगतिशील माना जाता है। महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा को भी बहुत प्रगतिशील माना जाता है। सबसे ज्यादा हम पंजाब तथा हरियाणा को सिंचाई योजनाओं में आगे समझते है। वहां आप चले जायं तो वहां भी रोज केन्द्रीय मन्त्रालय कहता है कि कास्ट एंड बेनिफिट रेशियो घटाइये। लेकिन वह इसकी परवा न करके आगे बढ़ते जाते रहते हैं। आप इस बात को सुने और केन्द्रीय मन्त्रालय से और प्लानिंग कमीशन से कहते रहे कि बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिए पैसा दे। मैं आपसे कहूंगा कि आपको ओवर ड्राफ्ट भी लेना पड़े तो प्रोडक्शन के काम के लिए लें और इन बड़ी योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करें क्योंकि ज्यों-ज्यों दिन ज्यादा लगेंगे। इनकी लागत बढ़ती जायेगी। आगर कोई १० करोड़ की योजना है तो उसमें एक करोड़ एक साल में दे देते है इससे तो प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जायेगी अगर आज १० करोड़ लगना है तो १० साल बाद उसमें २० करोड़ लग जायेंगे तो यह आपको नुकसान है। अगर केन्द्र से नहीं मिलता है तो स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार इसका इंतजाम करें आउट साइड प्लान इसके लिए रुपया लें इससे आप किसानों की मदद करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार धनी होगी।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नहरों की हालत और ट्यूबवेलों की हालत आज क्या है ? १९५२ तक नहरें ज्यादा थीं और वह भी पश्चिमी जिलों में थी इसी तरह ट्यूबवेल भी वहीं थे। यह आकड़े मेरे पास हैं अब आप देखें पहाड़ों में और बुन्देलखंड में और दूसरे क्षेत्रों में अब आपका ध्यान गया है। यह पुस्तक जो मिली है इसके पेज दो पर आप देखें। इसमें कुल ३० लाख का ब्रेकअप दिया है फिर ९० लाख का ब्रेकअप दिया है इसको देखने से पता चलता है कि सही माने में सिंचाई की व्यवस्था हो रही है। पश्चिमी

क्षेत्र में यह कम बढ़ रहो है क्योंकि वहां पहले से ज्यादा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और हिल रीजन में ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि यहां पहले कम थी। यह अच्छी व्यवस्था है। यह सरकार समस्याओं की उत्तराधिकारी है तो उपलब्धियों की भी उत्तराधिकारी है। जो उपलब्धियां हैं उनको और आगे लाया जाय। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि केवल समस्यायें ही हैं। इन २५ वर्षों में इस विभाग ने बहुत काम किया है। आप गूलों और नहरों को ले लीजिये जैसा कि मैंने देखा करीब ७० हजार कि० मी० नहरें और गूलें हैं। ट्यूबवेल का परसेंटेज इरिगेशन में इधर बढ़ा है लेकिन कमांड एरिया ट्यूबवेल का सरकार ने पहले ५ सौ एकड़ किया फिर ४सौ एकड़ किया और बहुत लड़ने के बाद कांग्रेस सरकार ने ३ सौ किया और अब तीन सौ पर वह स्थिर कर दिया है और जनता सरकार भी उसे ३ सौ पर ही स्थिर करना चाहती है। सिंचाई मंत्री जो अगर रबी और खरीफ का एवरेज निकालें तो वह दो सौ से ज्यादा नहीं होता है। जब आप किसनों को सिंचाई देने की बात करते हैं कि इतनी नहरें दे रखी हैं और इतने ट्यूबवेल दे दिये हैं लेकिन उसका फायदा उनको नही मिल पाता है। आप नहरों को पक्की करने की सोचिये। इसके लिए १०, २० करोड़ की आप व्यवस्था करें एक साल में अगर नहीं हो सकता है तो ५ साल के अन्दर उसे करें। आज नलियां जो हैं वह टूटी पड़ी रहती है इसीसे भ्रष्टाचार पनपता है। आज सीमेंट की कमी है लेकिन आपको जितना सीमेंट चाहिये आप सिंचाई विभाग के इंजीनियर साहब से ले लीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता जितना आपको चाहिए मिल जायेगा, आपको तो नहीं मिलेगा क्योंकि आप प्रश्न कर देंगे ...

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

तीस साल में आपने ही यह सिखाया।

(व्यवधान)

हमें तो अभी ६ महीने हुए हैं वह कमाण्ड एरिया मिलने की बात है, इसको तो हम देख रहे हैं--यह ३० साल के आपके कारनामों से आपका तजुर्बा है।

श्री श्यामधर मिश्र--

माननीय सदस्य हमसे ज्यादा देर तक रहे हैं कांग्रेस में ज्यादा दिन रहे हैं। आज ६ मुख्य मंत्री इस प्रदेश के इस समय जिन्दा हैं--श्री सी० बी० गुप्त, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, चौधरी चरण सिंह, श्री बहुगुणा, श्री कमलापति त्रिपाठी और श्री नारायण दत्त जी। और इनमें से ४ का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा मेरी समझ से। उनका कार्यकाल १५ वर्ष कम से कम रहा, जिनकी आप निन्दा करते हैं और मैं तो तारीफ करता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमन् आपका भी कार्यकाल था, आप मिनिस्टर थे, मैं उनकी तारीफ करता हूं, मैं तो उन सबको नेता मानता हूं ..

श्री अध्यक्ष --

श्यामधर जी, यह सारी खराबियां सन् १९६९ से पैदा हुई।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैं आपसे विवाद नहीं कर सकता, मैंने श्रीमन् का नाम नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष —

जब आपने उनका नाम लिया ..

श्री श्यामधर मिश्र —

श्रीमन्, गूलें अवश्य पक्की करवाइ जायें । एडवांस योजना बनवाएं, ५–१० स ल चाहे जितना समय लगे, लेकिन आप इसे अवश्य करें । एडवांस प्लानिंग आप इसको करायें । श्रीमन्, मैंने यह पुस्तक पांचवी पंचवर्षीय प्लान देखने की कोशिश की, इसमें है––कम से कम १० हजार नये ट्यूबवेल्स पांचवी पंचवर्षीय योजना में लगेंगे । अब आप प्रगति देखेंगे १४ हजार कुछ सौ तक लगे हैं और इस साल २५ सौ लगेंगे । तो रेंगते हुए आप चले जा रहे हैं । १५–१६ हजार तक आप पहुंच जायं तो अच्छा है । १० हजार के लक्ष्य की जगह आप ५–६ हजार तक पहुंच जाएं तो बड़ी गनीमत है । तो इस तरह से गैजेटिक प्लान में जो उत्तर प्रदेश में जरूरी हैं, उसका सर्वे आपके पास है, अच्छे–अच्छे आपके पास इंजीनियर्स हैं । पश्चिमी जिले से पूर्वी जिले तक कहां–कहा क्या सम्भावनाएं हैं उसका आप पता लगवाएं और उसी अनुसार काम करायें आप यह न कहिए कि कांग्रेस ने नहीं किया । अब आप आए हैं अब आप कीजिए, वह तो चले गये । अब आप तो काम करके दिखावें, जिससे जनता आपको न कोसे और हम न कोसें । हम रचनात्मक काम कर रहे हैं, हम कोई विध्वंसात्मक बात नहीं कर रहें हैं । रचनात्मक सहयोग के लिए मैंने आपसे कहा है और इस प्रदेश के अधिकारी जानते हैं कि मैंने कितनी उनकी नुक्ताचीनी किस तरह बराबर की है ।

मैं चाहता हूं कि कृषि और सिंचाई का महत्व बढ़े और बढ़ा है । आप कृषि और सिंचाई को जोड़ दीजिए इस पर चार या सवा चार सौ करोड़ है । १२ सौ करोड़ के ऊपर जो हमारी आमदनी है, तो हमारा इन्वेस्टमेन्ट कम से कम इतना क्यों न हो । फिर यह इन्वेस्टमेंट कम है । आप ट्यूबवेल में कमियां देख रहे हैं । इसमें आपरेटर्स लोग हैं, पटवारी का हाल राजस्व विभाग में सुन लिया पुलिस का सुन लिया और आप जानते हैं सिंचाई विभाग के ये आपरेटर लोग बड़े कलेक्टर लोग हैं । सबसे राहत है, लेकिन इनसे नहीं है । जो चाहते हैं एन्ट्री कर देते हैं । जिस तरह से चाहते हैं पानी देते हैं और खासकर गरीबों को पानी नहीं देते हैं ।

कोई व्यवस्था होनी चाहिए । कुछ सुधार हुआ है दो तीन वर्ष के अन्दर । बड़ी योजनायें बनीं पश्चिमी जिलों में । पूर्वी जिलो में इनकी योजनाओं पर पूरा काम नही हुआ । नतीजा यह है कि आपरेटर्स लोग जिसको चाहते है पानी देते हैं और जिस पर चाहते हैं चढ़वा देते हैं । अमीर को लिखवा देते हैं गरीबों को । जांच में गरीब ही मारा जाता है क्योंकि जांच करने वाले जैसे हैं, आप जानते हैं ।

रिग्स सौ हैं । कम से कम एक चौथाई बीमार रहती हैं । इनका अस्पताल बड़ा खराब है । हमारे जिले में दो तीन रिग हैं, एक दो बीमार रहती हैं । दो ढाई हजार ट्यूबवेल कैसे बनें ? कांग्रेस सरकार ने पेय जल की योजना चलाई, अब जल निगम बना दिया । बारह हजार ट्यूबवेल हैं क्यों नहीं इसी के साथ पेय जल योजना को नत्थी कर दीजिये ?

अब बाढ़ के सम्बन्ध में आऊंगा । इस साल कई करोड़ का नुकसान हो गया । तीन सौ करोड़ का प्लान बना उत्तर प्रदेश के लिए खर्च कितना कर रहे हैं, खर्च असल में १२–१३ करोड़ । पिछले साल इन्होंने खर्च किया १९७६–७७ में १४ करोड़

और प्रायारिटी देख लीजिए १६ करोड़ कर देते तब भी संतोष हो जाता, घटा कर ६ करोड़ कर दिया, ८ करोड़ ८४ लाख । यह कौन सी प्रायोरिटी है । मास्टर प्लान ३सौ करोड़ का है । मेरी समझ में नहीं आ रहा है ।

कुछ पम्प कैनाल की बात कहना चाहता हूं। खेमापुर पम्प कैनाल दस वर्ष हुए बनीं । ६सौ एकड़ की सिंचाई करनी है । सिंचाई विभाग कहता है कि मेरे में नही है, बांध विभाग कहता है कि मेरे में नहीं है । पिछले साल फैसला हुआ कि सिंचाई विभाग को दी जाय । बनारस से मिर्जापुर चली गयी । इलाका बनारस में है। लेकिन केवल ढ़ाई सौ एकड़ की सिंचाई होती है । भूतपूर्व मंत्री गये वादा कर आये, वर्तमान मंत्रियों का वही तरीका है । भगवान करे न हो । जाते हैं वादा कर आते हैं एक महीने में हो जायगा । अधिकारी लोग कह देते हैं, नहीं सर १५ दिन में हो जायगा और सब का सर कट जाता है । वैसे ही ज्ञानपुर पम्प कैनाल है । रेल मंत्री कमलापति जी त्रिपाठी ने १५ करोड़ की योजना बनवायी थी । हंडिया के पास इलाहाबाद में क्योंकि पूरा बनारस और मिर्जापुर सूखे की हालत में है । ट्यूबवेल नीचे जा रहा है, कुआं नीचे जा रहा है, सूख रहा है । उसमें सर्वे हुआ, डिवीजन खुला । मैंने तो पढ़ा उस योजना का नाम कहीं पाया नहीं ।

यह भी नहीं बताया कि विचार हो रहा है टेकनिकल एडवाइजरी कमेटी विचार कर रही-है । दिल्ली की टेकनिकल एडवाइजरी कमेटी को मैं जानता हूं, जो आप चाहेंगे वह कर देगी । मेरा निवेदन है कि उसको जल्द से जल्द कराया जाये ।

मान्यवर, ठेकेदारों से सामान खरीदा जाता है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ठेकेदारी प्रथा में है । रद्दी से रद्दी सामान ठेकेदारों से लिया जाता है । अब मुझे डर है कि कहीं हमारी बातों में ऐसा न हो जाये कि हमारे उत्तर भारत का नुकसान हो जाये देखने में ऐसा लगता है कि गंगा कावेरी योजना बहुत सुन्दर है । लेकिन होगा क्या आधा पानी का नुकसान हो जायेगा, क्योंकि विन्ध्याचल रेन्ज है । दूसरे केवल हमारा पानी वहां जायेगा उनका कुछ नहीं आयेगा । अगर करना है तो गंगा ब्रह्मपुत्र योजना बनाइये और इसका पानी किसी तरह से लावें । वह भी बिहार और कलकत्ता को मिलेगा । गंगा कावेरी योजना पर आप कदापि विचार न करें । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम पानी सस्ता देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपकी परिकल्पना है । कोई संभावना नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

अपनी कल्पना को संभावना में परिवर्तित नहीं करना चाहता । यह जो सरकार आयी है कई मुख्य मन्त्री इसके साथ हैं और यह सब उन्हीं के कार्य काल का है । इन शब्दों के साथ में बैठता हूं ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी का भाषण सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । उनका भाषण ऐसा था जिससे विरोधी दल और हम लोगों को अच्छा लगा और उसका समर्थन भी मिला । श्यामधर जी ने

[श्री सोहनबीर सिंह तोमर--]

जो सुझाव दिए वह किसी एक पार्टी के आधार पर नहीं दिए, उन पर शासन को ध्यान देना चाहिये अब तक क्या कमियां रही हैं उसके सम्बन्ध में मिश्र जी ने बताया। आडिट और पी० ए० सी० की रिपोर्ट बताती है कि १४३ भन्डार ऐसे हैं जिनमें पता नहीं कितना सामान है और १३५ खंड ऐसे हैं जिनके भंडारों का पता ही नहीं है सिंचाई की सारी योजनाओं का आधार तीन चीजें हैं ।

एक तो मान्यवर, रिसर्च, डिजाइन और सर्वे । ये तीन चीजें बुनियादी चीजें हैं, जिनके आधार पर सारी योजनायें बनती हैं । किस तरह का डैम बनेगा ? किस तरह की डैम की परिकल्पना होगी । वह सबसे पहिले रिसर्च में जाती है उसके बाद डिजाइन में और फिर सर्वे में जाती है । सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एवं दयनीय स्थिति इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के डिजाइन, सर्वे और रिसर्च विभागों में होती है वहां कोई जाना नहीं चाहता । हम लोग भी जानते हैं और कदाचित माननीय मन्त्री जी भी जानते होंगे कि उनके यहां कोई भी इन जगहों पर नहीं जाना चाहता । जो रिसर्च में है वह चाहता है कि दूसरी जगह चला जाये । डिजाईन वाला चाहता है कि दूसरी जगह चला जाय । सर्वे वाला चाहता है कि वहां से दूसरी जगह चला जाय । सबसे बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण बात यह है कि कोई भी इन जगहों पर नहीं जाना चाहता । डैम्स की जो योजनायें बनती हैं, उनमें कोई न कोई कमी रह जाती है । वहां के अधिकारी या तो काबिल नहीं हैं, या दिलचस्पी नहीं लेते या अच्छे लोग वहां नहीं जाते । जिसका नतीजा यह होता है कि सारे राष्ट्र को क्षति उठानी पड़ती है ।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें यह विचार करना होगा कि कैसे अच्छे लोग वहां जायें । जहां परिकल्पना योजनाओं की आधारशिला बनती है । उनके लिए इन्सेन्टिव्स की तलाश करनी पड़ेगी कि कौन से इन्सेन्टिव्ज उनको दिये जायें । इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि आप कितनी भी योजनायें बनायें, जब तक इन बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक समस्या हल नहीं होने वाली है । आप सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन की भांति कोई कमीशन बना दें जो इन लोगों की भर्ती करे । उनकी सेवा शर्तें तय करें और उसमें जाने वाले यह सोच कर जायें कि हमें वहां रहना है या फिर आप यह सोचें कि उनको किस प्रकार के इन्सेन्टिव्ज दिये जायें ।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने बाढ़ और कटाव के सम्बन्ध में कही है । यह एक ऐसी समस्या है जो कैजुअल नहीं है । इस सदन में हर साल इन्हीं तीन चीजों की चर्चा होती है । अनावृष्टि, बाढ़ या कटाव । क्योंकि कटाव तो हर वर्ष होता है जैसे पूर्वी जिले इससे बहुत प्रभावित हैं । यह ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाता है ।

अगर रवीन्द्र नाथ जी के गांव में कटाव हो रहा है, जो कि एक अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने अपने गांव के कटाव को रोकने के लिए वहां एक बांध बनवा लिया मगर इसी बांध का पानी पालीवाल जी के गांव को काट देगा । तो यह ऐसी समस्या है कि आप एक बांध से दूसरे गांव का कटाव नहीं रोक सकते । हरियाणा के लोग अपना कटाव तो रोक लेते हैं और वह पानी यू० पी० को काट देता है । अगर आप बिना किसी निश्चित योजना के कटाव रोकेंगे तो वह दूसरी जगह फैलेगा ।

इस सदन में हम लोग अपने जोरदार भाषणों द्वारा काफी असर पैदा कर देते हैं । अपने गांव में तो बांध ले लेते हैं तो वह दूसरे गांव को काट देता है

क्योंकि नदी कटान की जगह बदल देती है और कटान की समस्या हल नहीं हो पाती ।

यह समस्या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी दल की नहीं बल्कि सारे प्रदेश व देश की है । आप चीन का उदाहरण लीजिये । वहां एक नदी ह्वांगहो है जिसे चीन का शोक कहते है । उस नदी से होने वाले कटान से कम समस्या हमारे यहां नहीं है । हमें इसका इलाज तलाश करना होगा । आप देखें कि चीन में बिना किसी तकनीक के इंजीनियर के और बिना किसी योजना के केवल राजनीतिक आधार पर सारे राष्ट्र ने मिल कर नदी के दोनों किनारों पर बांध बना दिया । हमारे यहां के इंजीनियर्स चीन गये थे और उन्होंने लौट कर एक रिपोर्ट भी दी थी । इसे हमारे मंत्री जी भी जानते होंगे । उन्होंने कहा कि हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है । जब भी हम लोग यहां आते हैं तो वही पिटे-पिटाये रास्तों पर चलकर इंजीनियर्स से सलाह लेकर समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं ।

मैं कहता हूं कि इसे राजनीतिक लोग भी, जनता पार्टी के लोग भी बैठ कर सोंचे कि किस प्रकार के युद्ध स्तर पर इससे निपटा जाये । हम फावड़ा लेकर चलेंगे अपने यहां कि जनता से कहेंगे कि किसानों से कहेंगे कि आओ मिलकर बांध बनायें । आपको जानकारी होगी .....

मान्यवर, आप तो बहुत पुराने पार्लियामेन्टेरियन हैं । आपको मालूम होगा कि जब एक बार चाऊ-एन-लाई तिब्बत में किसी सड़क का उद्घाटन करने गये उन्होंने स्वयं ८ घंटे फावड़ा चलाकर उसका उद्घाटन किया । तो अगर हमें देश की दशा को बदलना होगा तो ऐसे कदम उठाने होंगे । कटाव का जहां तक ताल्लुक है अगर एक गांव का कटाव बचाया जायगा तो वह दूसरे गांव को अवश्य काटेगा । अगर हरियाणा में कटाव को रोका जायगा तो यू० पी० में अवश्य कटाव होगा । तो इस प्रकार से तो हम ७ जन्म भी नदियों के कटाव की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं । इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति पर विचार करना होगा । आपको चाहिए कि आप उन इन्जीनियरों की रिपोर्ट का अध्ययन करें जिन्होंने ह्वांग्हो नदी की योजना को देखा था तो हल निकल सकता है ।

अब मैं माननीय मंत्री जी को ट्यूबवेल्स की दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे यहां पर ट्यूबवेल्स पर १४-१५ करोड़ रुपया खर्च हुआ है और केवल १४-१५ हजार ट्यूबवेल्स हैं माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि सिंचाई विभाग कोई लाभ के लिए नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि दिवाला निकालने के लिए भी नहीं है । वर्ष १९६२-६३ में एक ट्यूबवेल पर जितना खर्च आता था व उससे आमदनी होती थी आज वह क्यों घट गई है ? हमें उसको देखना होगा । उसकी एफिशिएन्सी को देखना होगा कि यह क्यों गिरती जा रही है, उसकी प्रोडक्टीविटी क्यों गिरती जा रही है । उसका कारण मैं समझता हूं कि हमारे विभाग के पूरे इन्जीनियर्स और सरकार की नीति की कमी है और भ्रष्ट अधिकारियों की गल्ती है जिसे हमारे माननीय मन्त्री जी को समझना पड़ेगा । इन गलत नीतियों पर चलने के कारण इर्रीगेशन विभाग का सारा का सारा कार्यक्रम ठप्प होता जा रहा है । पहले हमारे यहां पर ट्यूबवेल्स में वर्टिकल टरबाइन सिस्टम था, यह बिल्कुल ठीक था क्योंकि मोटर ऊपर रहता था । चोरी होने के डर से ये कहते थे कि मोटर नीचे रहे । आज हमारे देश में हरियाणा में, पंजाब में और अधिकतर प्रदेशों

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर--]

में और हमारे यहां एल० ए० जी० ई० डी० में भी वर्टिकल टरबाइन सिस्टम है। सब लोग नीचे नहीं जा सकते हैं, ऊपर आसानी से देखा जा सकता है।

माननीय मंत्री जी को याद होगा कि वर्ष १९६८ में यह निर्णय लिया गया था कि जितने भी स्पेयर पार्ट्स होंगे वे उसी फर्म से लिए जायेंगे जिन्होंने ट्यूबवेल को लगाया होगा। १९७० में एक कमेटी बैठी थी और उसने भी यही फैसला किया था कि ट्यूबवेल्स के स्पेयर पार्ट्स उसी जगह से लिए जायेंगे, उसी कम्पनी से लिए जायेंगे, जिसने वह ट्यूबवेल बनाया होगा लेकिन दुःख की बात है कि आज तक भी वह निर्णय लागू नहीं हुआ है। अधिकतर ट्यूबवेल्स के स्पेयर पार्ट्स जो आज के चीफ इन्जीनियर के नौमिनेटेड लोग होते हैं, उनसे लिए जाते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। आपके यहां एक पूर्वी हिस्से में एक इन्जीनियर है। उनके लड़के की दुकान बेगम पुल मेरठ में है। जो भी वे परचेज करते हैं, उसके द्वारा होती है। उस इन्जीनियर के खिलाफ विजीलेन्स की इन्क्वायरी भी हो रही है। १० हजार मोटर के पार्ट्स इसी फर्म से लिए जाते हैं। इस प्रकार से सारा डिपार्टमेंट डूबता जा रहा है। जो छोटे-छोटे ठेकेदार हैं, वे इन्जीनियर्स के रिलेटिव्ज होते हैं। सारा काम इनके द्वारा कराया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि देश में जो बड़ी-बड़ी और रिलायबिल कम्पनीज हैं जैसे जौन्सन आदि उनसे अगर ट्यूबवेल्स के स्पेयर पार्ट्स खरीदे जायेंगे तो कम पैसे में मिलेंगे और वह कम्पनी एकाउन्टेबिल भी होगी। कमीशन भी लेंगे तो कम होगा। इसलिए इंजीनियरों से मिलकर जो ये टुटपूंजिये लोग साठ-गांठ कर लेते हैं, उनका इलाज होना चाहिए। अगर मंत्री जी इस विभाग को ठीक करना चाहते हैं तो यह तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक कि ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध सिंचाई विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जायगा और ट्यूबवेल के लिए सामान की खरीद में, स्पेयरपार्ट्स की खरीद में इस तरह की बंगलिंग न हो। अगर इस तरह ध्यान देंगे तो सिंचाई विभाग में कोई परिवर्तन हो सकेगा।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है कुछ निवेदन करने के लिए इस सिंचाई विभाग की अनुदानों के सम्बन्ध में। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता भाई ने कहा माननीय मंत्री जी वस्तव में सराहना के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसी योजनाओं को इतने विस्तार से सदन के सम्मुख उपस्थित करके हमें इतनी जानकारी दी है। जैसा कि मुझ से पूर्व वक्ता भाई ने कहा है, सिंचाई में हम जितना भी पैसा लगाते हैं उसका बहुत अच्छा रिटर्न हमें खेती के रूप में मिलता है और मेरा यह निवेदन है कि मंत्री जी स्वयं देखेंगे कि जो पैसा सिंचाई में लगाया जा रहा है यदि वह हमारे बजट से उतना उपलब्ध नहीं होता जितना चाहिए तो क्या हम लोन पलोट करके भी आवश्यक योजनाओं को जिन्दगी नहीं दे सकते हैं ? हमने देखा है कि सिंचाई में जो पैसा लगाया जाता है उससे ज्यादा लौट कर धन मिलता है खेती की फसल के रूप में। अगर हमें प्लानिंग कमीशन से इतना पैसा नहीं मिलता है जितना कि प्रदेश को मिलना चाहिए, यही कहानी रही है और यदि प्रदेश पिछड़ा हुआ है तो उसका एक कारण यह है कि फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन से यह प्रदेश अपने बजट के अनुसार कभी भी पिछले वर्षों में इतना प्राप्त नहीं कर सका है, तो ऐसी हालत में हमें लोन पलोट करना चाहिए।

हमें कल खुशी हुई गृहमंत्री से सुन कर कि आगे ऐसा नहीं हो पायेगा और आबादी के अनुपात में आगे से प्लानिंग और फाइनेंस कमीशन से अलाटमेंट होंगे। मैं सिफारिश करता हूं कि जो कल गृह मंत्री जी ने कहा है केन्द्र के द्वारा उसका पालन किया जायगा लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजनाओं की आवश्यक मद को देखते हुए सरकार गम्भीरता से इस बात पर विचार करे कि हम क्या अलग से लोन प्लोट करके इन योजनाओं का कार्यान्वियन करें तो कहां तक उचित होगा ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह मथुरा जिले से सम्बन्ध रखती है । माननीय मंत्री जी का बड़ा कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मथुरा जिले के प्रति ध्यान आकर्षित किया है वहां जो तबाही बाढ़ से शुरू होती है उसका वर्णन करना शब्दों में कठिन है । मंत्री जी ने दौरा करके स्वयं देखा तो उन्होंने कहा कि कुछ भी मुझ से कहते मथुरा निवासी लखनऊ में बैठ कर किन्हीं भी शब्दों में तबाही का वर्णन करते तो मुझे विश्वास नहीं हो सकता था जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं । यहां की हालत इतनी दर्दनाक है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती । श्रीमन्, मुझे इस पृष्ठभूमि में एक बात निवेदन करनी पड़ती है । मथुरा जिले की यह तबाही आज २५ वर्ष से इसी प्रकार से होती चली आ रही है । इस पैमाने पर तबाही होने के बावजूद मथुरा जिले में जितनी योजनाएं बनी हैं अधिकतर केवल कागज पर बनकर रह गयी हैं और जब बाढ़ की तबाही हमारे यहां आती है तो सरकार के बड़े बड़े इंजीनियर महानुभाव जाकर बड़ी-बड़ी बातें कह आते हैं, लेकिन जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो सारी बातें भुला दी जाती हैं । मेरा विश्वास है कि बलवीर सिंह जी जो कुछ देख कर आये हैं उससे उनका हृदय जिस कदर द्रवित हुआ है तो उसके अनुसार इस बार पिछले वर्षों की तरह से नहीं होगा और हमें निश्चित योजनाओं को कार्यान्वित होते हुए देखने का अवसर मिलेगा ।

एक योजना जो गर्की को दूर करने के लिए हमारे जिले के लिये पिछले कुछ वर्षों में हमें प्रदान की गयी गोवर्द्धन ड्रेन के रूप में उसको इतने गलत तरीके से बनाया गया कि बजाय हमको लाभ पहुंचाने के किसी हद तक हमें नुकसान पहुंचाने वाली योजना वह साबित हो गयी । उसको बजाय नेचुरल फ्लों पर ले जाने के इधर उधर कर के इतना दोषयुक्त बनाया गया कि उससे नुकसान होने लगा । अब नयी योजना के अनुसार उसके पैरेलल एक ड्रेन बनाने की बात हुई है । मैं समझता हूं कि उसमें नेचुरल फ्लों का ध्यान रखा जायगा ।

मैं टेक्निकल बातों में न जा कर एक-दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह कि योजनायें बनायी जाती है, पैसा दिया जाता है लेकिन एक बड़ी कमी यह रह जाती है कि स्टाफ नहीं दिया जाता है । स्टाफ न दिये जाने के कारण पिछले वर्षों में ऐसा हुआ है कि हमको पैसा दिया गया और कहा गया कि आपके जिले के लिये यह पैसा दिया जा रहा है । लेकिन वह पैसा सरेन्डर करना पड़ा क्योंकि जो स्टाफ उसको कार्यान्वयन करने के लिये आवश्यक था वह नहीं दिया गया । मेरा निवेदन है कि यह बहुत आवश्यक है कि पिछले वर्षों में भी जो एलाटमेंट्स किये गये हैं उनके लिये पहले स्टाफ दिया जाय । मेरा ख्याल है कि कम से कम दो सर्किल जब तक मथुरा जिले के लिये नये सिरे से नहीं खोले जायेंगे तब तक कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं हो सकेगी ।

मुझे बताया गया है कि सिंचाई विभाग की तरफ से अर्थ मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजे गये पिछले वर्षों में स्टाफ के लिये लेकिन अर्थ मंत्रालय ने उनका क्लियरेन्स नहीं दिया । तो यह जो लाल फीताशाही अर्थ मंत्रालय की है मैं समझता हूं यह दृढ़ता के साथ समाप्त होना चाहिये । अर्थ मंत्रालय अनेक बार हमारे लिये ऐसी दिक्कतें पैदा करता है कि हमारी बहुत सी अच्छी योजनायें भी उसकी वजह

[श्री कन्हैया लालगुप्त —]

से खत्म हो जाती है । मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे और इस तरह की अड़चनें हमारी योजनाओं में नहीं आने दी जायेगी ।

(इस समय १ बजकर ४२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए)

इसके साथ ही एक बड़ा दुखद अध्याय हरियाणा और राजस्थान की सरकारों का विशेषकर आगरा और मथुरा जिलों के प्रति रहा है । अभी जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया हरियाणा और राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में पानी मथुरा की तरफ आता है । उस पानी के रेगुलेशन के लिये एक रेगुलेटर बनाया हुआ है जिसे कामा रेगुलेटर कहते हैं और दूसरी तरफ एक बांध बनाया हुआ है जिसे लालपुर बांध कहते हैं । वह कोई बांध नहीं है, एक सड़क है, थोड़ा सा भी पानी का प्रेशर होता है और वह बांध टूटने लगता है । कामा रेगुलेटर के बारे में एक एग्रीमेंट राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच में किया गया है जिसके अनुसार पहले ८४० और अब १०४० क्यूसेक पानी ही उत्तर प्रदेश को लेना चाहिये । लेकिन पिछले वर्ष बजाय १०४० के, मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं, ५ हजार क्यूसेक्स पानी का प्रेशर उत्तर प्रदेश में आ गया और अबकी २ हजार क्यूसेक्स पानी इस तरह आने की नौबत आ गयी । हमारे इंजीनियर्स ने रात दिन एक करके हमारे जिले को बचाया, बराबर पानी को रेगुलेट किया और उधर के इंजीनियरों से कहा कि इससे ज्यादा पानी हम हर्गिज इधर नहीं आने देंगे । शायद केन्द्रीय इंजीनियरों के हस्तक्षेप से वह तबाही रुक सकी नहीं तो हमारे जिले के सैकड़ों गांव बह जाते । मैं चाहूंगा कि इस समस्या को सुलझाने के लिये हमारी सरकार केन्द्र के साथ अपने प्रभाव को इस्तेमाल करें ताकि कोई न कोई उपाय निकल सके । आपस में यह सुलझने वाला नहीं है ।

अभी ६ अगस्त की बात है । माननीय मंत्री जी मथुरा गये थे और उधर से दोनों सरकारों के प्रतिनिधि आये । जो कुछ भी वहां पर मीटिंग में तय हुआ मुझे उम्मीद है कि राजस्थान सरकार उसको अमल में लायेगी और उस इकरारनामे को ठीक से मानेगी, क्योंकि उस इकरारनामें के बाद भी जो पिछली तबाही हुई, उससे बहुत अधिक पानी उन्होंने इधर भेजना शुरू कर दिया, जिससे हमारे इंजीनियरों के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी कि कैसे उस पानी से गांवों को बचायें । अमल में उन वादों को नहीं लाया गया । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश इस मामले को केन्द्रीय सरकार के द्वारा हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को ठीक रास्ते पर लाकर, उत्तर प्रदेश की इस समस्या को सुलझाने की कृपा करेंगे ।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, आज माननीय मंत्री जी ने अपने घंटे, सवा घंटे के भाषण में सिंचाई विभाग की जो मांग प्रस्तुत की और उसमें जो विस्तार के साथ इस तरीके से सब बातें रखीं कि जिससे मूल प्रश्नों के ऊपर सिंचाई से सम्बन्धित रोशनी पड़ी, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि माननीय मंत्री जी का तजुर्बा और माननीय सदन और मैं तो खासतौर से उनकी बहुत इज्जत करता हूं । उन्हें एक नवजवान उप मंत्री भी सहयोगी की हैसियत से मिले हुए हैं । एक मसल चली आ रही है कि छप्पर को चढ़ाने वाला न हो तो खींचने वाला भी नहीं होता । जो आप करना चाहते हैं, क्या आप समझते हैं कि जिस छप्पर को खींचने वाले बड़ी तादाद में हों, तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसको आप चढ़ा सकेंगे ? वह मुझको उम्मीद पड़ती नहीं । श्रीमन्, अगर आप सबसे पहले अपने इस्टीमेट्स को लेकर देखें तो बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि केवल सिचाई विभाग ऐसा है जिसमें आज भी २२--३५ रुपये तक के ग्रेड के आदमी हैं, साढ़े २२ सौ वाला भी है, २५०० वाला भी है । २२ रुपए से लेकर ३७ रुपये तक का भी है । यों तो ६० रुपये वाले, ६० से ८० रुपये वाले, ७५ से ११० वाले ऐसे बहुत से हैं । कहा यह जायगा कि यह पुराना वेतनमान है, लेकिन अगर पुराना वेतनमान है, तो क्या कोई विभागीय इंजीनियर या चीफ इंजीनियर अपनी जेब से उनकी तनख्वाह देंगे ? बजट जो पेश हुआ है यह पास करेंगे । इसमें लिखा है कि पहली अप्रैल, १९७६ की स्थिति के अनुसार लेकिन इसी के अन्दर २२ रुपये से ७५ रुपये, ६० रुपये से ११० रुपये के वेतनमान के काफी कर्मचारी मौजूद हैं ।

इसी के साथ-साथ अगर आप इस्टीमेट्स को उठाकर देखें तो विभाग में इस वक्त दो एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं । एक तो चीफ इंजीनियर हैं ही, लेकिन उनके साथ दो अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता हैं । मैकेनिकल के ११ हैं, आपके सिविल के श्रीमन्, बड़े अफसोस की बात है दो जो मैकेनिकल हैं, इनका ट्यूबवेल से सम्बन्ध है । लेकिन ये दोनों टेम्पोरेरी और उन ११ में से ७ परमानेन्ट और दो टेम्परेरी हैं, लेकिन इसमें दोनों के दोनों टेम्पोरेरी और पूरा प्रदेश जानता है कि सिचाई की सबसे अच्छी व्यवस्था ट्यूबवेल की ही साबित हुई है और उसीको अगर आप उठाकर देखें, अपना जो आबपाशी का रेशियो है, उसमें ट्यूबवेल का रेशियो ज्यादा अच्छा हुआ है । ट्यूबवेल का रेशियो आपका ६९-७० में २८.९ परसेन्ट था, जो बढ़ कर के १९७४-७५ में ४०.१ प्रतिशत हो गया । कैनाल्स में ३५.३७ परसेंट १९६९-७० में था जो १९७४-७५ में बढ़कर ३३.८ प्रतिशत हो गया । यानी की २ प्रतिशत घट गया । यह आपकी जो स्टेटिस्टिक्स की है उसी का हवाला में दे रहा हूं । आज इस वक्त खेद की बात यह है कि आज जो आप बजट मांग रहे हैं, तो सन् ६९-७० में ४१ करोड़ रुपये की ग्रांट्स आपने मांगी थी और आज वह ११६ करोड़ रुपये हो गयी है । इन पांच सालों में ढाई गुना हो गयीं । बजट ढाई गुने बढ़ गया, परन्तु एरोगेशन का जो आपका परसेंटेज है वह ६९-७० में ४०.३ परसेंट था और ७४-७५ में यह ४५.३ परसेंट हो गया । केवल ५ परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई है । जबकि बजट की रिक्वायरमेंट ढाई गुनी हो गई है इन पांच सालों में । यह भी कहा जा रहा है कि बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बड़े-बड़े डेम्स में । इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ बड़े-बड़े बांध भी बन रहे हैं ।

अब जो आपका इस्टेबिलिश्मेंट है उस तरफ देखें । जो आपके यहां काम करते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, इनके बारे में आपने कुछ कहा है । वे इस विभाग के रीढ़ हैं, कृषि विभाग की रीढ़ हैं । असिस्टेंट इंजीनियर, यह एक ऐसा पद है जो फील्ड और दफ्तर, हर जगह के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन उसमें आपने क्या किया, जैसा कहा कि इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन सबको भेज रहा है । ५९७ ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर हैं जो एडहाक बेसिक पर काम कर रहे हैं ५१२ सिविल के हैं और ८५ मैकेनिकल के हैं । इसके अलावा १३५ आप और एप्वाइंट करने जा रहे हैं। आप इनको पब्लिक सर्विस कमीशन भेज रहे हैं तो क्या आपने यह भी सोचा है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कितने सालों के बाद नौबत आयगी कि वह इन असिस्टेंट इंजीनियरों के मसलें को देखें । इनको १०-१२ साल

[श्री रियासत हुसैन---]

एडहाक अरेंजमेंट पर हो गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने पर ५-७ साल लग जायेंगे। तो क्यों नहीं आप जिसके ३ साल हो गये हैं, जिसने ३ साल तक ठीक तरीके से काम किया है, उसको कन्फर्म कीजिये और फारमल एप्रूवल के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दीजिये तो कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी तरफ आपने ५-३-२ का फारमूला बनाया था। इसमें जो १८ साल से असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहे हैं, इसी उम्मीद पर कि इनको तरक्की होगी। १९६३ में ग्रांट भी ली गयी थी। २१७ जगहें भरी गयीं थीं। पुराने जो असिस्टेंट इंजीनियर्स थे वह ३०२ जगहों के हकदार थे। लेकिन २६८ जगहें भरी गयी। ३४ की कमी हो गयी। इसी तरह से जो सीधे भरे गये तो ७७ जगहें उनको मिलनी चाहिये थीं। लेकिन ११८ को सीधे लिया गया। इसलिये पहले जो ३४ की कमी रह गयी है उसको पूरा कीजिये। ताकि वह इतमिनान के साथ काम करें।

श्रीमन्, अब सरकार इस बात को देखें, जैसा मैंने कहा कि छप्पर उतारने वाली बात है। यह छोटी सी किताब है जो आपके सामने है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की १९७५-७६ की रिपोर्ट है। इसमें श्रीमन्, बहुत से केसेज हैं। १८ केसेज ऐसे हैं जिसमें १ करोड़ २९ लाख और ९४ हजार रुपये का घपला इन्वाल्वड है।

श्रीमन्, पूरा सदन ताज्जुब करेगा कि एक केस बड़ा मजेदार है कि फतेहपुर में दपसोरा पम्प कैनाल पर १२ लाख रुपये खर्च हुआ है और १९७२-७३ म ७३ घंटे चली जिसमें ८ एकड़ जमीन की सिंचाई हुई। १९७३-७४ में फिर उस पर खर्च किया गया और तब १०९ घंटे चली जिसमें २६ एकड़ जमीन की सिंचाई हुई।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

अपने जिले के बारे में कहें।

श्री रियासत हुसैन—

१९७४-७५ में चली तो २० एकड़ जमीन भरी गयी और फिर १९७५ में उसको समाप्त कर दिया गया। यह छप्पर उतारने वाले हैं। माननीय, बड़ी-बड़ी योजनायें चल रही हैं जैसे टेहरी, शारदा, नानक सागर, बेतवा, राजघाट और कोसी आदि। आप शारदा सहायक योजना को देखें। श्रीमन्, जो कोयला ठेकेदारों को देते हैं ३० मैट्रिक टन तो एक लाख अच्छी इंटें देते हैं जबकि २०-२५ टन में एक लाख ईंट पक जाती है। लेकिन वहां (शारदा सहायक) क्वालिटी खराब होने के कारण ३० टन में ढाई टन कोयला और बढ़ा दिया है इस प्रकार साढ़े ३२ टन कर दिया गया है। सरकारी भाव कोयला ९० रुपये टन है। ब्लैक में २५० रुपये प्रति टन बेचा जाता है। इस प्रकार वहां १५ लाख रुपये का गोलमाल है। यह गोलमाल इन छप्पर उतारने वालों ने किया है। फिर आप देखें शारदा सहायक पोषक नहर में जो १९७५ में तैयार हो गयी और पानी छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक करोड़ का काम और हो गया। ८० हजार घन मीटर मिट्टी तली मे दिखाई गयी। उसके बाद फिर ५० हजार घन मीटर मिट्टी और दिखाई गयी कि तली में है। इस प्रकार श्रीमन्, इसमें १० लाख रुपये का गड़बड़ घोटाला किया गया है।

माननीय, दूसरा आइटम टापलीन का है जो एक करोड़ रुपये का खरीदा गया। मेसर्स हरीहर आटोमोबाइल, लखनऊ फर्म से बिना टेन्डर के यह खरीदे गये जिसमें १० लाख रुपये का गड़बड़ घोटाला किया। इस प्रकार कहां तक आप छप्पर उतारने वालों को देखेंगे?

माननीय, जंगलात साफ करने के लिये बहराइच में एक पार्टी को लिखा गया। उसका आकलन नहीं किया गया, जिसमें ३० लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

माननीय, अब लोहे को देखें। पोषक नहर में दो पुल बनाये गये हैं। ११२ किलोमीटर पूर्वी कल्याण साइफन पुल है और दूसरा पुल ११८ किलोमीटर बनाया गया। दोनों के नक्शे और डिजाइन एक हैं। लेकिन ११२ किलोमीटर जो पुल बना है उसमें १३४० मेट्रिक टन स्टील लगी है और दूसरा पुल जो ११८ किलोमीटर बना है उसमें ११४० मेट्रिक टन स्टील लगी है। २०० टन ज्यादा उस पर दिखाया गया। इस तरह से लाखों रुपये का घोटाला लोहे में हो गया। मेरठ के अन्दर जब कांफरेन्स हुई तो मन्त्री जी का ध्यान दिलाया गया कि एक चीफ इंजीनियर के मातहत काम करने वालों का एक करोड़ का घोटाला है जिसको जिलट्ज ने डिटेल में छापा। चूंकि समय कम है इसलिए मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर आप कहेंगे तो मैं दिखला दूंगा। इसी तरह शारदा सहायक में ६६·८१ करोड़ का इस्टीमेट था और ७८ में पूरी होनी थी लेकिन अब तक २३० करोड़ खर्च हो चुका और ८५ करोड़ और होगा। इस तरह यह ३१५ करोड़ तक हो जायगा और ८१ तक बन पायेगा। दो साल और बढ़ गये, रुपये बढ़े वह अलग अगर खुदा झूठ न बुलाये तो मैं कहता हूं कि २५ परसेंट तक उन लोगों की जेबों में चला जाता है इसको आप रोकिये।

ट्यूबवेल्स की बाबत दो तीन सुझाव देना चाहूंगा। इस वक्त यह एक कामयाब साधन है और पूरी स्टेट में १४ हजार ट्यूबवेल्स हैं। जो आपरेटर्स हैं उनमें ५,६७१ मुस्तकिल हैं, २,४६४ टेम्पोरेरी हैं। दोनों मिलाकर ८,४६५ हैं। इस तरह से करीब ६ हजार आपरेटर्स की कमी है। इम्तिहान हो चुका है। कृपा कर जल्दी से जल्दी उनको नियुक्त करें और ऐसा करें कि कम से कम एक ट्यूबवेल पर एक आपरेटर हो जाय। आज ट्यूबवेल्स में सबसे बड़ा मसला है उनके एफीशिएन्टली काम करने का। इसके लिए हर सब डिवीजन में एक जीप विद ट्रोली होनी चाहिए ताकि ट्यूबवेल के पुर्जों की सप्लाई विदिन टाइम हो सके। आप सप्लाई कानपुर से मंगाते हैं और कुछ पावर्स ई० ई० को है। मेरा यह सुझाव है कि आपके डिपार्टमेन्ट में एक कंट्रोलर होना चाहिए जो इस चीज को देखें। समय कम मिला इसलिए मैंने कुछ सुझाव रखे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपने चीजों को समझा है और कुछ करना चाहते हैं तो गोयल साहब जैसे लोग जिनको आपने और अच्छी जगह देहरादून भेज दिया, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाइये।

*श्री मुकीमुर्रहमान---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त कम है। जब मन्त्री जी अपना भाषण दे रहे थे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सच्चे मोती की लड़ी जैसी चीज मालूम हो रही थी। अब से दो महीने पहले मैंने मन्त्री, मुख्य अभियन्ता, सचिव को लेटर लिखा था और मिला भी था रामगंगा परियोजना, कालागढ़, टिहरी गढ़वाल, देहरादून डाकपाथर वगैरह के बारे में। इनमें जो कार्यभारी कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनकी १२ हजार की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुकीमुरहमान---]

संख्या आहिस्ता-आहिस्ता हटकर ५०० रह गयी । हमारे सदस्य रियासत हुसैन साहब ने सुझाव दिया कि यह करप्शन कैसे बन्द होगा । अगर हर स्कीम को लेकर सरकारी ढंग से काम करायेंगे और ठेकेदारों से नहीं करायेंगे तो यह ५ परसेन्ट वाली चीज बन्द हो जायगी । अब तो १७ प्रतिशत तक है । लेकिन इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह कहना कि सभी लोग गबन करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है । मेरा बहुत से इन्जीनियर्स से वास्ता रहा है । मैंने ३ हजार इन्जीनियर्स के साथ रह कर काम किया है । कालागढ़ में जो रामगंगा परियोजना है, उसमें जितने लोगों के साथ काम किया तो मैंने देखा कि वहां इन्जीनियर्स ने बारिश, धूप और अनेकों विषम परिस्थितियों का मुकाबिला किया । कालागढ़ की रामगंगा परियोजना में जहां कि शेर, चीते और अनेकों जंगली जानवर रहते हैं और जहां के पुलिस के लोग और एस० पी० आदि भी नहीं जाना पसन्द करते, वहां इन इन्जीनियर्स ने लगन के साथ काम किया है । बहुत से लोग तो अपनी जानें देकर शहीद भी हो गये । लेकिन उन्होंने इस देश को एक ऐसा डैम बना कर दिया जोकि इस देश में नहीं बल्कि पूरे एशिया में एक मिसाल है ।

मान्यवर, आज इन्जीनियर्स को बदनाम किया जाता है कि उनके द्वारा सीमेन्ट बिकती है, लोहा बिकता है । इसके लिये मैं कालागढ़ का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां जाकर देख लिया जाय कि किस क्वालिटी का माल लगाया गया है । आठ-आठ घंटों की शिफ्ट में बड़े-बड़े इन्जीनियर्स (सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर्स आदि) ने वहां काम किया । गार में खड़े होकर हमारे एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स, जूनियर इन्जीनियर्स ने काम किया । लेकिन उसकी वजह से और एवज में मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन इन्जीनियर्स को क्या मिला ? यह सुनकर हैरत होगी । जो प्रोजेक्ट के अन्दर काम करते हैं, ३० वर्ष के बाद रिटायर हो गये, उनके बच्चों की पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं रहा । उन्हें क्या मिलता है ? लेकिन जो गद्दार और बेईमान आफिसर्स हैं, उन्हें मैनपुरी से अलीगढ़ और अलीगढ़ से एटा भेजा जाता है । मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई पालिसी बनायी जाय कि हर आदमी को डिजाइन में रहना पड़ेगा, पहाड़ पर रहना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में रहना पड़ेगा, अगर इस तरह से हो जाय तो तमाम भ्रष्टाचार और बेईमानी का जो सिलसिला है, उसमें कमी आ जायेगी ।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चीफ इन्जीनियर के जो कैम्प असिस्टेंट या पी० ए० बिठाल रखे गये हैं, उनकी ओर इस सदन का और माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के अन्दर जो तमाम सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और बहुत से अभियन्ता हैं, वे इनकी चलन से, इनके व्यवहार से परेशान हैं । यह आम तरीका हो गया है कि किसी एम० एल० ए० केपैड पर लिखवा लाओ तो मैं देख लूंगा । मान्यवर, आज जो डिजाइन में असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स नहीं जाना चाहते, तो क्यों नहीं जाना चाहते ? एक असिस्टेंट इन्जीनियर को डिजाइन में भेज दिया लेकिन जिसको डिजाइन मिलनी चाहिये वह मुख्य अभियन्ता का असिस्टेंट है । उसको मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सारी सुविधा मिलेगी, मन्त्री और सचिव की कुर्बत हासिल होगी । हर फेशिलिटी उसको मिलेगी । लेकिन जो डिजाइन में काम करने वाले हैं या जो प्रोजेक्ट में काम करने के लिये भेज दिये गये हैं, उनका नाम कोई नहीं लेगा । न उनकी इस सदन में सुनवाई है और न माननीय मन्त्री जी के यहां। तो इस ओर खास ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मान्यवर, एक बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा जो ६३ और ६२ के बजट के बारे में है और जिसके बारे में रियासत साहब ने कह दिया है कि यह कहा गया कि एडहाक एप्वइन्टमेन्ट नहीं करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि अगर जनता सरकार ने यह नीति अपनायी कि एडहाक पोस्टिंग नहीं करेंगे, तो बड़ा मुश्किल होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इतने लोगों को पोस्टिंग नहीं कर सकता। इसका नतीजा होगा कि तमाम बेकारी बढ़ेगी। आखिर असिस्टेंट इन्जीनियर भी एक गजेटेड आफिसर है। बी० एस०-सी० की डिग्री के बाद इन्जीनियरिंग की डिग्री हासिल करता है। जो डी० एम० और एस० पी० हैं, और जो सेक्रेट्रीज अ ई० ए० एस० बनकर आ जाते हैं, उनको खासतौर से हस्त हासिल है। कहीं एडीशनल चीफ इन्जीनियर के दफ्तर में डी० एम जायं तो कलेक्टर साहब तशरीफ लाये हैं कहा जाता है। मैं बतलाना चाहता हूं कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर के रैंक को डी० एम० को भी आदर देना चाहिए। तहसील में तहसीलदार जाता है, एस० डी० एम० इजलास में जाता है; लेकिन इंजीनियर जाते हैं कहां ? नहरों में, जंगलों में, कच्चे में। जिस सदन में हम बैठे हैं इनका निर्माण करने वाला इंजीनियर ही होता है। यह ऐसी पोस्ट है। केवल सर्टीफीकेट लेकर डाक्टर डाक्टर नहीं बन सकता हालांकि सिफारिश लेकर तहसीलदार तरक्की कर सकता है; लेकिन एक इंजीनियर बी० एस०-सी० करे बगैर, सिविल इंजीनियरिंग करे बगैर, मेकिनिकल इंजीनियरिंग करे बगैर चीफ इंजीनियर नहीं हो सकता। इसलिए खासतौर से इस ओर आप को ध्यान देना चाहिए।

एक बात मैं और कह दूं जिसे बीच में छोड़ गया था। एडहाक इंजीनियरों की पोस्टिंग के बारे में मैं आप से गुजारिश करूंगा कि एडहाक एप्वइन्टमेन्ट बन्द न किये जायं लेकिन हर साल, दो साल या तीन साल उन को लेते रहें, पब्लिक सर्विस कमीशन उन को एप्रूव करता रहे। जो लोग ५९ से काम पर थे अभी तक परमानेंट नहीं हो पाये हैं। इस में आप को सचिव ने गलत नोट पेश किया है। जो ओवरसियर, जूनियर इंजीनियर १७ साल पहले एसिस्टेंट इंजीनियर के अंडर काम करते थे उनको उनका एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया जा रहा है। यह मनमानी जो की जा रही है यह एक मनसूबे के तहत की जा रही है। इस बारे में एक पालिसी जरूर होनी चाहिए; क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो १७ साल से काम करते आ रहे हैं उन का नम्बर कम से कम चार साल तक आने वाला नहीं है।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने माननीय मन्त्री जी को एक लेटर भेजा है उसकी कापी मेरे पास है। मुख्य अभियन्ता को भी लेटर भेजा है उसकी भी कापी मेरे पास है। इन की रसीद मेरे पास है। राम प्रकाश एसिस्टेन्ट इंजीनियर थे हरिद्वार हेड वर्क्स, देहरादून में। मुख्य अभियन्ता श्री मनोहर सिंह ने उनको पन्द्रह दिन में वहां से ट्रांसफर कर दिया क्योंकि अपने दामाद को रिटायर होने से पहले वहां रखा। दो महीने हो गये इस लेटर को जो मैंने ७-७-७७ को दिया था; लेकिन इसकी कोई सूचना मुझे नहीं मिली, कोई उत्तर नहीं मिला। इसे माननीय मन्त्री जी को भेज रहा हूं आप देखेंगे। इसमें दो बार टी० ए० बना, आने-जाने का खर्च और डी० ए० वगैरह। इसी तरह से ट्यूबवेल के चीफ इंजीनियर टंडन जी हैं। उनके लड़के

[श्री मुकीमुर्रहमान---]

की एक फर्म है मेरठ के अन्दर जहां से मोटरें खरीदी गयीं मुरादाबाद के अन्दर उन मोटरों में से १६७ मोटरें खराब हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुकीमुर्रहमान---

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं । जैसा कि मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि सिंचाई विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका बड़ा महत्व है, उसका सीधा सम्बन्ध किसानों से है, अगर सिंचाई की सुविधा सरल कर दी जाय तो किसानों की बहुत सारी समस्यायें आप से आप हल हो जायेंगी लेकिन दुःख का विषय है कि इस महत्वपूर्ण विषय की ओर भी पिछले तीस वर्षों से सरकार ने ध्यान नहीं दिया बड़ी-बड़ी योजनायें देश के अन्दर बनीं लेकिन उनका जितना लाभ सिंचाई में होना चाहिये था संभव नहीं हो पाया । मैं उदाहरण स्वरूप बस्ती जिले की एक योजना की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह कि बानगंगा नहर हमारे बस्ती जिले में बहुत पहले बनी थी । बानगंगा नदी राज्य नेपाल से निकलती है । कितनी विडम्बना है जब पानी बरसता है और फसल को पानी प्रकृति की ओर से मिलता है तो नहरें भी उफन कर बहती हैं; लेकिन जब सूखा पड़ता है तो नहरों में भी पानी नहीं रहता । दिसम्बर के अन्त तक नहरों में पानी नहीं रह जाता । जब कभी ट्यूबवेल लगाने की बात उस इलाके में कही जाती है तो जवाब आ जाता है कि यह तो नहरी क्षेत्र है जब कि उस नहरी क्षेत्र में दिसम्बर तक एक बूंद भी पानी उस नहर में नहीं रह जाता । उसमें राज्य नेपाल से पानी आता है । भविष्य में उस पानी को भी रोकने के लिये वहां योजनायें बन रही हैं ।

इस सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर सचेत हो कर उस समस्या को हल करने की तरकीब निकाले । जहां तक ट्यूबवेल का सवाल है पिछले तीस वर्ष के अन्दर राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके सिंचाई की सुविधाओं को प्रसाद की तरह बांटा गया । जहां तक पूर्वी जिलों का ताल्लुक है, विशेष कर बस्ती जिला ट्यूबवेल के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है । जिस इलाके से मैं चुन कर आया हूं वह ५०० गांव का इलाका है उसमें केवल ३ ट्यूबवेल हैं । एक गांव सेमरी है उसमें लगे ट्यूबवेल का मोटर खराब हो गया है । ग्राम सरपोका में ट्यूबवेल ५ वर्ष से बेकार है और इटवा में ट्यूबवेल की नालियां ठीक नहीं हैं । सूखे के समय में जब यह समस्या उठी तो इन तीनों ट्यूबवेल्स के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो पता चला कि सूखे के समय पर वहां के इंजीनियर का ट्रान्सफर कर दिया गया । मैं सरकार से कहूंगा कि ३० वर्ष तक जो होता रहा उसे अब न दोहराया जाय और सिंचाई के साधनों को राजनीतिक प्रभाव के आधार पर न बांटा जाय । अगर किसी भी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नहीं है तो उसे वहां उपलब्ध कराया जाय । अगर किसी मन्त्री का क्षेत्र है तो सारी सुविधायें उसी क्षेत्र को उपलब्ध न कराई जायं । कम से कम बस्ती जिले में ट्यूबवेल्स की कमी को देखते हुए वहां

सिंचाई की अधिक सुविधा दी जाय; क्योंकि इस साल भी उस जिले को अछूता रखा गया है ।

सिंचाई विभाग का बांध बनाने का भी उत्तरदायित्व है । जहां तक बांध बनाने का सवाल है कितनी विडम्बना है कि मेरे जिले में नदियों का जाल बिछा है । मेरा जिला राज्य नेपाल से मिला हुआ है । राज्य नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र से निकलने वाली सारी नदियां राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बानगंगा, घोंघी तथा छोटे-मोटे नाले नौगढ़ व बांसी तहसीलों के मैदानों में उतरते हैं और वह इलाका हर साल बाढ़ से डूबता है उस इलाके से जो बांध बनाने का काम विभाग की ओर से किया गया उसमें भी खिलवाड़ किया गया । बूढ़ी राप्ती के दायें किनारे पर मदरहवा (नगवा) नाम का बांध है उस पर १९७३ में थोड़ा काम शुरू किया गया बाद में १९७४ उसे विभाग ने छोड़ दिया और उस काम को आर० ई० एस० को दे दिया एक साल आर० ई० एफ० वालों ने काम किया और बाद में इसे उन्होंने भी बन्द कर दिया और उसके बाद में इस पर टेस्ट वर्क से काम हुआ । बीसों लाख रुपया इस पर खर्च किया गया लेकिन बाद में काम बन्द कर दिया गया । सही आंकड़े मेरे पास नहीं हैं लेकिन इतना कह सकता हूं कि १९७४ में बूढ़ी राप्ती में जितना पानी आया था वह २० मील क्षेत्र में भर गया था और १९७४ में जहां १५ दिन तक पानी भरा रहा वहां इस साल वह इलाका पानी से बचा रहा जबकि इस साल पानी नदी में ज्यादा था । यह एक महत्वपूर्ण बांध है इसकी तरफ सरकार को निगाह जानी चाहिये । इसमें ५-६ वर्ष हो गये हैं इस को कोई देखता नहीं है कि कितना रुपया खर्च हो गया बीस लाख रुपया खर्च हो गया लेकिन वह कार्य पूरा नहीं हुआ है ।

जहां तक ट्रान्सफर का सवाल है, बाढ़ इंजीनियर इसलिए जिले में तैनात किये जाते हैं कि जब बाढ़ आये वह देख भाल करें लेकिन यह दुख की बात है कि इधर बाढ़ आती है और उधर बस्ती जिले के इन्जीनियर का ट्रांसफर कर दिया गया । ठीक है ट्रांसफर होते ही रहते हैं लेकिन उस जिले में आज तक इंजीनियर की नियुक्ति नहीं की गई है । जिन कारणों से उस इंजीनियर का ट्रान्सफर किया गया, मान्यवर, मैं सदन में यह बात कह कर सदन की मर्यादा भंग नहीं करना चाहता हूं । लेकिन यह कितने दुख की बात है कि हमारे जिले के ट्यूबवेल इंजीनियर का भी ट्रान्सफर कर दिया गया । मालूम होता है कि बस्ती जिले के साथ इस तरह से सौतेली मां का सा व्यवहार किया जाता रहा है ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । यह सिद्धान्त की बात है और महात्मा गांधी का कहना था कि छोटी योजनायें देश के लिए ज्यादा कारगर हो सकती है । यह विडम्बना की बात है कि जब टेस्ट वर्क के लिए पैसा जाता है और कहा जाता है कि ताल तलैया गहरे किये जायें और यह पैसा अक्तूबर और नवम्बर और दिसम्बर के महीने में जाता है जबकि छोटे ताल तलैया में अक्तूबर, नवम्बर में वैसे ही पानी भरा रहता है । इसलिए यह काम मार्च के बाद होना चाहिये । जब काम का समय आता है तो पैसा लैप्स हो जाता है इसलिए छोटी योजनाओं के साथ इस प्रकार बड़ा अन्याय किया जाता है । मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं । मैं एक मिनट में खतम करता हूं मान्यवर, एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं कि हमारा बस्ती जिला जमींदारों

[श्री विश्वनाथ पाण्डेय]

का जिला था । जमींदारों ने बड़ी अच्छी योजनायें चलाई थीं जो बड़ी कारगर रहीं । मैं इस सरकार का ध्यान ऐसी ही एक योजना की तरफ खींचना चाहता हूं हमारे यहां एक परासी नाला पर पुरवा नामक पुल है यह रियासत बांसी की ओर से पुल बना था उसमें फाटक लगे हुए थे सितम्बर, अक्तूबर में इसमें पानी रोक दिया जाता था और लगभग दो सौ गांव उससे आवपासी करते थे । यह दुख का विषय है कि उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान नहीं गया अगर उस पुल को थोड़ा सुधार दिया जाय तो लगभग ढाई तीन सौ गांवों की समस्या अपने आप हल हो जायेगी मैं इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि सरकार अपनी नीति को परिवर्तित करेगी और इन गांवों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री श्यामधर जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

एक सदस्य--

कटौती का प्रस्ताव तो उन्होंने पेश ही नहीं किया है ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

नहीं, पेश किया है । आप थे ही नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

वह ठीक कह रहे हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

श्रीमन्, आज का सिंचाई बजट उत्तर प्रदेश की ८६ प्रतिशत जनता से सम्बन्धित है और हमारे उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सिंचाई के दृष्टिकोण से प्राकृतिक रूप से सारे प्रदेश को तीन भागों में बांटा जा सकता है । इसमें एक तो पहाड़ी इलाका है, दूसरा बुन्देलखंड है और तीसरा मैदानी इलाका है । जहां तक पर्वतीय इलाके का सवाल है आंकड़ों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि वहां जितना भी एरिया है, उसके ५० प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है । बुन्देलखण्ड में ५० से ८० प्रतिशत सिंचाई हो सकती है जो मैदानी इलाका है वहां पर ८० प्रतिशत से लेकर १०० प्रतिशत तक सिंचाई हो सकती है इसमें जब हम देखते हैं, जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किये हैं, उसमें यह बात सिद्ध है कि पूर्वी इलाका जो बुन्देलखण्ड का रहा है, उसमें पंचवर्षीय योजना के पहले केवल ९५ हजार एकड़ में सिंचाई होती थी, जबकि वहां पर ६,८६६ हजार एकड़ भूमि थी । इसके बरखिलाफ पश्चिमी क्षेत्र में ६,८५० हजार एकड़ भूमि सिंचाई के योग्य है, जिसमें से २,०९४ हजार एकड़ भूमि ऐसी है जो पंचवर्षीय योजनाओं से पहले सिंचित होती थी । लेकिन आज स्थिति यह है कि एक जगह पूर्वी इलाके में जहां पर ९५,००० एकड़ भूमि सिंचित होती थी, वहां पर आज ३,१९८ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वहीं पश्चिमी जिले में अब ३,३७० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वी और पश्चिमी इलाके में सिंचन साधनों की विषमता दूर की गई है और पूर्व की क्षमता पश्चिम के बराबर हो रही है, मेरा इस सम्बन्ध में आपसे सुझाव यह है कि जहां आप पूर्व और पश्चिम में समानता

स्थापित कर रहे हैं, वहां आवश्यक है प्रदेश में एक सामान्य सर्वे करायें और उसके माध्यम से जानने का प्रयास किया जाय कि उत्तर प्रदेश के कौन जिले हैं जहां सिंचाई के साधन अब भी बहुत कम हैं और कहां आवश्यकता के अनुकूल हैं ।

उत्तर प्रदेश में बहुत से जिले ऐसे हैं, जहां पर नहरें और ट्यूबवेल्स नाममात्र को हैं, इसके बरखिलाफ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा जहां के मंत्री और उप मंत्री हो जाते हैं, उनके और उनके पड़ोस के जिलों में सिंचाई के साधनों की भरमार कर दी जाती है और जहां पर के मंत्री और उप मंत्री नहीं होते हैं, वहां के क्षेत्र के प्रति उपेक्षा बरती जाती है । हम रुहेलखण्ड के जिला शाहजहांपुर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वहां पर केवल १७३ सरकारी नलकूप हैं, जबकि मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जनपद हैं, उनमें सबमें ३ सौ से साढ़े तीन सौ तक नलकूप निश्चित रूप से हैं । हमारे यहां कोई-कोई निर्वाचन क्षेत्र बिलकुल असिंचित छोड़ दिए गये है । तिलहर निर्वाचन क्षेत्र जहां से मैं चुनकर आता हूं, वहां पर एक भी सरकारी नलकूप नहीं है । मैं समझता हूं अगर जनपद के अंदर ६ निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो कुछ न कुछ तो तिलहर निर्वाचन क्षेत्र के लिए होना चाहिये था । लेकिन आपकी योजना इतनी त्रुटिपूर्ण है कि वहां पर एक भी सरकारी नलकूप नहीं है और ट्यूबवेल भी नहीं है । मैंने देखा है कि अपने रुहेलखण्ड के कई जिलों में नलकूप दिये हैं । इस वर्ष १५ सौ ट्यूबवेल्स लगाने की योजना बनायी गयी है । खीरी लखीमपुर को ३० ट्यूबवेल्स दिये, बरेली को ३५ ट्यूबवेल्स दिये, पीलीभीत को २५ ट्यूबवेल्स दिये और शाहजहांपुर को केवल ९ ट्यूबवेल्स दिये ।

श्री बलवीर सिंह--

२० हैं आपके यहां ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

२० की बात कह रहे हैं तो बाद में एलाट किये होंगे । इससे पहले ९ ट्यूबवेल्स थे । मैंने एक बात कही थी कि आप पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे कराइये, हर जनपद का, हर क्षेत्र का सर्वे कर इये कि कहां पर ट्यूबवेल्स की आवश्यकता है । वह पूरी हो पा रही है या नहीं ताकि लोग कह सकें कि जब सिंचाई मंत्री आप बने तो हर कोने की तरफ आपने ध्यान दिया था ।

अभी आपने कहा कि नहरों की पटरियों पर कटान किया जाता है । आपने कहा कि वह कटान वही व्यक्ति करता है जिसकी भूमि सीमा पर होती है और उसको आवश्यकता होती है । कटान वह लोग करते हैं जिनके खेत सूखे रहते हैं । लेकिन अगर इस कटान को आपकी तरफ से प्रोत्साहन हुआ तो नहर का पानी टेल पर ही नहीं, थोड़ी दूर के बाद ही सूख जायगा । आवश्यकता इस बात की है कि जहां पर कुलाबा नहीं है वहां पर अस्थायी या स्थायी कुलाबा दें और आप कोशिश करें कि कटान न हो ताकि नहरों की लम्बाई का सदुपयोग हो सके और नहरों का पानी आखिर तक पहुंच सके । छोटे-छोटे किसान भी पानी पा सकें । अगर आप की तरफ से कटान को लेशमात्र भी प्रोत्साहन मिला, कि वह अपनी भूख मिटाने के लिए नहर काटता है तो आपके अधिकारियों और कर्मचारियों की फौज नहर की व्यवस्था नहीं कर सकती है और अन्जाम यह होगा कि आप का पतरौल भ्रष्टाचार का सरदार बन जायेगा । कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर पतरौल खुद नहरों को

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

कटवाते हैं । जो लोग उसको पैसा नहीं देते हैं उन पर तावान बांध दिया जाता है । हम जनपद की अनेक समस्याओं को ले कर इंजीनियर साहब के पास गये । उन्होंने विचार किया । होता यह है कि कुछ लोग पतरौल से मिल कर नहर काटते हैं और सिंचाई करते हैं ।

आपके इंजीनियरों पर एक दोष लगाया जाता है, जो कुछ हद तक सही भी है कि नहर बनाने वाले ठेकेदारों से आपके इंजीनियर्स कमीशन लेते हैं । मैं एक उदाहरण सीतापुर का प्रस्तुत करता हूं । राधेश्याम उर्फ नम्बरदार ठेकेदार जिसने ईमानदारी से काम किया, कभी कमीशन नहीं दिया, नतीजा यह है कि उसका २ लाख ८ हजार रुपया कार्य समाप्त होने के बाद कई वर्षों से भुगतान नहीं हो पा रहा है । उसका एक मात्र कारण यह है कि वहां के इंजीनियर को कोई कमीशन नहीं दिया । अगर इन बातों को प्रोत्साहन मिला और ठेकेदारों ने महसूस किया कि अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो पैसा नहीं मिलेगा और पैसा नहीं मिलेगा तो रोजगार नहीं चलेगा, तो ईमानदारी से लोगों की आस्था उठ जायगी जिसका नतीजा अच्छा नहीं होगा ।

सिंचाई विभाग के अन्दर फ्लड कंट्रोल भी है । मेरे जनपद शाहजहांपुर में जो एक समस्या है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । आप तीस साल की बात करते हैं, मैं भी वह कह रहा जो कांग्रेस नहीं कर पायी, आपसे जनता उम्मीद लगाये बैठी है । शाहजहांपुर में रामगंगा नदी का कटाव हो रहा है । खेड़ा बझेड़ा क्षेत्र में हजारों गांव के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है । एक नाला है उसमें दरिया की धारा पड़ जाने की आशंका है । इंजीनियर्स ने देखा । रिपोर्ट की । परन्तु क्षेत्र के गांवों तथा आराजी के कटाव को रोकने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अब समाप्त करें ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

मेरा निवेदन है कि जो मैंने बताया है उस पर ध्यान देने की कृपा करें ताकि जनता को राहत मिल सके ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो समय मुझे बोलने के लिए दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जो भाषण सिंचाई मंत्री जी ने किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रदेश में किसान के बेटे का राज्य है न कि किसी विशेष व्यक्ति का । मैं थोड़ा सा ध्यान आपका बस्ती जिले की ओर ले जाना चाहता हूं । बस्ती जिले में, जो पुस्तिका बंटी है उसके हिसाब से ४४४ नलकूप मिले हैं लेकिन जो रबी सेमीनार गोरखपुर में हुआ था उसकी पुस्तिका में ४३३ नलकूप बस्ती जिले को मिले हैं, ऐसा लिखा है तो मुझे नहीं मालूम कि इन १४ नलकूपों का हेरफेर कैसे हो गया है । इस प्रकार से १,६८० हेक्टर सिंचाई का फर्क आता है । पूरा एरिया जो बोया जाता है वह एक करोड़ ६६ लाख ९२ हजार हेक्टर है और बस्ती जिले में ५ लाख ६१ हजार हेक्टर बोया जाता है । यह ३·३६ प्रतिशत के लगभग आता है । बस्ती जिले में ७९,६३५ हेक्टर नलकूपों से सिंचाई की जाती है जिसमें सरकारी और निजी नलकूप शामिल हैं । यह बस्ती जिले में बोये गये क्षेत्र

का १६ प्रतिशत है । इस साल २,५०० नलकूप की योजना है । मैं चाहता हूं कि जो टोटल सोन एरिया है उसके अनुसार ३ ३६ प्रतिशत नलकूप बस्ती जिले को दिया जाये । २,५०० का ३·३६ प्रतिशत ८४ होता है । तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बस्ती जिले के लिए कम से कम ८४ नलकूप देने पर विचार करें ।

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र खेस रहा की ओर ले जाना चाहता हूं । ५ प्रतिशत सरकारी नलकूपों से सिंचाई होती है और यदि ५ ही प्रतिशत निजी नलकूपों से मान लिया जाये तो १० प्रतिशत सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है । मान्यवर, यह बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है । इसीलिए माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि बस्ती जिले की ओर ध्यान दें । मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं कि नलकूपों के साथ ही साथ नालियां भी बनवाई जायें । जो नालियां हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है और जो पानी होता है वह इधर उधर बह जाता है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । मैंने अधिकारियों से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ कि फन्ड उनके पास नहीं है इसके कारण यह कार्य नहीं हो पा रहा है । ट्यूबवेल लगाने से कोई फायदा नहीं होगा अगर उसका पानी खेतों तक न पहुंच सके । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

(श्री मान सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)––

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे समय नहीं दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता––

बहुतों को नहीं दिया गया है । मैंने श्री मानसिंह आजाद को बुलाया है ।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं सिंचाई विभाग के अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । अधिष्ठाता महोदय, यह जो सिंचाई विभाग है इससे गांवों की खेती को बड़ा लाभ होता है । हमारी सरकार और जनता पार्टी और हम लोग अपनी योजनाओं को गांवों की ओर ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं । परन्तु एक बात मैं माननीय मंत्री जी से अवश्य कहूंगा कि हमारे यहां कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके दिमाग में तानाशाही और अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही अफसरशाही की बू भरी है । जब इमरजेंसी आई तो उनके दिमाग में उससे ज्यादा बे बातें भर गईं और हाल यह हुआ कि वे गांवों की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ।

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का और माननीय सदस्यों का ध्यान अपने क्षेत्र मलिहाबाद की ओर दिलाना चाहता हूं । हमारे यहां एक नहर है साले नगर जिसमें गत तीन वर्षों से आज तक पानी ही नहीं आया । यही नहीं कुछ अन्य नहरें जो साले नगर, मलिहाबाद और माल रोड हो कर जाती हैं, उनमें भी बीस सालों से पानी का पता नहीं है । इसी तरह से मान्यवर, मसौढ़ा हमीरपुर में लगभग बीस साल हो गये, पानी नहीं आया । कई बार हम लोगों ने लम्बी-लम्बी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मान सिंह आजाद]

दरखास्तें दीं लेकिन हरदोई कमांड के इंजीनियर साहब ने आज तक कोई ट्यूबवेल की मांग स्वीकार नहीं की ।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे ऐसे लोगों ने सन् १९४२ में अपने पैरों में बेड़ियां डलवाकर अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से बाहर भगाया था, जिस प्रकार से उस जालिम इंदिरा सरकार को जिसने लोगों के मुंह पर ताला डलवा दिया था, को हमने और हमारी जनता पार्टी ने भगाया है । मैं उन अधिकारियों को आगाह करना चाहता हूं कि वे अपने दिमागों को बदलें और अफसर-शाही से बाज आयें क्योंकि आज जनता की, जनता पार्टी की सरकार है । वह कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी । आपने आज की खबरों में देखा होगा कि लखनऊ के टकरू साहब का तबादला इस सरकार ने कर दिया है और उनके खिलाफ जांच भी की जायेगी ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हरदोई कमाण्ड को तुरंत एक आदेश दे कि हमारे क्षेत्र की साले नगर, माल, मसीढ़ा नहरों में जहां पानी पिछले बीस बीस सालों से नहीं आया है, यदि हम लोग एक प्रार्थनापत्र दें तो तुरन्त ट्यूबवेल की व्यवस्था कराने का आदेश दें क्योंकि हमारे इलाके में इतने गरीब लोग रहते हैं, आप हमारे साथ चल कर स्वयं देख लें कि हमारे इलाके में कितने गरीब लोग रहते हैं । उन्हें गुमराह किया जाता है । मान्यवर, इसी लिए मैंने आप से पांच मिनट का समय मांगा था । इन शब्दों को कह कर मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई मंत्री जी ने अपने विभाग का जो बजट पेश किया है और सिंचाई के संबंध में जो जानकारी दी है वह बड़ी अच्छी है और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं ।

एक बात अगर आप गहराई से सोचें और देखें तो पायेंगे कि सिंचाई के संबंध में बड़ा भेद-भाव बरता गया है । जिस इलाके का कोई माननीय सदस्य या मंत्री होता है, वहां के लोगों को काफी सुविधायें दी गई हैं । इस आधार पर जो नहरों की योजना है, १३ नहरें इस विभाग की योजना के अन्तर्गत हैं । अगर हमारे माननीय मंत्री जी देखें तो पायेंगे कि जो पैसा आमदनी का है वह कम क्यों आ रहा है ? यदि आमदनी कम हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह विभाग रोजगार का विभाग नहीं बल्कि उसका मतलब यह है कि नहरों का पानी खेतों तक नहीं जा पा रहा है । अगर किसान के खेतों में पानी जायेगा तो सरकार को पैसा अवश्य मिलेगा । मान्यवर, वर्ष १९७६-७७ में ४ करोड़ १४ लाख रुपये की आमदनी थी वह इस वर्ष १९७७-७८ में ४ करोड़ ४५ लाख दिखाई गई है । इसका मतलब यह है कि नौमिनल वृद्धि होगी । अगर सिंचाई की योजनाओं को देखें तो जो पिछले वर्षों में बढ़ोत्तरी हुई है और आज की हालत में कोई अन्तर नहीं है । वर्ष १९७५-७६ में १६.३८ करोड़ की प्राप्ति हुई है और वर्ष १९७६-७७ में २२.६९ करोड़ की हुई है और वर्ष १९७७-७८ में अनुमानित आमदनी २३.१६ करोड़ रुपये की दिखाई गई है । इसका मतलब यह है कि सिंचाई के जो साधन हैं उनका पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो पा रहा है । अगर पानी किसानों को मिलता है तो हमें सोचना चाहिये कि वह आमदनी बढ़ क्यों नहीं रही है घट क्यों रही है ?

आज हमारे अधिष्ठानों के व्ययों में ७ करोड़ ८४ लाख की वृद्धि हुई है लेकिन आमदनी केवल २ करोड़ ४ लाख की हुई है। तो यह लगभग ८ करोड़ रुपया किस की जेब में जा रहा है ? क्या यह वसूल नहीं गया है या बकाया है ? अगर ८ करोड़ का व्यय और २ करोड़ की आमदनी इन प्रतिष्ठानों से है तो यह रुपया कहां पर जा रहा है ?

माननीय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के कमरे में एक चार्ट देखा है। उसको देखने से एक अजीब बात मालूम होती है। उसमें दिखाया गया है कि नहरों की सिंचन क्षमता ५६.३८ लाख हेक्टेयर भूमि की है और नलकूपों की क्षमता १७.४८ लाख हेक्टेयर है। इस प्रकार कुल क्षमता ७३.८४ लाख हेक्टेयर की सिंचाई की है। इससे यह प्रतीत होता है कि जो सिंचाई के साधन हैं उनसे केवल ६०–७० प्रतिशत सिंचाई हो सकती है शेष ४० प्रतिशत में मिसयूज हो रहा है। पूरी क्षमता का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट है कि या तो आपकी नालियां खराब हैं या जो हमारे सिंचाई के साधन हैं, उनका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है।

माननीय मन्त्री जी, आपके विभाग में भ्रष्टाचार का होना सबसे बड़ी कमी है। ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों की शिकायतें आती है कि किसी एक इन्जीनियर ने अपने ससुर के नाम, किसी ने अपनी सास के नाम से किसी ने अपनी औरत के नाम से किसी ने अपने पोते और पतोहू के नाम से कोठी बना रखी हैं। अगर आप देखें तो पायेंगे कि सारा सिंचाई का धन परसेण्टेज के रूप में विभाग के इन्जीनियर्स ही खा रहे हैं। सिंचाई के रूप में आपकी जो योजनायें हैं, उनको सुदृढ़ बनाना होगा और सिंचाई के साधनों को मजबूत बनाना होगा, तभी इस प्रान्त की तरक्की हो सकती है। बड़ी खुशी होगी अगर आप ऊपर से जमीन पर उतर आयें तो इस प्रदेश का आप इतिहास बदल सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, उसे छोड़कर इन योजनाओं को आपको जमीन पर उतारना होगा। आपका जो हथियार है, उसको आपको देखना पड़ेगा कि वह कैसे काम कर रहा है। माननीय, मेरा अनुभव है कि चाहे निर्माण विभाग हो या सिंचाई विभाग हो सब में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो विश्वास किया जाता है वह कहीं रहता है और जो आपकी योजनायें हैं वे कहीं और रह जाती हैं।

आपके नलकूपों में जो औपरेटर्स हैं उनसे आप २४ घंटे काम लेते हैं। एक औपरेटर कितने–कितने ट्यूबवेल्स का चार्ज लिए हुए हैं। वह न एक ट्यूबवेल को चला पाता है और न कई और को चला पाता है। नतीजा यह है कि इरे के सारे ट्यूबवेल्स खराब रहते हैं। वे ठीक से पड़ताल भी नहीं कर पाते हैं, नतीजा यह होता है कि गरीब किसानों को पानी नहीं मिल पाता है और वह नाहक में मारा जाता है। दूसरी बात यह है कि जो ट्यूबवेल्स खराब हो जाते हैं, उनमें जो पुर्जे खराब हो जाते हैं, उनको हमारे इन्जीनियर्स अपने मन से खरीदते हैं और जहां से चाहे खरीदते हैं। उनकी कोई फिक्स्ड एजेन्सी होनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यहां डिपार्टमेन्ट से सप्लाई हो। इस तरह से पुराने सामान लगाये जाने से ट्यूबवेल खराब पड़े रहते हैं। होता क्या है कि जब कोई ट्यूबवेल खराब होता है तो फिल्डेदार रिपोर्ट करता है, जितने ट्यूबवेलों के खराब

[श्री मित्र सेन]

होने को वह रिपोर्ट करता है तो असिस्टेन्ट इन्जीनियर उतने की रिपोर्ट नहीं करेंगे । वह उसमें से ४-६ करटेल कर देंगे और असिस्टेन्ट इन्जीनियर जितने की रिपोर्ट करेंगे इन्जीनियर साहब उतनी नहीं दिखावेंगे । जितनी वह रिपोर्ट करेंगे, उनको सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर नहीं दिखावेंगे और नतीजा यह होता है कि मुख्यालय में आने पर एक भी ट्यूबवेल खराब नहीं दिखाया जाता जब कि आपको क्षेत्र में सैकड़ों खराब मिलेंगे । तो यह जो तरीका है, अगर गारन्टी चाहें तो मैं चुनौती देता हूं कि चलकर किसी जिले में जिलेदार और इन्जीनियर की रिपोर्ट पकड़ कर देख सकते हैं कि कितने-कितने खराब दिखाये हैं, और कितने एक्चुली खराब हैं और कितने की रिपोर्ट आती है । तो मेरे कहने का मंशा यह है कि आपकी आंख तक पट्टी बांध दी जाती है । इस तरह की कार्यवाहियां दिखाई जाती हैं, जिससे आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते ।

दूसरे ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन में बालू, सीमेन्ट, ईंट की निश्चित मात्रा रहती है और यह भी रहता है कि वह किस कैटेगरी की हों । लेकिन हर जगह सेकेन्ड क्लास ईंटा दिखाई पड़ता है । हर ट्यूबवेल में यही हालत है और पता यही चलेगा कि फर्स्ट क्लास ईंट का रेट लगा है और ढुलाई अलग से लगी है, क्योंकि कमीशन का सवाल है । तो इस तरह से गलत मैटीरियल लगाकर यह जो पानी पहुंचाने का साधन है, उसका दुरुपयोग हो रहा है । इन चीजों को पकड़ने के लिए आपको कोई अलग से माध्यम बनाना पड़ेगा । जब तक ऐसा माध्यम नहीं बन जाएगा, ऐसे पुरजे नहीं बन जायेंगे जो इन गलतियों को पकड़ सकें तो कभी भी आप अपनी योजनाओं को सफल नहीं बना सकते हैं ।

मान्यवर, नहरों का जहां तक सवाल है, जहां होकर नहरें निकल रही हैं, वहां उनका एक कमांड एरिया होता है, जिसमें ट्यूबवेल का पानी नहीं दिया जा सकता । नहरों का यह भी पता नहीं रहता कि कितने दिनों तक चलेंगी । ट्यूबवेल भी ३० हजार के बजाय २० हजार गैलन पानी दे रहे हैं, डिस्चार्ज उनका कम हो रहा है । तो जो आप नहरें निकाल रहे हैं, उनसे पूरा करेंगे, इस पानी की कमी को, कैसे करेंगे ? साथ ही जो नहर आप निकाल रहे हैं, उससे लाखों परिवारों की जिन्दगी को खतरा पैदा हो गया है । चकबन्दी हो गई, उसमें बहुत से परिवार तबाह हो गये, क्या वह फिर से करावेंगे ? जो नहर में जमीन निकल गई, नहरों को जितनी चौड़ी-चौड़ी निकाल रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं । यह बहुत उससे हजारों परिवार बेजमीन हो रहे हैं, बेपनाह हो रहे हैं । बड़ी समस्या है । जहां नहरों से पानी के साधन और सुविधा पहुंच रही है, पैदावार में तरक्की हो रही है, वहां रोजी-रोटी का सवाल लाखों परिवारों के लिए पैदा हो रहा है । इसलिए यह आवश्यक है कि जिन ट्यूबवेलों का डिस्चार्ज कम हो रहा है, उनको फिक्स करें और निश्चित करें कि किस प्रकार पानी बढ़ाया जाएगा । जो पुराने ट्यूबवेल हो गये हैं, उनको ठीक किया जाय, चकबन्दी में छोटी जमीन के कारण जिन परिवारों को क्षति पहुंची है, उनकी समस्या हल की जाय, नये माध्यम से पुर्जे लगाए जायं और शासन में जो भ्रष्टाचार है, उसको मिटाने का प्रयास करें, यही मुझे कहना है ।

श्री राम बक्स (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई विभाग पर प्रस्तुत बजट के सम्बन्ध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मैं आपका आभारी हूं कि जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है । मैं सिंचाई मन्त्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उन्होंने इतनी होशियारी से और इतने विस्तृत रूप से उसकी विवेचना हमारे सामने, माननीय सदन के सामने रखी है । मैं इसलिए और भी धन्यवाद देना

चाहता हूं, माननीय सिंचाई मन्त्री को कि उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि लोकतन्त्र को जनता ही, शासन को चलाने वाली होती है और जो अधिकारीगण होते हैं, उन्हें यह समझ कर चलना चाहिए कि वह जनता के सेवक हैं। यही नहीं मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि जो 'अधिकारी' शब्द लगा रहता है, वह निकाल करके उसकी जगह 'सेवक' शब्द लगाया जाय। जैसे जिलाधिकारी की जगह जिला-सेवक रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

सिंचाई विभाग की जो नीतियां हैं, उसके ब्योरे में ज्यादा न जाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ माननीय सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जनपद फर्रुखाबाद के उमर्दा क्षेत्र से चुन कर आया हूं। इस क्षेत्र को अगर वास्तव में जनपद फर्रुखाबाद का काला पानी कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका एक कारण यह भी है कि वहां पर सिंचाई के प्रचुर साधन नहीं हैं। हमारे क्षेत्र में जो नहरें हैं, उनसे जो रजबहे निकाले गए हैं, उनके द्वारा सिंचाई होती है। परन्तु ये नहरें पुराने जमाने की हैं। उनके रिमाडलिंग और मार्डनाईजेशन की आवश्यकता है। रजबहों के टेल पर पानी नहीं पहुंचता है। कमान्ड एरिया बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, परन्तु आधे से ज्यादा जमीन सूखी रह जाती है।

सरकार की एक नीति है कि जहां पर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, वहां स्टेट गवर्नमेन्ट ट्यूबवेल नहीं लगाती है। एक तो कमान्ड एरिया ज्यादा होने की वजह से टेल तक पानी न पहुंचने की वजह से आधे से ज्यादा जमीन सूखी रह जाती है और जब हम यह कहते हैं कि जहां पानी नहीं पहुंचता है, वहां ट्यूबवेल लगाइये तो यह कहा जाता है कि चूंकि वह नहरों का इलाका है, इसलिए वहां ट्यूबवेल नहीं लगाये जा सकते। अतः सिंचाई मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि अपनी नीति में परिवर्तन लायें और जहां रजबहों के टेल तक पानी नहीं पहुंचता है, वहां ट्यूबवेल लगाए जायं ताकि हमारे किसान सुख और समृद्धि ला सकें।

दूसरे, हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां ४ महीने बरसात के सीजन में पानी भरा रहता है और बाद में वहां पानी नहीं पहुंचता है। वह झीलों का इलाका है, जैसे तरीन, सकतापुर एवं शाहनगर, इनसे बरसाती पानी निकाला जाय और जहां पहले से पानी निकालने का प्रबन्ध किया हुआ है, उन बरसातियों में सफाई की जाय, जिससे पानी निकल सके और वहां पर धान की रोपाई इत्यादि हो सके। मेरा क्षेत्र धान का इलाका है। चूंकि अत्यधिक पानी भरा रहता है, इसलिए धान की रोपाई हो नहीं सकती बरसात के बाद में बरसे के द्वारा पानी नहीं पहुंचता है। तो पहले धान की फसल नहीं हो पाती है और बाद में रबी की फसल नहीं हो पाती है।

एक सदस्य––

कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता––

नहीं, कोरम है।

श्री राम बक्स––

तो इस कारण पिछले ३–४ साल से किसानों की यह दशा है कि लोग अपने घरों को छोड़ कर भाग रहे हैं। इसके अलावा जो रामगंगा कैनल लहर बनी हुई है,

[श्री रामबक्स]

उसकी वजह से तरीन झील का बाढ़ का पानी नहीं निकल पाता है। अतः उसके ऊपर साइफन कायम किया जाय, जिससे इधर का पानी उधर निकाला जा सके। इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र का पूर्वी भाग है, उसमें और रजबहे निकालने की आवश्यकता है। अतः मेरा अनुरोध है सिंचाई मन्त्री जी से कि इधर ध्यान दें और हमारे क्षेत्र के पूर्वी भाग में रजबहे निकलवायें।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री बदन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती राम रति देवी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता--

एक समय में अधिष्ठाता एक को ही बुलवा सकते हैं। इसलिए कृपया एक-एक को बुलवाने दें। इस विषय में आप जानते हैं कि परसों भी ३ बजे तक विवाद होगा।

एक सदस्य--

हम लोग चाहते हैं कि आपके समय में हम लोगों को भी बोलने का समय मिल जाय।

एक सदस्य--

मान्यवर, एक महिला हैं, उनको तो मौका दिया जाय, कल से उनको मौका नहीं मिल रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, अपनी-अपनी बात करें किसी की सिफारिश न करें, महिला की या किसी की।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

मान्यवर, जो सिंचाई मन्त्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत किया है, वह किसानों के नजदीक ही नहीं गए हैं, बल्कि वह स्वयं किसान हैं। मैं आज जिस वक्त सदन में आया था २०-२५ प्वाइन्ट्स मैंने सुझाव देने के लिए नोट किया था कि इसके ऊपर बोलूंगा, लेकिन माननीय मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में, उन्होंने स्वयं उत्तर दे दिया, दो-तीन प्वाइन्ट्स ऐसे रह गए हैं, जिनको मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। अब तक नहरों की चलने की जो प्रथा रही, वह यह रही है कि पलेवट एवं भूड़ बुझाने के समय पर आवपासी दिखाने के लिए तो नहरें खोल दी जाती हैं, लेकिन बाद में नहरों में पानी नहीं चलाया जाता है और किसानों की हरी-भरी फसल सूख जाती है, इसलिए आप इस पुरानी प्रथा को खत्म करें। दूसरा सुझाव में आपको यह देना चाहता हूं कि नहरों के जो बाद चलते हैं, उन बाबों की तारीख डी० आर० ओ० के द्वारा बहुत दूर के स्थानों में डाली जाती हैं तथा ये बाद बहुत लम्बे चलते हैं, जिसकी वजह से किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान

किया जाता है, उनका समय खर्च होता है । इसलिए इन बादों को सुनने की तारीख उन्हीं क्षेत्रों में डाली जाय जहां के वे किसान रहने वाले हों । तीसरी बात यह है कि किसानों को यह परेशानी है कि मैंने अपने इलाकों में बहुत से किसानों को कहते हुए देखा है कि वह अपने निजी नलकूपों के द्वारा अपने खेतों को सींचने के लिए, अपने खेतों में नाली बना कर पानी ले जाते हैं, लेकिन नहर विभाग के द्वारा उनके ऊपर आबपासी लगा दी जाती है । किसान वहां नहरी गूलों में पानी ले जा सकते हैं जहां उनका खेत तोड़ हो, लेकिन जिन किसानों के खेत डाल होंगे वे अपने निजी नलकूपों का पानी नहरी गूलों में डाल कर खराब नहीं करेंगे, तो माननीय मन्त्री जी आप नोट करें कि इस प्रकार का कोई नियम बना देना चाहिए कि इस प्रकार की आबपासी से किसान को मुक्तता दी जाय ।

अब मैं अपने क्षेत्र की बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूं । मेरा वह क्षेत्र है जो आगरा जिले के बाढ़ और गर्की के कारण सबसे अधिक पीड़ित होता है, जिसको माननीय मुख्य मन्त्री जी एवं माननीय शारदा प्रसाद जी, उप सिंचाई मन्त्री स्वयं देख कर आये हैं, मेरे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में बाढ़ दो तरफ से आती है, एक तो राजस्थान के अजान कोनो, खनुआ बांध जब टूट जाते हैं, तो फतेहपुर सीकरी ब्लाक के समस्त गांव प्रभावित हो जाते हैं । इस वर्ष फतेहपुर सीकरी के सैकड़ों गांवों की हजारों एकड़ बोई हुई खरीफ की फसलें नष्ट हो गई हैं । दूसरी तरफ गोवरधन नाला टूटने पर बाढ़ आती है, जो अछनेरा एवं किरावली के आस-पास के समस्त गांवों को तबाह करती है । तो यह हमारी बाढ़ की समस्यायें प्रत्येक वर्ष की है । यह स्थायी समस्या हो गई हैं । इसके कारण करोड़ों रुपये का नुकसान होता है । मान्यवर, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि राजस्थान के इंजीनियर्स और मन्त्रियों से मिलकर, उनके द्वारा जो उनका पानी है, वह वे लोग रोकें, जिससे हमारी तहसील किरावली को बाढ़ से नजात मिल सके । दूसरी मेरी तहसील की मुख्य समस्या है गर्की की । वहां पर गर्की का प्रकोप होता है । मेरे यहां अछनेरा ब्लाक में जो डिप्रेशन वेस्टर्न ड्रेन है, उसको गहरा और चौड़ा किया जाना चाहिए । जब तक इसको गहरा और चौड़ा नहीं किया जाएगा तब तक अछनेरा ब्लाक के गांवों को नहीं बचाया जा सकता है ।

मान्यवर, मेरे फतेहपुर सीकरी में एक गवनस नाला है । इसको भी चौड़ा और गहरा करने की आवश्यकता है । लेकिन मैं देखता हूं कि सिंचाई विभाग की धांधलेबाजी और उसको प्रतिवर्ष ठेका दिए जाने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पाया है । ठेकेदार और महर विभाग के अधिकारी मिलकर रकम को डकार जाते हैं और यह नाला साफ नहीं किया जाता है । मैं इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं कि नाले की सफाई की जाय तो किसी जन प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के द्वारा उससे सर्टीफिकेट लेना चाहिए कि वास्तव में नाला साफ हो गया या नहीं । इसके बाद ही भुगतान करना चाहिए । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बाढ़ एवं गर्की की बात सामने आती है । वहां पर कुछ इलाका ऐसा है भी कि वहां पर महिलायें ८ बजे के बाद पानी लेने जायं तो पानी गंदला मिलता है । जमुना नदी के किनारे रनकता, अकबरा, सोंगना, मागरौल जाट और नगला धीरू गांव में पीने के लिए पानी की समस्या है । इन गांवों में पानी की कमी है, इसलिए यहां पीने के पानी की व्यवस्था की जाय । मान्यवर, मैं

[श्री बदन सिंह]

दिलाना चाहता हूं कि टरमिनल डिस्ट्रीब्यूटरी से एक माइनर निकाल दी जाय तो इन गांवों को पानी पहुंचाया जा सकता है। एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरी तहसील में एक भी राजकीय नलकूप नहीं है। इसलिए मेरी तहसील में राजकीय नलकूप लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, आप लाल बत्ती जला रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप मुझे २ मिनट और देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट में समाप्त करिए।

श्री बदन सिंह--

मेरी तहसील में उटंगन नदी है, इससे औडेला गांव की करीब १ हजार एकड़ जमीन कट गई है। इसके रोकने के लिए व्यवस्था करानी चाहिए। अगर इसकी व्यवस्था नहीं की गई तो सदैव ही हजारों एकड़ भूमि कटेगी। दूसरी तरफ मान्यवर, हमारे इलाके में हजारों एकड़ जमीन है, जिसमें अगर पानी निकलवा दिया जय तो वह बोई जा सकती है और वहां रबी की फसल पैदा की जा सकती है।

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त कीजिए।

श्री बदन सिंह--

अन्त में माननीय मन्त्री जी की तरफ से जो बजट आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।

एक सदस्य--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे समय दे सकेंगे या नहीं?

श्री अधिष्ठाता--

मैं आगे से कैसे बता सकता हूं कि दूंगा या नहीं। अभी कैसे बता दूं?

*श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

अधिष्ठाता महोदय.....

एक सदस्य--

मान्यवर, मुझको समय मिलेगा या नहीं?

श्री अधिष्ठाता--

मैं नहीं जानता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतना बता सकता हूं कि परसों भी इसके लिए समय है। आप खड़े होते रहिए। लिस्ट है, देखा जायगा।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया। श्रीमन् वास्तव में जैसा मंत्री जी ने कहा, अगर हम इस प्रान्त की गरीबी को मिटाना चाहते हैं, अगर इस प्रान्त की उन्नति करना चाहते हैं, इस प्रान्त की भुखमरी मिटाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि इस प्रान्त के हर खेत को पानी दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रान्त का ८० से ज्यादा आदमी गांव में खेती करता है और खेती के लिए जो उपकरण हैं उससे खाद, बीज और आधुनिक ट्रेक्टर आदि आते हैं, लेकिन जब तक पानी नहीं है तब तक खेती के लिए यह सब चीजें बेकार हैं। इसलिए मान्यवर, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। लेकिन श्रीमन्, जो सरकार की तरफ से आंकड़े दिए गए हैं कि ४५ प्रतिशत जो क्षेत्र बोया जाता है, वह सिंचित होता है। किन्तु मेरा ख्याल है कि यह आंकड़े गलत हैं। यदि ४५ प्रतिशत भूमि सिंचित होती तो भुखमरी मिट जाती। मान्यवर, हमारे पास टेक्नो इकोनामिक सर्वे आफ उत्तर प्रदेश की किताब है, जिसमें लिखा है—

> "During the first two Plan periods, Rs. 107 crores were spent on agriculture and allied fields including community development programme and Rs. 61 crores on major and medium irrigation. It is estimated that as a result of this investment an irrigation potential of about 42 lakh acres was created. However, the net irrigated area which stood around 126·8 lakh acres in 1951-52 moved down to 126.6 lakh acres in 1959-60 and to 124.6 lakh acers in 1960-61."

तो श्रीमन्, दो प्लान में जो रुपया लगा है, इसमें हमारी सिंचाई की क्षमता कम हुई है। इतना ही नहीं यह तो पुराना है। सन् १९७५-७६ के जो आंकड़े हैं, उनको देखें तो १३९ नहरों की सिंचाई का जो लक्ष्य था, वह ३,२६,९७४ एकड़ था, लेकिन सिंचाई हुई १,०९,६५८ एकड़ की। इस तरह सिंचाई में कमी रही २,१७,३१६ एकड़ की। इस प्रकार ६६ प्रतिशत सिंचाई की कमी हुई। इसको देखने से मालूम पड़ता है कि आपने जो आंकड़े रखे थे कि इतनी सिंचाई करेंगे, लेकिन उसमें ३३ प्रतिशत अचीवमेन्ट नहीं है। इसलिए निवेदन है कि जो आंकड़ों की बौछार होती है और जो लिटरेचर बांटा जाता है उसमें कोई वास्तविकता नहीं है।

मान्यवर, टेहरी में डैम बहुत बड़ा बन रहा है। मंत्री जी ने कहा कि यदि बाढ़ को रोकना है तो बांध बनाना जरूरी है। इसलिये सरकार से निवेदन करूंगा कि जो वहां के विस्थापित लोग हैं उनको रहने का उचित प्रबन्ध हो जाना चाहिये।

मान्यवर, जो किताब सिंचाई विभाग की ओर से दी गयी है उसमें टेहरी नगर कहां बसेगा, इसके लिये एक कमेटी बनी थी और उसका मैं प्रेसीडेन्ट था, उस समय निर्णय हुआ था कि टेहरी नगर टिपरी में बसेगा, लेकिन अब बातसइयाल में बसाने की योजना सरकार की तरफ से है और जहां जमीन समतल की जा रही है। सिंचाई विभाग १९७७-७८ का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक में टेहरी नगर दूसरी जगह बस रहा है और इसमें लिखा है—टिहरी जलाशय में संपूर्ण टिहरी नगर जलमग्न हो जायेगा और नया नगर भागीरथी नदी के दायें तट पर ऊंचाई पर जलाशय के ऊपर बांध से कुछ ही ऊपर बनाया जायेगा। यह नवीन नगर अति मनोरम प्राकृतिक छबियुक्त होगा और नगर के लगभग सभी क्षेत्रों से जलाशय का सुन्दर दृश्य मिल सकेगा। अतः पर्यटकों को आकर्षित करने की इस जलाशय तथा नवीन नगर में बड़ी क्षमता होगी। लेकिन मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चम्बा

[श्री इन्द्रमणी बड़ौनी]

के पास एक जगह है बातसइथाल जहां जमीन समतल की जा रही है वहां से झील नहीं दिखाई देगी और इस किताब में लिखते हैं कि ऐसे स्थान पर बनाया जायगा जहां से झील का दृश्य दिखाई देगा । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इनको स्पष्ट कर दें कि इन विस्थापितों को कहां बसा रहे हैं । इसके साथ ही मैं पर्वतीय जिलों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । इस विभाग का हमारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार है । इसमें लिखा है कि पर्वतीय जिलों में सिंचाई करना व्यावहारिक नहीं है । मैं कहता हूं कि जहां खेती होगी वहां सिंचाई करना व्यावहारिक है । अमेरिका, रूस का इंजीनियर चन्द्रलोक जाता है और मिट्टी लाकर परीक्षण करता है । लेकिन हमारा सिंचाई विभाग लिखता है कि पहाड़ में सिंचाई व्यावहारिक नहीं है । लेकिन मैं बतला दूं कि वहां इसकी पासीबिलीटीज हैं । श्रीमन्, पर्वतीय जिलों में घाटियों की जमीन है जो मैदानी जमीन से कहीं ज्यादा उर्वरा है । इसका सबूत आपका टेक्नोइक्नोमिक सर्वे है ।

पहाड़ में आप लिफ्ट कैनाल की व्यवस्था करें और जो ऊपरी इलाके हैं वहां नई-नई नहरें बनायें । भिलंगना घाटी योजना का सर्वेक्षण चल रहा था लेकिन वह बन नहीं पायी । उत्तरकाशी में ६ महीने से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, जबकि इतने बेकार लड़के घूम रहे हैं । आप उनको रखें । बेकारी भी दूर होगी और काम भी होगा । मंत्री जी ने बाढ़ की चर्चा की । लेकिन आपने ऐसे उपाय बताये हैं कि जब बीमार हो जाता है तो उसको दवा क्या दें यह सोचा जाता है । इस बाढ़ के असली कारण क्या हैं इस पर आपने नहीं सोचा । असली कारण यह है कि पहाड़ में जंगल कट रहे हैं । पहाड़ के आदमी के पास जंगल काटने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है । इससे वहां भूस्खलन हो रहा है । मंत्री जी ने कहा कि बांध बनायेंगे । लेकिन यह कोई समस्या का हल नहीं है । आप बांध बनायेंगे और अगर एक पहाड़ टूटा तो वह जो २० साल में भरता एक साल में ही भर जायगा । इसलिए जो असली कारण है उसकी ओर ध्यान दें और उसको हल करने का उपाय करें । अगर आपने यह न किया तो यह समस्या उत्तर प्रदेश की ही नहीं, बंगाल और दूसरे प्रदेशों को भी ले डूबेगी ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किये हैं उनका समर्थन करते हुए मैं एक बात कह दूं कि यह जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है यह बात निश्चित है कि सिंचाई की क्षमता में वृद्धि हुई है । जहां तक इन आंकड़ों का सवाल है मैं इनको गलत तो नहीं कहता लेकिन उनको बहुत सही भी नहीं मानता । श्रीमन्, यह कि आज भी इंसान प्यासा है, जानवर प्यासे हैं, जंगल प्यासे हैं, फसलें प्यासी हैं, धरती प्यासी है, तो फिर यह कैसी आबपाशी है ?

जिस देश में ऋषियों ने कहा है कि 'पंचनद्यः सरस्वतीमपि यांति सप्रोतसः । सरस्वती तु पंचधा सो देशो भवत् सरित् ।' सतलज, झेलम, व्यास, रावी और चिनाव, ये पांच नदियां सरस्वती को प्राप्त करती हैं अनेक नालों के साथ । 'गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वति । नर्मदे सिन्धु कावेरी, जले अस्मिन् सान्निधि कुरू ।' मान्यवर, इस देश का सारा भौगोलिक वांङ्मय गंगा और यमुना आदि नदियों से जाना जाता है । जब उसको गंगा और यमुना कहते हैं, तो हिमालय से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तथा उसके नीचे तक फैला सारा प्रदेश इस क्षत्र में आ जाता

है । जब गोदावरी का नाम लेते हैं, तो सम्पूर्ण दक्षिण भारत का चित्र सामने आ जाता है । जब काबेरी का नाम लेते हैं तो सारे दक्षिण भारत का नक्शा सामने आ जाता है । नर्मदा का नाम लेते ही गुजरात, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र का चित्र सामने आता है। जब सिन्धुका नाम लेते हैं तो पूरे पंजाब का चित्र सामने आ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति भी इन नदियों के सहारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों को समझ लेता है, जान लेता है । यानी इस देश में चारों तरफ नदियां ही नदियां हैं, जल ही जल है । मान्यवर, उत्पत्ति और सृजन का आधार ही जल है और इस देश में जल की कमी नहीं है । 'पयः पृथिव्याम् पयः औषधीषु दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मध्यम ।' अर्थात् पृथ्वी अर्थात् भूगर्भ में जल है । औषधियों में जल है । स्वर्ग में जल है । अन्तरिक्ष में जल है, नीचे जल है, सारी दिशायें जल से परिपूर्ण हैं । 'आपोहिष्ठा मयोभुवस्तान ऋर्जेणे दध्यतन, महेरणाय चक्षसे, योवः जिन्वथ अपोजनयथा चनः तमोरस तस्य भाजयतेहनः उशती विश्वमातरः तस्मा अरंग मामवोयस्यक्षणाय । नारायण जल के देवता हैं, वरुण, इन्द्र जल के देवता हैं । वेदों में इसका उल्लेख है । नारायण जल में रहते हैं लक्ष्मी के साथ, अर्थात् जल में सृजन, पालन, सुख और समृद्धि सबका निवास है ।

मान्यवर, इस प्रकार की परिकल्पनायें हैं वेदों में जल के बारे में । हमारे केन्द्रीय मंत्री श्री के०एल० राव ने गंगा, कावेरी के सम्बन्ध में एक लिफ्ट नहर योजना रखी लेकिन उसके सर्वेक्षण में ही कई अरब का खर्च है । कृष्णा और कावेरी के जल के उपयोग के बारे में तामिलनाडु और आन्ध्र के लोगों ने प्रयास किया, एक-एक बूंद का उपयोग हुआ दक्षिण में लोग गंगा के जल के लिए तरसते हैं । गंगा जल नैसर्गिक उर्वरक से परिपूर्ण है । लेकिन अभी उसका उतना उपयोग नहीं हो सकता । हमारे यहां नदियों को लेकर, मान्यवर, विवाद भी खड़े हुये । महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन चारों प्रदेशों में नर्मदा नदी को लेकर विवाद खड़ा हुआ कि नौगांवा बांध की ऊंचाई कितनी हो, लेकिन अभी वह हल नहीं हो सका । नर्मदा जल विवाद के कारण अरबों के कृषि उत्पादन की राष्ट्रीय क्षति हुई। मान्यवर, मैं तो गण्डक के बगल में रहता हूं । वहां गण्डक प्रोजेक्ट है । मान्यवर, देवरिया, गोरखपुर जनपद में जल का स्तर ऊपर उठ रहा है, नतीजा यह है कि भूगर्भ का क्षार ऊपर आ रहा है । हजारों एकड़ क्षेत्र ऊसर होने को है । वही हाल वहां होने वाला है, जैसा कि हरियाणा में हुआ । मुख्य गण्डक नहर के बगल में कोई भी सिंचाई की सुविधा नहीं है । लोगों की फसलें सूख रही हैं । यह योजना जितना शीघ्र हो जाय, उतना ठीक होगा । इसी तरह से घाघरा और रामगंगा योजनाओं की स्थिति होगी ।

मान्यवर, इस समय सबसे विषम समस्या जल निकासी की है । पहले थोड़ा सा जल निकासी का काम हुआ था, लेकिन फिर बंद हो गया । मैं शासन से कहना चाहता हू कि केवल विरोध के लिये कोई काम नहीं करना चाहिये । पिछली सरकार ने जिन कल्याणकारी प्रोग्राम्स को चलाया था, उनको चलने देना चाहिये । उन्हीं प्रोग्राम्स में एक जल निकासी की योजना थी । यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये थी । जब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह योजना चलेगी वहां करोड़ों रुपये की चीनी की रिकवरी बढ़ेगी । पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जल निकास कार्य प्रारम्भ कराए जाएं।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]

क्योंकि वाटर लागिंग से अनेक फसलों के रोग फैलते हैं। इसलिए जल निकास योजनायें फिर शुरू की जानी चाहिए । पिछले साल इससे फायदा हुआ । रोगों में कमी हुई ।

एक बात और बतला दूं । ड्रेनेज के बारे में बड़े-बड़े नाले हैं तथा घाघरा और गंगा है । यह जो नदियां हैं इन के तल की गहराई नहीं की गयी तो यह सारा प्रोजेक्ट ऐसा ही रह जायगा । बहुत जरूरी है कि इन की गहराई भी होनी चाहिए ।

एक बात मैं प्रशासकीय दृष्टिकोण से और कह देना चाहता हूं । श्रीमन्, भ्रष्टाचार सभी विभागों में है लेकिन मैं निर्विरोध रूप से कहता हूं कि छोटे जानवर का खुर हाथी के खुर में विलीन हो जाता है । हाथी का खुर है यह विभाग । ऐसे शराबी अधिकारी, सचिव इस विभाग में हैं जो लाखों रुपयों की शराब पी कर नंगा नाच करते हैं और छोटे-छोटे कर्मचारियों की हत्या कर रहे हैं । इन्होंने करोड़ों की खर्चा फिजूल किया है और छोटे-छोटे कर्मचारियों मेट, पतरोल का आये दिन ट्रान्सफर, हजारों किलोमीटर दूर कर देते हैं जिससे विवश होकर वे वहां न जा कर नौकरी छोड़ दें । ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के सबूत मेरे पास मौजूद हैं जिसे मैं सदन में पेश करना चाहता हूं । श्रीमन्, जो साढ़े तीन सौ जीपें खरीदी गयी वह घोटाला सी० बी० आई० का सिरदर्द बना हुआ है । जीप घोटाले में दर्जनों वरिष्ठ अधिकारी हैं । एक करोड़ का घोटाला हुआ है । चीफ इंजीनियर हैं, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर हैं, उन के ११ पी० ए० हैं । अतिरिक्त, शून्य, फालतू, बेकार ऐसे पदों से भरा हुआ है यह विभाग । मेरे यहां एक रमा शंकर वार्ष्णेय थे । मैंने चार बार लिख कर दिया सिंचाई मंत्री को, तमाम लोगों से कहा, जैसे मैं अपने रिश्तेदार की सिफारिश कर रहा था कि डाक्टर रमा शंकर वार्ष्णेय ने उस क्षेत्र में चमत्कार पैदा कर दिया था जल निकासी कार्य में। डाक्टर वार्ष्णेय महान् मेधावी, ईमानदार तथा कर्तव्यपरायण थे किन्तु उन्हें यहां बैठा दिया डिजाइन में ताकि कोई जन कल्याणकारी कार्य न कर सकें । जिन की गलती हो, जो गलत लोग हों सब जगह प्रमुख स्थानों पर निष्क्रिय और बेईमान बैठा दिए गए, ईमानदार हटा दिए गए । १४ महीने हो गये गंडक कमान्ड एरिया में कोई कार्य नहीं हुआ है । एक पापी-पुण्यात्मा का नाम लेना चाहता हूं श्री महाराज बहादुर माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, शारदा सहायक द्वादश मंडल । १३ जून से २३ सितम्बर तक यह राम गंगा कन्ट्रोल बोर्ड (सचिव), लखनऊ में रहे अधीक्षण अभियन्ता के पद पर....

श्री अधिष्ठाता--

जो इस सदन में अपना जवाब न दे सकें उन का नाम न लें....।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं । माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि १३ जून से २३ सितम्बर तक इन्होंने तीन चार्ज होल्ड किये । मंत्री जी स्पष्ट जवाब दें नहीं तो यह कुर्सी किसी की बिरासत नहीं है श्रीमन्, कि जैसे चाहें मनमानी करवा लें । जवाब देना होगा, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो रहा है....।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

एक उदाहरण और दे दूं । विजीलेन्स की इनक्वायरी अनेक लोगों पर चल रही है । १९६७ में संविद सरकार बनी तो वेद प्रकाश अग्रवाल के खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ हुई । संयोगवश एक बार फिर संविद सरकार बनी और उसमें हमारे यही मंत्री बलबीर सिंह जो सिंचाई मंत्री बने थे और आज यह पुनः सिंचाई मंत्री हो गये लेकिन लाखों रुपयों का घोटाला करने वाला वेद प्रकाश अग्रवाल आज भी लाखों का घोटाला कर रहा है । मंत्री जी, इस लम्बे समय में सन् १९६७ से १९७७ तक बलिया जनपद में एक्सिअन है उसके खिलाफ । क्या कार्यवाही हुई, एक-एक इंजीनियर ऐसे हैं जिन्होंने ६०, ६० लाख रुपये का घोटाला कर रखा है । ये इस प्रकार के जन्तु हैं, मगरमच्छ हैं अगर आप उनको नाथ नहीं लगा पाये तो आपको कोई भी प्रायोजना सफल नहीं हो सकेगी । रिजर्व बैंक और विश्व बैंक का पैसा शराब और अय्याशी में बहाया जा रहा है । ऐसे लोगों के विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है अनेक वर्षों से जांच चल रही है इनको शीघ्रता से पकड़िये नहीं तो आपकी सारी प्रायोजनाएं अधूरी रह जायेंगी । मुझे विश्वास है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे । इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(इस समय ३ बज कर ३० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

साथ ही जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से सिंचाई के बारे में पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं । किसी भी देश की प्रगति के लिमित कृषि में सिंचाई का योगदान अनिवार्य है । विभिन्न प्रकार की सिंचाई की योजनाएं चाहे वह डैम के रूप में हों, नलकूपों के रूप में हों, लिफ्ट इर्रीगेशन के रूप में हो, चलाना अति आवश्यक है । मैं इस बारे में आपसे अपने क्षेत्र के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमारे यहां बहुत सी योजनायें चलीं । सबसे पहले गोविन्द सागर डैम और माताटीला डैम बना । माताटीला डैम की तलहटी में बराबर मिट्टी सेटिल होती जा रही है जिससे पानी की केपेसिटी कम होती जा रही है जिससे वहां चलने वाले टरबाइन हमेशा बन्द रहते हैं । गोविन्द सागर डैम को देखा जाय तो उसके राइट और लेफ्ट कैनाल चालू हैं । उनकी जो खुदाई हुई है उसके कारण टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है । उन टेलों तक पानी पहुंचाने के लिये किसान जब शिकायत करता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती । मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि नारायणी नदी को जो कि वहां से तीन किलोमीटर पर है उससे उसको मिला दिया जाय इससे गोविन्द सागर के लेफ्ट तथा राइट कनाल की टेल तक पानी पहुंच सकता है । इसके साथ ही कल्याणपुर और बार तालाब से भी पानी लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत वहां पहुंच सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रणवीर सिंह]

है । नदियों से लिफ्ट सिंचाई के जरिये जो किनारे-किनारे हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई हैं और जो साधारण भूमि से अधिक उपजाऊ है उसकी सिंचाई की जा सकती हैं । ये नदियां जोड़ी, सजनाम, जामिनी, संजाद, बुड़ारी, सोन आदि हैं जिनके किनारे जो भूमि पड़ी है उसकी सिंचाई के लिये लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था की जाय । इन सब नदियों का एक चेक डैम बनाया जाय और उस पानी को लिफ्ट करके इस किनारे-किनारे की जमीन का उर्वरा शक्ति को जागृत किया जा सकता है ताकि अधिक अन्न उपज सके । लिहाजा इस तरह के चेक डैम बनाये जायं जो नदियों के किनारे-किनारे भूमि को जो हजारों एकड़ में है, सिंचित किया जा सके ।

उदाहरणस्वरूप में निवेदन करूंगा कि हमारे यहां खरखरी और संजाद नदी हैं । अगर १०० हार्स पावर का इंजन लगा दिया जाय तो ७००, ८०० एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकता है । दूसरे पूराकलां और सरसेड़ नदी पर भी १०० हार्स पावर का इंजन लगा दिया जाय तो ५०० एकड़ भूमि की सिंचाई वहां भी हो सकती है । निवाऊ के पास नदी को गोविन्द सागर से सम्बन्धित करके सिंचाई की जा सकती है । एक हजार एकड़ जमीन की यहां भी सिंचाई हो सकती है । मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि सन् १९५२ में एक स्कीम चली थी नारायणी नदी के पास पिरई डैम बनाने की । जनता की गाढ़ी कमाई के रुपये से ४० हजार की इमारत तो खड़ी कर दी और दो लाख रुपये की मिट्टी भी डलवा दी गयी, लेकिन वह मिट्टी बह गयी है और आज तक उसका पता नहीं चला, क्या हुआ क्योंकि उस स्कीम को बन्द कर दिया गया । उसे पुनः चालू किया जाय । इसी तरह से सदनाम डैम की स्कीम सन् १९७४ में आई थी और उसे १९७४ में बनना चाहिय था । १९७४ में कोई काम नहीं हुआ और १९७५-७६ में १२.३ लाख रु० दिया गया उसमें भी कोई काम नहीं हुआ । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां के जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री बी० पी० शर्मा हैं वह झांसी में पड़े रहते हैं साइट में देखने तक नहीं जाते । १९७६-७७ में जो अनुदान मंत्री जी ने दिया है उसका भी ऐसे ही उपयोग होगा ऐसा मेरा अनुमान है ।

इसी प्रकार राजघाट स्कीम के बारे में है । मैं मानता हूं कि इस स्कीम में मध्य प्रदेश भी भागीदार हैं परन्तु जिस स्कीम का उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया हमारे पुराने मुख्य मंत्री जी ने उसकी उपेक्षा की । मैं अपने मंत्री जी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है । लेकिन मुझे एक बात दुख के साथ कहनी पड़ती है जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं कि राजघाट योजना में ८३ नग बनने थे उसमें से ८ नग इनका कहना है कि बन गये हैं लेकिन मुझे एक भी देखने को नहीं मिला । साथ ही साथ कहा गया है कि ५० प्रतिशत मिट्टी डालने का काम हो गया है लेकिन वहां पर २० प्रतिशत काम ही हुआ है । वहां के जो इंजीनियर हैं वह झांसी में बैठे रहते हैं ललितपुर वह नहीं जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय हो गया ।

श्री रणवीर सिंह--

मान्यवर, अभी दो मिनट और दे दें । मैं कह रहा था कि इस योजना पर २० प्रतिशत मिट्टी डालने का काम ही हुआ है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा

कि वह इसकी जांच करायें और जो इसके लिए अपराधी हो उसे दंड दें । इस राजघाट योजना पर पिछले साल ६० लाख रु० वापस किये गये । इस विभाग के जो चीफ इंजीनियर हैं श्री रामनगीना सिंह वह यहां ठाट बाट से बैठे रहते हैं उन्होंने करोड़ों रुपये का घोटाला किया है उनकी बीबी सिगरेट और जाम पीती हैं । इस प्रकार पैसे का दुरुपयोग आज किया जाता है । इस प्रकार के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये चाहे वह कोई भी हो । रोहणी डैम का काम अभी भी कागज पर ही है आपकी किताबों में एक जगह ७४ लाख रु० उसके लिए रखा गया है और दूसरी जगह ६७ लाख रु० दिखाया गया है जब आपकी किताबों में ही इस प्रकार की हेराफेरी है तो काम करने वाले क्या काम करेंगे ? इस साथ ही जो सदनाम डैम के इंजीनियर है श्री वी० पी० शर्मा वह मस्त पड़े रहते हैं वह कोई काम नही करते हैं । करोड़ों रु० का घोटाला उन्होंने किया है हमारे श्री सुदामा प्रसाद जी ने उसकी शिकायत भी की थी लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इसकी जांच करायें । इस पर ०·७३ लाख रुपये खर्च होना था लेकिन अभी तक उसमें १/४ भाग भी काम नहीं हुआ । इन शब्दों के साथ जो मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो मेरे द्वारा मांग की गई है उसको भी वह पूरा करेंगे ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, मेरा भी नाम है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

आप थोड़ा धैर्य रखें । जो लोग बिलकुल नहीं बोले हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको अवसर दिया जाय । (श्रीमती राम रति देवी के खड़े होने पर) आप भी बैठें आपको भी अवसर मिलेगा ।

*श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, जो सिंचाई सम्बन्धी अनुदान आज पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं विशेष रूप से एक बहुत जटिल समस्या जो मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में है, उसकी ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैंने इस समस्या के सम्बन्ध में सन् ७१ में भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था एक प्रार्थना-पत्र के द्वारा । मान्यवर, मेरे क्षेत्र बरनावा, जिला मेरठ में है, वहां पर सारी की सारी आबपाशी ट्यूबवेल्स के जरिये होती है । राजकीय नलकूप भी काफी हैं और जब उनसे आवश्यकता पूरी नहीं हुई, तो प्राइवेट ट्यूबवेल लोग लगाए हुए हैं । वहां पर नहरों की सिंचाई का कोई जरिया नहीं है । इसके कारण वहां पर वाटर लेवेल बहुत नीचे चला गया है, जिसके वजह से मई और जून के महीनों में वहां पर पानी की स्थिति भयावह हो जाती है । उनके किसी गांव में श्रीमन्, ५-६ आदमी चले जाएं और वे लोग वहां के लोगों से पानी का सवाल करें, तो लोग सकपका जाते हैं । इतनी ज्यादा वहां पर पानी की किल्लत हो जाती है, जानवरों के पीने के पानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री धर्मवीर सिंह]

की किल्लत हो जाती है। इसलिए वे लोग सारे के सारे ट्यूबवेल एक साथ नहीं चलाते हैं, अन्यथा वहां पर पानी की कभी बद से बदतर हो जाए। इसके बारे में मैं शासन को कई बार लिखता रहा हुं। इस पर इसमें एक बार सर्वे हुआ, जहां तक मेरी जानकारी है, मालूम हुआ कि इसके बारे में कोई योजना नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन मेरे दुबारा आग्रह करने पर फिर सर्वे किया गया और यह जानकारी मिल पायी थी कि जलालवल जो वहां स्थान है वहां पर गंगा का पानी किसी तरह लाया जा रहा है और वहां पर नहर निकाली जा रही है। किन्तु अब मुझे सूचना मिली है कि गंगा का पानी वहां आने में कठिनाई पैदा हो गयी है। अतः मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की इस समस्या पर उन्हें पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एक बड़ा जरखेज इलाका बिल्कुल रेगिस्तान हो जाएगा।

मान्यवर, इस इलाके में दो नदियां हिंडन और कृष्णा हैं। किन्तु वे बड़ी गहराई में हैं। होना तो यह चाहिए कि वह वाटर लेवेल की समस्या हल करने में मदद करें, उलटे खेतों का पानी सीवेज होकर उसमें चला जाता है। ५०-५०, ६०-६० और ७०-७० फीट पर आमतौर पर लोगों को पानी मिल पाता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो राजकीय नलकूप हैं, यह सिंचाई विभाग के अन्तर्गत हैं, किन्तु उनमें जो पावर इस्तेमाल होती है, उसको इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड देखता है। इस दोहरे प्रबन्ध से अनेक कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। आमतौर पर यह होता है कि ट्रांसफार्मर चोरी हो जाने पर जब सिंचाई विभाग में शिकायत होती है, तो वहां से जवाब मिलता है कि हमने बिजली विभाग को लिखा है, उसकी व्यवस्था वहां से होगी। इसमें तीन महीने का समय लग जाता है। सिंचाई विभाग बिजली विभाग को लिखता है, वहां से कभी उत्तर आता है, कभी नहीं आता है। इसलिए सरकार को सम्मिलित योजना बनानी चाहिए, जिससे जो राजकीय नलकूप हैं उनकी बिजली का नियन्त्रण भी सिंचाई विभाग के हाथ में रहे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर अवश्य ध्यान देने की कृपा करेंगे।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कुछ किया है, सरकारी ट्यूबवेल के दो सौ किलोमीटर के चारों तरफ कोई आदमी अगर निजी नलकूप लगाएगा तो उसे बिना नो-सर्विस सार्टीफिकेट के बिजली नहीं मिलेगी। अगर बिजली से चलाना चाहें तो लगा सकता है, पावर से नहीं। मंत्री जी ने काफी कंडीशन इसमें बेव की है, उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में प्रार्थना-पत्र देने पर सिम्पथिटिकली विचार किया जाएगा। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इस सिम्पैथटिक वर्ड को काट कर, आज निजी ट्यूबवेल वहीं लगाना चाहते हैं जिनको पानी की सप्लाई नहीं मिलती, उनकी आवश्यकता को देखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाय कि वह अपने निजी ट्यूबवेल्स लगा सकें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ट्यूबवेलों को बिजली की सप्लाई रेगुलर नहीं होती, हालांकि यह बिजली विभाग के अन्तर्गत आता है, लेकिन इसका सीधा सम्बन्ध सिंचाई विभाग से है। बिजली ट्रिप हो जाती है, कभी-कभी दो-दो, चार-चार घंटे ही चलता है। बिजली की सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए, नियमित टाइम से आनी चाहिए चाहे रात को दी जाय या दिन में। लेकिन टाइम फिक्स होना चाहिए ताकि किसानों को मालूम हो कि वह किस वक्त खेत में जायं।

दूसरे, मान्यवर, यह भी प्रतिबन्ध है कि जो आदमी अपना निजी नलकूप लगाना चाहता है, उसको बिजली का कनेक्शन तभी दिया जाता है जो बैंक से ऋण ले ले । आमतौर पर मैंने दो तीन ब्लाक में देखा, सरधना, दौराला आदि ब्लाक्स में लैंड डेवलपमेन्ट बैंक में पिछले तीन चार महीने से ऋण की कोई व्यवस्था नहीं है और जो निजी नलकूप लगाना चाहता है उसको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । अगर यह प्रतिबन्ध हो कि खाली ऋण लेने पर बिजली मिलेगी तो ऋण की व्यवस्था करना बड़ा आवश्यक है । इसकी ओर माननीय मन्त्री ध्यान दें क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध सिंचाई विभाग से है । बहुत सी चीजों को माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में सफाई कर दी है । नहर कटने का जो सवाल है, उसके सम्बन्ध में मन्त्री जी ने बतलाया । एक समस्या मेरे क्षेत्र की है । एक ठीगरी गांव है उसमें ड्रेनेज की समस्या है जिसके बारे में मैं शासन को लिख चुका हूं जिला स्तर पर, उसके बारे में ध्यान दे कर ड्रेनेज की समस्या को हल करवाने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

मान्यवर, हमारे प्रदेश में सिंचाई के साधनों की बहुत बड़ी जरूरत है और इसको बहुत बढ़ाने की जरूरत है । प्रदेश में पुरानी योजनाएं चल रही हैं, उनकी जितनी पूरी क्षमता है उसके ७० प्रतिशत से कम अगर वह सिंचाई करती हैं तो पूरे प्रदेश में फिर से सर्वे होना चाहिए और प्लान बनना चाहिए । इस सम्बन्ध में जो आपका अनुसंधान और नियोजन खंड है, इसको मजबूत बनाया जाना चाहिए । इसमें इंजीनियर्स और कर्मचारियों की तादाद भी बढ़ायी जानी चाहिए । लेकिन, देखा यह जाता है कि इस विभाग में अनुसंधान एवं नियोजन खंड में आने के लिए इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और कर्मचारी तैयार नहीं होते हैं । क्योंकि यह प्रतिशत से सूखा मामला है, तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जैसा पुलिस में सी० आई० डी० के लिए किया है, उनको प्रोत्साहित किया गया है, उसी तरह से उनको भी प्रोत्साहित किया जाय । अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स रखे जाने चाहिए । हमारे बांदा जिले में मांडा बांध की एक योजना है, वह कम्पलीट है और अपनी क्षमता का १० प्रतिशत पानी देती है । तो इसमें देखना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है कि जो प्लानिंग की गयी, जो सर्वे किया गया है, उसकी कमी के कारण है या कोई और कारण है । जो लाखों रुपया बरबाद हुआ, तो उसको देख कर के किसानों की भलाई करनी चाहिए । बुन्देलखंड में बहुत सी योजनायें हैं जो कि पूरी क्षमता से नहीं चलती हैं, उनको भी देखने की जरूरत है । इसी तरह से लिफ्ट का बता दूं । राजापुर लिफ्ट योजना है, उसमें पानी के लिए इतना झगड़ा होता है और किसान पानी चाहते हैं और आपकी नहर पानी दे नहीं पाती है । मुझे पता चला है कि कुछ सर्वे हुआ है, कुछ योजनाओं का तो जिनका सर्वे हुआ है उन पर ध्यान देकर उसकी क्षमता बढ़ानी चाहिए जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई का लाभ मिल सके । जो नयी योजनायें बनाने की गति है वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम सजीवन]

बहुत ही धीमी है । इस दिशा में बहुत ढिलाई है और काम नहीं हो रहा है । नयी-नयी योजनायें बनाने का प्रयास होना चाहिए । इस सम्बन्ध में छोटी-छोटी योजनायें बहुत काम करती हैं और फायदा पहुंचाती हैं, उनकी कम लागत होती है और जल्दी बन जाती हैं । लेकिन आपने प्रतिबन्ध लगा रखा है कि २५ क्यूसेट से कम की लिफ्ट योजना स्वीकार नहीं की जाती है तो छोटी नदियों में योजना लगती नहीं है इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है । अगर छोटी-छोटी योजनायें लें तो साल डेढ़ साल में बन जायेंगी और किसानों को लाभ होने लगेगा । तो मेरा निवेदन है कि इस तरह की योजनाओं को लेना चाहिए । बुन्देलखंड में सिंचाई की बड़ी कमी है । पैश्वनी नहर योजना का सर्वे होकर चला आया ।

पहले मध्य प्रदेश का झगड़ा था वह तिवारी जी ने हल करा दिया । सेन्ट्रल वाटर कमीशन में वह मामला पड़ा हुआ है । मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न भी किया था और माननीय मन्त्री जी ने उसका उत्तर दिया था । आपने यह बताया था कि केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री से आपकी बात हुई है और वे बुन्देलखंड की कुछ योजनाओं के लिए क्लियरेन्स दे देंगे । मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि इस योजना को शीघ्र पूरा करने का प्रयास करें इससे लाखों किसानों का भला होगा । इस सम्बन्ध में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक सेन्ट्रल से स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक राज्य सरकार उसको एप्रोच रोड और इंजीनियर्स के क्वार्टर्स सर्वे इत्यादि का कराना शुरू कर दें । पिछले बजट में भी रुपया रखा गया मगर एक पैसा नहीं खर्च हुआ । इस बार भी रुपया रखा गया है, उम्मीद है कि अगर यह झगड़ा हल हो गया तो शायद पैसा खर्च होने पायेगा नहीं तो वह भी नहीं हो पाये । अतः मेरा निवेदन है कि आप कम से कम प्रारम्भिक कार्य तो वहां शुरू ही करवा दें ।

कुछ नहीं छोटी-छोटी योजनायें भी बांदा जिले में चलाई जा रही हैं । जैसे पैसुनी नदी पर सर्दुआ के पास लिफ्ट योजना बनाई गई । मान्यवर, बुन्देलखन्ड में लिफ्ट योजना बड़ी लोकप्रिय है । क्योंकि हमारे यहां की जमीन पथरीली है । ट्यूबवेल वहां लग नहीं सकते । और अगर लग भी जायें तो सफल नहीं हो पाते । अतः यदि यहां लिफ्ट योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाये तो काफी समस्या हल हो सकती है । श्रीमन् बागें नदी पर गढ़ी घाट योजना आपने बनाई, जिससे किसानों को लाभ भी हो सकता है ।

श्रीमन्, डी० पी० ए० पी० के पैसे के बारे में एक निवेदन कर दूं । इससे जो पैसा केन्द्रीय सरकार हमें देती है उसका उपयोग सिंचाई में न होकर पशुपालन, भूमि संरक्षण आदि कार्यों में हो जाता है । यदि इस पैसे का उपयोग सिंचाई कार्यों के लिये किया जाय तो किसानों को काफी लाभ मिल सकता है । बरुआ बांध से पानी एक दम नहीं मिल पाता । यह एक दम फेल हो चुका है । आपने यहां एक लिफ्ट योजना चलाई है । मेरा सुझाव है कि यदि एक और लिफ्ट योजना चालू कर दी जाये तो यहां जो पानी की कमी रहती है, वह पूरी हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया शीघ्र समाप्त करें ।

श्री राम सजीवन--

श्रीमन्, डी० पी० ए० पी० के पैसे के बारे में एक बार पुनः जोर देना चाहता हूं कि यह पैसा बहुत बर्बाद होता है और अन्य कामों में खर्च हो जाता है । उससे किसानों की सूखे अकाल से बचने की जो समस्या है, वह हल नहीं हो पाती है । अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपा करके केन्द्रीय सरकार से बात करें और कोशिश करें कि वह सारा पैसा सिंचाई विभाग को मिले और उस इलाके में शासन सिंचाई योजनाओं को शुरू करे ।

श्री गौरी शंकर भैय्या (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, सिंचाई विभाग द्वारा जो पुस्तिकायें दी गई हैं उनको देखने से पता चलता है कि अब सरकार को सिंचाई के बारे में नए सिरे से सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है । सारा प्रदेश जल-जल हो गया है । खेतों में पानी अपने आप ही पहुंच जायेगा ।

मैं सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र, बलिया के कोपाचित की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । यहां जो ट्यूबवेल लगे हैं, उनमें से ७५ प्रतिशत बिल्कुल बेकार हैं और काम नहीं कर रहे हैं । कुछ की रिबोरिंग की आवश्यकता हैं । कुछ पानी नहीं देते हैं । नालियां टूट गई हैं । शायद ही वहां कभी पानी मिल पाता हो ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं । जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया था कि हमारे यहां के ७५ प्रतिशत ट्यूबवेल खराब पड़े हैं लेकिन वहां पर जो आपरेटर मौजूद रहते हैं, वे गांव के किसानों पर सिंचाई कर के रूप में सात-आठ सौ रुपये की नोटिस भेज देते हैं जब कि उन्हें पानी बिल्कुल नहीं मिल पाता है । अतः मैं सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस स्थिति की जांच कराकर सही लागत वसूल की जाय । मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ लिफ्ट सिंचाई की योजनायें हैं, जैसे सागर पाली, रामपुर, सोहांव, करेन्टा डीह आदि । ये पम्प नहरें मेरे क्षेत्र में काम करती हैं । लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ये सारी की सारी पम्प नहरें बन्द पड़ी हैं, काम नहीं करती हैं । कुछ तो जब से लगी हैं तब से उन्होंने पानी देना बन्द कर दिया है और कुछ बाद में खराब हुई हैं । ये गंगा और टौंस की नदियों से पानी उठाती हैं लेकिन जब इनकी धाराओं का बदलाव हो गया है, दूसरी ओर पानी चला गया है तब से इन पम्प कैनाल्स में पानी नहीं आ रहा है ये बेकार पड़ी हुई हैं । मेरी प्रार्थना है कि इन पम्पों को वहां से हटाकर उस स्थान पर लगाया जाय जहां पर पानी नजदीक हो ताकि ये वहां से पानी उठा सकें ।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कोपाचित में जल जमाव के बारे में निवेदन करूंगा । यह इलाका गड़हा के नाम से है । गड़हा शब्द स्पष्ट करता है कि वहां पर पानी

[श्री गौरी शंकर भैय्या]

का जमाव होता है। रतताड़ के दक्षिण, बड्डुलिया ताल, टुटुआरी, चितबड़ा गांव के दक्षिण तथा चौंरा कथरिया के आस-पास जब बाढ़ आती है तो सैकड़ों गांव गिर जाते हैं। मैं मांग करता हूं कि वहां पर ड्रेनेज का विकास किया जाय ताकि पानी वहां से निकल सके और हजारों एकड़ भूमि जो पानी से भर जाती है और जिससे फसल बरबाद हो जाती है उसे बचाया जाय और वहां पर फसल अच्छी उगाई जाय।

अब मैं बाढ़ एवं कटान के बारे में कहना चाहता हूं कि गंगा और घाघरा की जवानी से अनेकों घर बरबाद हो जाते हैं। अभी हाल में माननीय रावत जी का वहां पर दौरा हुआ है। उन्होंने उस समय यह कहा था कि वे हमारे यहां की समस्या का कुछ न कुछ निदान करायेंगे। मेरे निजी क्षेत्र में बघेजी, कोट अंजोरपुर, बभनौली, बड़का खेत, नसीरपुर कलां में बड़ा कटान हुआ है। इन्द्रपुर में तो गंगा और टौंस नदियां आपस में मिलना चाहती हैं। गंगा और टौंस नदियों के मुहाने एक मील पड़ते थे। अब एक नई स्थिति पैदा हो गई है। दोनों नदियों के बीच में ४० मीटर की दूरी रह गई है। उस इलाके में बघेजी, गनहरा, सेखइयां, थमनपुर, हसनपुर आदि ७-८ गांव १५०० की आबादी वाले पड़ते हैं। मैं चाहूंगा कि इनको बचाने के लिए माननीय मन्त्री जी को कुछ कदम उठाने चाहिए।

अब मैं दियारे की सिंचाई की समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बलिया जनपद घाघरा और गंगा के बीच में है। स्थिति यह है कि दोनों नदियां एक दियारे के रूप में परिणत हो गई हैं। हजारों एकड़ जमीन असिंचित है। मैंने बिहार में देखा है कि वहां पर बांस की बोरिंग बनाकर लगाई जाती हैं, और वहां पर ५-५ खेतों को मिलाकर एक आदमी को सिंचाई मशीन दे देते हैं कि सिंचाई का प्रबन्ध कर ले।

मेरी माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह भी प्रार्थना है कि लोकनायक जय प्रकाश जी के गांव तक जाने वाले बांध के किसी भी सड़क पर कोई काम नहीं हुआ है। आपने अपने पिछले दौरे में यह आश्वासन भी दिया था कि लोक नायक के घर तक जाने के लिए जो विभाग सिंचाई की ओर से बांध जाता है, उसको जल्द से जल्द पक्का कर दिया जायगा ताकि जब लोक नायक जय प्रकाश जी जब अपने घर जायें उनको पक्की सड़क पर जाने में सुविधा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर करता हूं।

श्रीमती रामरति देवी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि दिन भर के परिश्रम के बाद मुझे बोलने का मौका मिला।

श्री अध्यक्ष—

मुझे धन्यवाद न दीजिए।

श्रीमती रामरति देवी—

अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के द्वारा प्रति वर्ष नहरों को बढ़ाया ही जा रहा है और इस तरह से धरती घटती जा रही है, किन्तु घटने के बाद भी उत्पादन बढ़ता जा रहा है, यह प्रसन्नता की बात है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए।

इसी के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी को अपने जिले से सम्बन्धित एक सुझाव देना चाहती हूं । मान्यवर, मेरा जिला फैजाबाद जो तालाबों से घिरा हुआ जिला है और प्रति वर्ष इस तरह से वर्षा के समय हजारों एकड़ धरती जलमग्न हो जाती है और उसमें लगी हुई फसलें एकदम बरबाद हो जाती हैं । हजारों मन गल्ला प्रति वर्ष नुकसान जाता है और उन ग्रामवासियों पर एक तबाही आ जाती है । उनके ऊपर क्या बीतती है, उस समय की कठिनाइयों को वही समझ सकते हैं । प्रति वर्ष हमेशा ऐसी स्थिति आने पर हम लोगों के द्वारा नाले खुदाई के लिए सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन जो योजनाएं बनती हैं, वह कागज पर रह जाती हैं और सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कि सिंचाई विभाग के कार्य में यह कार्य सम्मिलित नहीं है और उनके कार्य में इसका कोई महत्व नहीं रहता । अतः मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहती हूं कि जिस प्रकार पश्चिमी जिलों में ड्रेनेज निर्माण खंड खोले गये हैं, वह हमारे पूर्वी जिलों में भी खोले जायं ।

मैं अपने क्षेत्र की कठिनाइयों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । हमारे क्षेत्र फैजाबाद में जहांगीरगंज में और जो कैनाल टांडा से जहांगीरगंज होकर आती है तो जहांगीरगंज के आगे कभी-कभी पानी दूर तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि कि जहांगीरगंज के आगे जमीन ऊंची है और पश्चिम की तरफ नीची है । पहला कारण तो यही है । बराबर कमेटियों में सुझाव देने पर यह होता रहा कि जरा सी जमीन की कुछ मजदूरों को लगा कर सफाई करा दी जाती है, उसका नतीजा केवल ९-१० का फर्क पड़ता है । जो सुविधा मिलनी चाहिए उस नहर के द्वारा वह नहीं मिल रही है । मेरा सुझाव है कि इस नहर का सर्वेक्षण कराया जाय, उसके बाद फिर से उसकी मरम्मत होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान कुछ विभागीय कमियों की तरफ दिलाना चाहती हूं । विभाग के द्वारा जहां कहीं पम्पिंग सेट्स लगाये जाते हैं, नलकूप की बोरिंग होने के बाद विभाग द्वारा जो मशीन दी जाती है, उसमें एक मशीन ऐसी फिट होती है जो यह संकेत दिलाती है कि कितने घंटे कार्य हुआ । आज उस चीज को देख करके अधिकारियों में यह परेशानी हो रही है कि इससे निश्चित कार्य की अवधि का पता चल जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिए ।

श्रीमती रामरति देवी--

तो उनको कठिनाई होती है । उनका इस तरह का सुझाव चल रहा है कि सूबा स्तर पर यदि सिंचाई विभाग के अभियन्ता से यह मांग कर दी जाय कि इस मशीन से मीटर हटा दिया जाय तो वे मनमाने ढंग से वाउचर बनाने में सफल हो सकेंगे और उनको सुविधा होगी । इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाय

दूसरी तरफ मैं विभागीय कमजोरियों की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं जिसकी वजह से हमारा काफी रुपया बरबाद हो रहा है । हमारे मदानी इलाके में एक नलकूप सरकार द्वारा लगवाने पर १ लाख रुपया खर्च किया

[श्रीमती रामरति देवी—]

जाता है । यह धनराशि बहुत ज्यादा है जबकि एक प्राइवेट नलकूप लगवाने पर कुल मिलाकर १५ हजार रुपया ही व्यय होता है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया समाप्त कीजिए ।

श्रीमती रामरति देवी—

बड़ी मेहनत के बाद समय मिला । एक मुख्य सुझाव रह गया है । केवल २ मिनट का समय दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

खैर, यह आपका विशेषाधिकार है ।

श्रीमती रामरति देवी—

मान्यवर, अकबरपुर तहसील के आगे आर्या बाजार से हो कर एक माइनर जा रही है । यहां हमारे अधिकारीगण आपकी सिंचाई का बेजा फायदा उठा रहे हैं । अगर आप सही कदम नहीं उठायेंगे तो प्रजातन्त्र होते हुए भी उन गरीबों को जो पिछड़ी जाति के हैं काफी नुकसान पहुंचेगा । इसी नहर के ऊपर एक देव स्थान पड़ता है । माननीय मंत्री जी से जब बात हुई तो अधिकारियों ने एक शब्द भी उस देवस्थान के बारे में नहीं कहा । और जब यह नहर अकबरपुर, टांडा में ९ मील पर मिलती है तो हमारा यह सुझाव है कि वहां से नहर लाई जाय और यह भावना कि वहां तो कब्रिस्तान है इसलिए वहां नहर जा नहीं सकती है तो कब्रिस्तान वहां से बहुत दूर है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया समाप्त कीजिए ।

श्रीमती रामरति देवी—

एक ही मिनट और । यानी वहां जमीन की कमी का बहाना लगा के, कब्रिस्तान का बहाना लगा के गरीब किसानों को मारा जा रहा है और बड़े-बड़े किसानों से पैसा लेकर उस नहर को मोड़कर ९ मील ४ फर्लांग से दूसरे रास्ते से ले जाया जा रहा है । मैंने जिला इंजीनियर, श्री राम प्रकाश सिंघल के कार्यालय में नक्शे को स्वयं देखा है । उसको देखने से पता चलता है कि आप जिस लाइन से ले जायेंगे इसमें जमीन के लेने में, मिट्टी के लेने में बहुत कठिनाई है और खर्चा भी काफी होगा । मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी नक्शे को जल्द से जल्द मंगा लें और उसको देखें ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती रामरति देवी—

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री गाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी की ओर से प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन कर रहा हूं। मान्यवर, इसी विभाग के हमारे उच्चाधिकारी बैठे हैं। सुबह से अब तक इनके ऊपर कितनी चोटें की गई हैं अगर ये इन्सान होंगे तो अपने को बदलेंगे अगर इस्पात और लोहे के होंगे तो फिर काफी गरमी पहुंचा कर इनको ठीक करने की आवश्यकता पड़ेगी।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इलाहाबाद जिले का नक्शा रख रहा हूं। इलाहाबाद जिले के प्राकृतिक तीन भाग हैं—गंगापार, जमुनापार और द्वाबा। मान्यवर, जब से जनता सरकार बनी है, इस बीच में आज तक के जितने भी मंत्री, उप मंत्री महोदय इलाहाबाद गये होंगे और विभिन्न विभागों की रिपोर्टें उनके सामने आई होंगी, उनमें केवल गंगापार और जमुनापार का नाम रहा है। इलाहाबाद जिले का क्षेत्र जो द्वाबा के नाम से मशहूर है मान्यवर, यह गंगा और जमुना के बीच में है और इसमें तीन तहसीलें आती हैं और उसमें सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो ग्रांडट्रंक रोड और इलाहाबाद से दूर लगभग ५० मील की दूरी पर, ३५ मील की दूरी पर उसका किनारा पड़ता है, वह है तहसील मंझनपुर।

मान्यवर, अभी मैंने प्रश्न पूछा, उसमें मालूम यह हुआ कि अब तक केवल एक ट्यूबवेल सरकारी चालू है। यह ३० वर्ष की प्रगति के आंकड़े हैं और ६ ट्यूबवेल भू-छेदन करके छोड़ दिए गए हैं। यह रिपोर्ट मेरे सामने मान्यवर, आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं धरती के नीचे से पानी निकालने की स्कीम का समर्थन तो कर रहा हूं किन्तु जो मेरा बरसाती पानी बहता है, नदियों में चला जा रहा है, मैं उसको रोकने की ओर इशारा कर रहा हूं। मान्यवर, तहसील मंझनपुर में ही नहीं, प्रान्त के किसी भी गांव में आप सर्वे करावें, तो हर गांव में ४, ६, १० बड़े-बड़े तालाब पुराने सयानों ने बनवा रखे थे और उन्हीं से सिंचाई का काम लेते थे, वह तालाब धीरे-धीरे पटते गये, मिट्टी से पटते गये। आज उनमें पानी इकट्ठा होने की क्षमता नहीं रह गयी है और वह उबल कर, बह कर किसानों के खेतों को नष्ट कर रहा है। मेरा सुझाव यह है कि उन तालाबों को गहरा करकर बरसाती पानी को इकट्ठा किया जाय, जिनमें मत्स्य पालन का भी काम हो और सिंचाई का भी काम लिया जा सके।

मान्यवर, मेरे ही क्षेत्र में एक झील अलवारा है, जो लगभग ढाई-तीन मील लम्बी-चौड़ी है। १९६२ में जब प्रथम बार मैं विधायक बन कर आया था तो मैंने सिंचाई विभाग का ध्यान आकर्षित किया था कि वह झील अलवारा ही नहीं, उसको तो उसको आवारा कहा जा सकता है। ढ़ाई-तीन मील लम्बी-चौड़ी है। उसको बांध बांध करके सिंचाई का साधन बनाया जा सकता है, मछली पालन का काम लिया जा सकता है। उसका सम्बन्ध नहरों से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ६७ और ६२ के बीच में उसका सर्वे भी हुआ, कठिनाई यह है कि जो सदस्य यहां विभिन्न विभागों के सुझाव देते हैं, उनको जिस वक्त कार्यान्वित करने के लिए, जांच-पड़ताल के लिए कोई भी विभागीय कर्मचारी जाते हैं, तो वे मेम्बरों से सम्पर्क न स्थापित करके, जो उन स्कीमों में रुकावट डालने की शक्तियां होती हैं, उनसे सम्पर्क स्थापित करके उल्टी-सुल्टी रिपोर्ट सरकार में देकर उनकी ठप करने का प्रयास करते हैं। मैं अब भी चाहता हूं कि झील अलवारा का सर्वे कराया जाय, ढ़ाई-तीन मील

[श्री नाथूराम शिक्षक—]

लम्बी-चौड़ी है, मछली पालन का काम हो सकता है, सिंचाई का काम हो सकता है। वह काली मिट्टी की जमीन है, अगर सर्वे कराया जाय, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि उसमें अंगूर की खेती भी हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, छोटी-छोटी बरसाती नदियां और नाले भी होते हैं। वह केवल बरसात के दिनों में पानी बहाने का काम करते हैं और उसके बाद सूख जाते हैं। मान्यवर, इस ओर मेरा इशारा है कि उन नालों को गहरा कराया जाय। इसके अलावा उन पर एक-एक, दो-दो मील पर बांध बनाये जायं और १५-२० फीट उनको गहरा कराकर बरसात का पानी उनमें रोका जा सकता है। इस पानी को सिंचाई के काम में लाया जा सकता है। इसके अलावा इनके किनारे ट्यूबवेल लगाये जा सकते हैं और इनका सम्बन्ध नहरों से करके इनसे १२हों महीने सिंचाई का काम लिया जा सकता है।

मान्यवर, हमारी तहसील मंझनपुर से ही बुन्देलखंड की शुरूआत होती है। नदी हैं, पहाड़ हैं, झीलें हैं, कटान हैं, नदियां हैं। जिस तरीके से बुन्देलखन्ड के उत्थान की बात सोची जाती है तो मंझनपुर प्रारम्भ का हिस्सा है। मैं सिंचाई मंत्री से ही नहीं, बल्कि अन्य विभागीय मंत्रियों से मांग करता हूं कि इसकी ओर ध्यान दिया जाय और समस्याओं का समाधान किया जाय। मान्यवर, मैं आपके आदेश के अन्तर्गत ही, आपकी सूचना के अन्तर्गत ही, मैं अपने को समाप्त करता हूं। (हंसी) मैं अपने भाषण को समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

अपने को समाप्त न कीजिएगा, शिक्षक जी। आपकी सेवाओं की तो अभी बहुत जरूरत है। (हंसी)

श्री नाथू राम शिक्षक—

मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और पुनः मांग करता हूं कि सरकार और विभागीय मंत्रिगण तहसील मंझनपुर को समृद्ध करायें और जो कमियां इस विभाग की ओर से हैं उनकी ओर ध्यान देने की कोशिश करें।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

आप अपने भाषण को सुधार लीजिए।

श्री नाथू राम शिक्षक—

सुधार लिया है।

*श्री राम आधार—

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने समय दिया। मान्यवर, इस कांग्रेसी राज के कुशासन में, ३० सालों से कृषि और सिंचाई की उपेक्षा होती रही जिसका कारण है कि १९४७ में जहां २७ लाख हेक्टेयर क्षमता थी वहां वह १९७६-७७ में केवल ४८.३४ लाख हेक्टेयर रह गयी। सिंचाई की तरफ ध्यान नहीं दिया गया उसमें २ गुने से अधिक वृद्धि नहीं हुई जबकि ८६ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। मान्यवर, २३९ लाख हेक्टेयर भूमि है जिस पर खेती होती है, लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केवल ३३ प्रतिशत सिंचाई की सुविधा है । इस रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक १० करोड़ जनता को खिलाने के लिए १६ औंस अनाज और ३० औंस दालें उपलब्ध कराई जा सकती हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि अगर प्रदेश के अन्दर जो खेती योग्य भूमि है उसको सिंचाई सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराई जाय तो उत्तर प्रदेश अकेले ही आधे हिन्दुस्तान की जनता, ३० करोड़ जनता को अनाज उपलब्ध करा सकता है । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेसी शासन में, पिछले शासन में सिंचाई की तरफ ध्यान न देकर नलबन्दी की तरफ ध्यान दिया गया । नलकूप न लगाकर लूप पर ध्यान दिया गया और बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे विरोधी पक्ष के भाई जो सरकार पहले चलाया करते थे वे यहां पर आकर जनता पार्टी को सरकार पर हमला किया करते हैं ।

मैं समझता हूं कि अगर आज तक केवल सिंचाई पर ध्यान दिया गया होता तो अमेरिका से गल्ला न मंगाना पड़ता । नगरों के सुन्दरीकरण पर और लखनऊ के सुन्दरीकरण पर ध्यान तो दिया गया है लेकिन सिंचाई जिसका सम्बन्ध गांव के विकास से है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है । करोड़ों रुपया अमेरिका को चला गया । इसका क्या जवाब है ? श्याम घर जी बैठे हुये हैं । मैं चाहूंगा कि वे इसका जवाब दें कि क्या बात है कि सिंचाई पर इतना कम पैसा खर्च हुआ और अमेरिका से गल्ला आप मंगाते रहे । मान्यवर, सिंचाई की सुविधा इसलिये और बढ़ाई जाय ।

मान्यवर, आजमगढ़ में तमसा नदी पर बांध बना वहां मुझे पता चला है कि २० लाख रुपया खर्च हुआ । वहां काम से अधिक रुपया पहुंच गया इसलिए मिट्टी सड़क पर वह लोग डलवाने लगे, चूंकि उनको लगा कि रुपया अधिक है, जबकि वह मिट्टी बेकार थी । मेरे कहने पर वह काम रोका गया । इसलिए निवेदन है कि सिंचाई विभाग में रुपया और दिया जाय, लेकिन उसके साथ ही भ्रष्टाचार को रोका जाय ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथी जिले की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि पूर्वी जिलों में विकास का काम अधिक हो रहा है । किन्तु मैं समझता हूं कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी तरह की असमानता नलकूप लगाने में नहीं बरती गयी । अंग्रेजों के जमाने में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग क्रांति में आगे थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग फौज में ज्यादा थे । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का विकास ज्यादा किया गया है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो नहरों के विकास का कार्य किया जा रहा है वह पश्चिम में १०० वर्ष पहले हो गया था । इसलिए मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात इस आधार पर न करें । यह प्रदेश एक है । बुन्देलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा है । पूरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, योजना के समाप्ति तक ७४.१० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि सींची जायेगी । इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सिंचाई की और सुविधा बढ़ावें । मान्यवर, जो सिंचाई की सुविधा है उसमें सबसे बड़ी बाधा अव्यवस्था की है । हमारे जिले में १५६ नलकूपों पर आपरेटर नहीं हैं । आजमतगढ़ पम्प केनाल में मोटर नहीं है जिससे पानी नहीं निकलता है । मान्यवर, आजमगढ़ जिले के बारे में हमने प्रश्न उठाया था कि वहां शारदा सहायक की नहर जो बनने जा रही है, वह १२० फीट चौड़ी होगी ।

[श्री राम प्रकार---]

मान्यवर, हमारे यहां चकबन्दी हो गयी है । किसानों को नोटिस दी गयी हैं कि अपनी-अपनी फसल उखाड़ लें । इसलिए मैं चाहूंगा कि सगड़ी व धोसी में, जहां चकबन्दी हो गयी है, दुबारा चकबन्दी कराने के आदेश दें चूंकि वहां नहर बनने जा रही है नहीं तो वहां के किसान आन्दोलन करेंगे और उस फसल को बचायेंगे। मैं भी सत्याग्रह करूंगा और अपने क्षेत्र के किसानों के लिए मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं । दुबारा चकबन्दी में ३००-४०० रुपया रेवन्यू विभाग का खर्चा होगा, लेकिन सिंचाई विभाग को जो ८-८, ९-९ हजार रुपया किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा, वह बच जायेगा । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी सहमत है, मेरी बात उनसे हुई है कि यदि दुबारा चकबन्दी करा दी जायेगी तो सिंचाई विभाग का पैसा बचेगा और मुआवजा नहीं देना पड़ेगा ।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी आज इस सदन में घोषणा करें ।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है हमारे कौशिक जी ने कहा कि एक टंडन जी हैं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जिनके बारे में फैजाबाद में चर्चा थी । मेरे यहां भी लोग पुलन्दा डाल जाते हैं पढ़ने के लिए शिकायतों का । इमरजेन्सी के दौरान टंडन जी ने कहा था कि मैं पूरा नाम नहीं जानता कोई टंडन हैं, कि वहीं ट्यूबवेल लगेगा जहां के लोग पैसा देंगे । यहां तक हुआ कि लाखों-लाखों रुपया संजय गांधी के ऊपर खर्च किया गया । यही नहीं जीपों का मामला है । इन चीजों को देखें । मेरे पास एक शिकायत आयी कि बरेली म अधिशासी अभियन्ता, नलकूप के थे जिनका मामला माननीय उप मंत्री सिंचाई ने पकड़ा था ।

एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । जहां तक नाले बनाने की बात है, पानी निकास के लिए वह बहुत आवश्यक है और सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए । आज दालों की कमी है, वह महंगी हो गयी है । यह सब इसका ही परिणाम है ।

एक अन्तिम बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा । सिंचाई विभाग तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक विद्युत् विभाग सतर्क न हो । आपका ट्यूबवेल लगा रहेगा और विद्युत् मंत्री सहयोग नहीं करेंगे तो वह नहीं चलेगा । नतीजा यह कि ५० फीसदी गन्ना सूख गया, गेहूं खलिहान में सड़ गया । विद्युत् परिषद् के चेयरमैन बालिगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता वापस लेता हूं, विद्युत् परिषद् के चेयरमैन जैसे लोगों को निकालें । अगर ऐसे लोग रहेंगे तो सिंचाई मंत्री जी जो कृषक प्रेमी हैं उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और पुनः जोर देकर कहता हूं कि जिनका नाम मैंने लिया है उनकी जांच करवाइये ।

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, इस सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । सिंचाई का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है । हमारे देश के कर्णधारों ने पंचवर्षीय योजना बनाकर सिंचाई के साधन तैयार किये । तीस साल के अन्दर देश में बड़े-बड़े बांध बनाये गये । हजारों नलकूपों का जाल बिछाया गया । पम्पिंग सेट्स की व्यवस्था की गयी । मैं आलोचना करने वाले साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सब साधन पहले थे । और अगर इनकी व्यवस्था स्वतन्त्रता के बाद हुई तो इसकी तारीफ करने में आपको कष्ट नहीं होना चाहिए । सिंचाई के मामले में ही नहीं, सभी मामलों में हमारा देश आगे गया है । हमारे देश में सुई से लेकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हवाई जहाज तक बनने लगा। विदेशों के अखबारों ने भी हमारी प्रगति की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। हमको संसार के मंच पर बहुत बड़ा व्यक्तित्व मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। थोड़े दिनों में एक नया परिवर्तन हुआ। नई सरकार आयी। लेकिन ऐसा लगता है कि जनता पार्टी की सरकार ने इसका नाम 'जनता' रखकर जनता के नाम पर जनता को छला है। यह तो 'संविद' की सरकार चल रही है। यह खिचड़ी की सरकार जो इस समय चल रही है, इसका अपने उद्देश्य में सफल होना सम्भव नहीं प्रतीत होता। मैंने इनके बने हुये नियमों और किताबों को देखा है। जो धनराशि ये स्वीकृत कराना चाहते हैं, उसको केवल मंत्री जी जानेंगे और इंजीनियर्स जानेंगे और उनके अलावा न तो कोई विधायक जानेंगे और न कोई नागरिक कि इतना रुपया कहां से आया और कहां गया।

मान्यवर, इस समय देश के निर्माण कार्यों के अन्दर में शारदा सहायक नहर चल रही है। यह एक ऐसी पवित्र योजना बनायी गयी थी हमारे देश के कार्यकर्त्ताओं के द्वारा कि जिसका संचालन अब ये करने जा रहे हैं। लेकिन उसका संचालन जिस ढंग से हो रहा है उससे इस नहर की दुर्दशा की जा रही है। उसका तरीका गलत है। उसका जो मापदंड है, या जिस रास्ते से उसको जाना चाहिये, उसके बारे में अगर कोई आदमी इंजीनियर और ओवरसियर को पैसा देकर कह देता है तो उस नहर का रास्ता बदल देते हैं। इसकी शिकायत, मान्यवर मैंने सिंचाई मंत्री जी से कई बार की। तीन बार गया और आफिस में भी गया। मैंने उनसे निवेदन किया कि किन्हीं विशेष व्यक्तियों के प्रभाव में आकर पैसा लेकर नहर का रास्ता बदल रहे हैं और उसके कारण जनता का अहित होने जा रहा है और उससे बहुत अच्छी जमीन जा रही है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसका ठीक से सर्वे करा लें। तीन-चार बार सर्वे किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद अगर देखें कि वही ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन इंजीनियर साहब उसके लिये तैयार थे और ए० सी० को भेज रहे थे। मगर मंत्री जी के यहां से फोन आ गया कि जनता पार्टी के एम० पी० आ गये हैं और वह नहीं चाहते। अब पता नहीं कि वह कोई एम०पी० थे कि नहीं या कोई फर्जी एम० पी० थे। आपने इंजीनियर को रोक दिया। यही हालत इलाहाबाद-प्रतापगढ़ लाइन में हो रही है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। अगर मैं कांग्रेस का विधायक हूं और मेरी बात नहीं मानी और कह दिया कि जनता पार्टी का एम० पी० बीच में आ गया, मगर मेरा निवेदन है कि इस पवित्र योजना को बर्बाद न करें। इसको सुचारु रूप से सच्चाई के साथ चलने दें।

दूसरा सुझाव, मान्यवर, मैं जौनपुर जिले के अपने क्षेत्र के बारे में देना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे यहां अगर नहरों की व्यवस्था हो जाय तो दिक्कत न होगी। वहां पर नलकूप और नहरें जो दे रहे हैं, वे इने गिने हैं। पीने के पानी की भी किल्लत है। पिछली बार तो लोगों ने कुयें का कीचड़ तक पिया। नलकूपों की जो दुर्दशा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपरेटर ठीक टाइम से नहीं आते। बड़ी ढिलाई के साथ काम कर रहे हैं। कभी नलकूप पर आ गये, नहीं तो घूमते-घामते रहते हैं, या अपने घर पर रहते हैं। इसलिये यह सिंचाई विभाग, जो एक महत्वपूर्ण विभाग, अपने विभाग में थोड़ा सख्ती लाये

[श्री राम कृष्ण--]

और यह व्यवस्था की जाय कि नलकूप के आपरेटर्स ठीक टाइम पर अपनी ड्यूटी दें। जो नहरें मौजूद हैं, जिनकी नालियां बह गयी हैं, उनको देखें।

इसी के साथ एक निवेदन सिंचाई से संबन्धित जो बिजली विभाग के मंत्री हैं, उनसे करना चाहता हूं कि मान्यवर, आज हमारे यहां किसान पम्पिंग सेट लगाकर बैठे, बिजली के लिये धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं मिल रही है। मान्यवर, बिजली विभाग से कम परेशानी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है सिंचाई मंत्री जी से कि सिंचाई का संचालन करने के लिए बिजली विभाग को भी अपने पेरेलल लाने का प्रयास करें।

*श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत सिंचाई अनुदान जो मंत्री जी ने पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जब मैं उसका समर्थन कर रहा हूं तो मेरा फर्ज हो जाता है कि कुछ सुझाव भी मंत्री जी को दूं।

श्रीमन्, हमारे गोंडा जिले में कुल एरिया जो खेती के योग्य है, वह ६ ०२,५०० हेक्टेयर जमीन है। सन् १९७७ की जो सिंचाई की योजना है, वह केवल ४६,००० हेक्टेयर की है जो बहुत ही कम है। आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह साधन और बढ़ाने की कोशिश करें। श्रीमन्, यू० पी० में जितने जिले हैं उनमें गोंडा, बस्ती, बहराइच इन तीन जिलों में सिंचाई के बहुत कम साधन हैं। यहां पर सिंचाई के लिए लिफ्ट कैनाल आगरा योजना बनायी गयी है। इसी के द्वारा यहां पर आवपासी हो सकती है। यह योजना सिर्फ कोरे कागज पर ही है और इसके पूरे होने में कम से कम दस साल लगेंगे। ट्यूबवेल लगाने की जो स्कीम है उस सिलसिले में १७ सितम्बर को गोंडा में एक मीटिंग हुई थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और इरीगेशन इंजीनियर ने यह कहा कि जिस तरफ से घाघरा गोंडा में पास हुई है उस एरिया में ट्यूबवेल न लगाये जायं।

श्रीमन्, जब दस साल कैनाल को पास होने में लगेंगे तब तक पैदावार गिर जायगी और हमारे जो लोग इतने पिछड़े हुए हैं पिछड़ते ही चले जायेंगे। श्रीमन्, विशेषज्ञों की भी यह राय है कि जहां से कैनाल पास होगी वहां के क्षेत्र में वाटर लेबल ऊंचा हो जाता है और वाटर लेबल जब ऊंचा हो जायगा तो वाटर लौगिंग शुरू हो जायगा। इससे यहां पर ऊसर जमीन हो जाती है। मेरा सुझाव है कि ट्यूबवेलों का लगाना आवश्यक है और जब ट्यूबवेल आपको लगाने हैं तो इसी वक्त क्यों न लगायें? जब तक कैनाल सिस्टम पूरा न हो तब तक सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सके। मेरे ख्याल से ट्यूबवेल की जो योजना हर जिले में लगाने की है, हमारे जिले में भी लागू की जाय। साथ ही साथ में एक सुझाव और आप को देना चाहूंगा। सिंचाई के साधन हमारे जिले में उपलब्ध हैं जैसे झील हैं, छोटे-छोटे तालाब हैं। हमारे वजीरगंज में दो झील हैं यदि इन का ड्रेनेज किया जाय तो सिंचाई हो सकती है।

श्रीमन्, हमारे यहां जो ६,०२,५०० हेक्टेयर भूमि है उसमें ढाई लाख हेक्टेयर में सिर्फ धान बोया जाता है और डेढ़ लाख हेक्टेयर में मक्का बोया जाता है। इस वक्त सूखा पड़ा हुआ है। ट्यूबवेल कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो इस सम्बन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में मैं चाहूंगा कि जो ट्यूबवेल लगाने वाली स्कीम है इसको कम न करें बल्कि जो ट्यूबवेल लगे हैं उनको सुचारु रूप से चलवायें और बाकी ट्यूबवेल लगाने की जो स्कीम है, उसको चालू रखा जाय । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर विवाद समाप्त किया जाता है । विवाद सोमवारी जारी रहेगा ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं उनमें से श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी की सूचना को जो प्रदेश के सम्पूर्ण पशु चिकित्सकों द्वारा ७ अक्तूबर को सामूहिक अवकाश और, हड़ताल तथा १० अक्तूबर से ताला बन्दी की घोषणा के सम्बन्ध में है, मैंने स्वीकार किया है ।

श्री गुलाब सेहरा, डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल, श्री चन्द्र सेन सिंह तथा श्री मोहन सिंह की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के दूसरे वक्तव्य लेने से पहले मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि अधीक्षक, जिला कारागार, आगरा के वायरलेस मैसेज दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७, जो यहां ८ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री गुलाब सेहरा, सदस्य, विधान सभा और श्री कृष्ण वीर सिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा जो आगरा जिले से विधान सभा (कांग्रेस पार्टी) के सदस्य हैं, ७ अक्तूबर, १९७७ को रात्रि के सवा आठ बजे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, आगरा (नगर) के न्यायालय से भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत ट्रायल के लिए जिला कारागार आगरा में दाखिल हुए ।

जिलाधीश, आगरा के वायरलेस मैसेज दिनांक ७ अक्तूबर, १९७७, जो यहां ८ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुआ है, के अनुसार सर्वश्री गुलाब सेहरा तथा डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल, सदस्यगण, विधान सभा को शहर में घोषित दंड प्रक्रिया संहिता धारा १४४ के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के कारण ७–१०–७७ को अपरान्ह में आगरा में गिरफ्तार किया गया । उनके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज किये गये और उन्हें जिला कारागार, आगरा में निरुद्ध किया गया है । दोनों को १० अक्तूबर, १९७७ तक न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड किया गया है ।

चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, जौनपुर के वायरलेस मैसेज दिनांक ७–१०–७७, जो यहां ८–१०–७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री चन्द्र सेन सिंह, सदस्य, विधान सभा, कोतवाली पुलिस द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और उन्हें २१–१०–७७ तक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड किया गया ।

[श्री अध्यक्ष—]

अधीक्षक, जिला कारागार, जौनपुर के वायरलेस मैसेज दिनांक ७–१०–७७, जो यहां ८–१०–७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री चन्द्र सेन सिंह, सदस्य, विधान सभा को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत ७ अक्तूबर, १६७७ को जिला कारागार, जौनपुर में दाखिल किया गया ।

अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली के वायरलेस मैसेज दिनांक ७ अक्तूबर, १६७७, जो यहां ८ अक्तूबर, १६७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा को जिला कारागार, रायबरेली में चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट रायबरेली के आदेश से दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत दिनांक ७ अक्तूबर, १६७७ की शाम को निरुद्ध किया गया ।

जिलाधीश, रायबरेली के वायरलेस मैसेज, दिनांक ७ अक्तूबर, १६७७ जो यहां ८ अक्तूबर, १६७७ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री मोहन सिंह, एम० एल० ए० को दंड प्रक्रिया संहित की धारा १४४ के अन्तर्गत आदेशों का उल्लंघन करने के अपराध में भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, रायबरेली के वायरलेस मैसेज दिनांक ७ अक्तूबर, १६७७, जो यहां ८ अक्तूबर, १६७७ को प्राप्त हुआ के अनुसार श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा को ७ अक्तूबर, १६७७ को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत जिला कारागार, रायबरेली में भेजा गया ।

युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा आकाशवाणी, लखनऊ के प्रसारण के विरुद्ध प्रदर्शन करने पर उनकी गिरफ्तारी तथा लखनऊ जेल में उन्हें उच्च–श्रेणी न दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री लक्ष्मण सिंह (नियोजन राज्य मंत्री)—

मान्यवर, दिनांक ४ अक्तूबर, १६७७ को लगभग १२–५० बजे सर्वश्री धर्मेन्द्र शाहयधर (लखनऊ), सतीश कुमार सिंह (बहराइच), जगदम्बिका पाल (बस्ती), भोला नाथ पान्डे (बलिया), देवेन्द्र कुमार पान्डे (सुल्तानपुर) तथा राम कृष्ण (बस्ती) आकावाणी की बाउन्ड्री के अन्दर स्थित स्टूडियो नं०–१ में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर गये और एनाउन्सर को धमकी दी कि माइक खोलो अन्यथा गोली मार देंगे और जोर–जोर से "इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद", "चरण सिंह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी" आदि नारे लगाने लगे तथा स्टूडियो के प्रसारित होन वाले कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करने लगे । इस सूचना को पाकर आकाशवाणी के अधिकारीगण उन्हें समझा–बुझाकर स्टूडियो से बाहर ले आये किन्तु यह लोग निरन्तर नारे लगाते रहे तथा इन लोगों ने स्टूडियो से पेम्फलेट भी फेंके । स्टूडियो के बाहर आने पर यह व्यक्ति उसके बरामदे में ही रुक गये और वहां से फिर जाने से इंकार कर दिया । आकाशवाणी के अधिकारियों ने इस बीच कन्ट्रोल रूम तथा विधान सभा पुलिस से सम्पर्क स्थापित किया । इस सूचना को पाकर सम्बन्धित पुलिस निरीक्षक मय हमराही कर्मचारीगण तुरन्त आकाशवाणी, लखनऊ पहुंचे । जिस मय उपरोक्त पुलिस कर्मचारी आकाशवाणी, पहुंचे उस समय भी ये व्यक्ति उपरोक्त उल्लिखित नारे लगा रहे थे । आकाशवाणी के अधिकारी के अनुरोध करने पर भी ये व्यक्ति वहां से नहीं निकल रहे थे और उनके कार्य में बाधा डाले हुए थे । आकाशवाणी के अधिकारियों ने यह बताया कि यह लोग आकाशवाणी के कार्य में बाधा डाले हुए हैं और स्टूडियो के अन्दर घुस कर इन लोगों ने टेप भी तोड़ दिया है और एनाउन्सर को गोली मार देने की भी धमकी दिया है । अतः सम्बन्धित पुलिस निरीक्षक ने हमराही कर्मचारियों की सहायता से इन लोगों को गिरफ्तार किया और

कन्ट्रोल रूम की गाड़ी से बिना हथकड़ी लगाये हुए थाना हुसैनगंज भेज दिया गया। १४--०० बजे दिन में थाने पर मुकदमा अपराध संख्या ४७८, धारा १४७/४४८/४५२/३५३/४२७ भा० दं० वि० इन व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। यह कहना सही नहीं है कि अभियुक्तों का कार्य शान्तिपूर्ण था और आकाशवाणी से मिथ्या प्रसार बन्द कराने के लिए था। चूंकि थाना हुसैनगंज पर कोई हवालात नहीं है इस कारण सभी अभियुक्तों को थाना कैन्ट भेजा गया। यह कहना भी सही नहीं है कि अभियुक्तों के न चाहने पर उनके हस्ताक्षर सादे कागज पर पुलिस द्वारा बनवाये गये। इनके हस्ताक्षर रिमान्ड कागजात के आर्डर शीट पर बने हैं। चूंकि थाने पर ये अभियुक्तगण उद्दंडता व उपद्रव कर रहे थे इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें थाने से जेल तक हथकड़ी लगाकर ले जाया गया था जहां तक इन्हें उच्च श्रेणी दिये जाने का प्रश्न है, जिला कारागार अधीक्षक, लखनऊ की आख्या पर आवश्यक विचारोपरान्त इन्हें उच्च श्रेणी दिये जाने हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, नियम ५१ के अन्तर्गत दिया था ....

श्री अध्यक्ष--

इस पर कोई प्रश्न नहीं होगा। केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया था।

श्री श्यामधर मिश्र--

आप प्रोसीडिंग देख लें मान्यवर, नियम ५१ में स्वीकार किया था। (व्यवधान) जैसे अंग्रेज लोग व्यवहार करते थे और जिसको फांसी देनी होती थी (व्यवधान) इस तरह की ज्यादतियां की जा रही हैं कहा जाता है कि असलाह बरामद हुआ। लड़कों को राजनीति में फंसाया जा रहा है।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

कहते हैं मान्यवर, असलाह लेकर गये थे।

श्री श्यामधर मिश्र--

जैसे अंग्रेज व्यवहार करते थे, ट्रांसप्लांट करते थे, उसी तरह कहा जा रहा है कि पिस्टल ले कर आये....

श्री अध्यक्ष--

आपकी मांग थी कि उच्च श्रेणी नहीं दी जा रही है, वह हो गया है...

श्री श्यामधर मिश्र--

नियम ५१ में स्वीकार किया था।...

श्री अध्यक्ष--

आप इसको देख लें केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया था. प्रोसीडिंग में है कि सर्व श्री बिहारी लाल हंस, देवबहादुर सिंह, श्यामधर मिश्र आदि द्वारा युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक ४ अक्तूबर, १९७७ को आकाशवाणी, लखनऊ के मिथ्या प्रसारण के विरुद्ध ...यह केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, ऐसे वक्तव्य को हम नहीं सुनना चाहते हैं। हम इसके विरोध में वाक आउट करते हैं। (श्री श्यामधर मिश्र कांग्रेस दल सहित सदन त्याग कर चले गये) (व्यवधान) (श्री मान सिंह आजाद तथा अन्य सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें। मान सिंह जी यह अत्यन्त अनुचित है।

ग्राम खोपा, थाना राजापुर, जिला बांदा के तीन हरिजनों को गोली मार कर हत्या किये जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

आइटम नं० ११ को मैंने श्री रियासत हुसेन और मुख्य मंत्री जी के अनुरोध पर १२ अक्तूबर के लिए स्थगित कर दिया है।

लखनऊ नगर में दिनांक २६ सितम्बर, १९७७ को दिन में जगदीश चन्द्र बोस चौराहे पर अवध सहकारी बैंक के खजान्ची श्री अविनाश कुमार से डकैतों द्वारा रुपये छीने जाने के संबंध मे नियम ५१ के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

आइटम नं० १२ को भी मुख्य मंत्री जी के अनुरोध पर १३ अक्तूबर, १९७७ के लिए स्थगित कर दिया है।

सदन का समय १० मिनट के लिए बढ़ा दिया गया है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उप कुलपति के निवास पर घेराव तथा आमरण अनशन पर नियम ५१ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य पर अग्रेत्तर स्पष्टीकरण

श्री कालीचरण (शिक्षा मंत्री)—

मान्यवर, आपके आदेश से मैंने सरकार का वक्तव्य कल दे दिया था अब जो आदेश हो वह मैं करूं।

श्री अध्यक्ष—

उस पर जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं वह पूछ सकेंगे। (कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) (व्यवधान) आप लोग बैठें। सब को अवसर मिलेगा।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मेरे प्रश्न पर नियम ५१ में वक्तव्य दिया उसमें शायद मंत्री जी ने जो मैंने सूचना दी थी, वह नहीं पढ़ी, मैंने जो प्रश्न उठाया था उसमें केवल प्रयाग विश्वविद्यालय नहीं बल्कि मेरठ, लखनऊ और कानपुर आदि का भी जिक्र था। उनके विरुद्ध भी भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं, उसको मैंने मंत्री जी को दिया था। मैं उनसे चाहूंगा कि क्या हमारी नियम ५१ में दी गई सूचना को उन्होंने पढ़ने का कष्ट नहीं किया? और यदि किया, तो उसके बारे में वक्तव्य उसमें क्यों नहीं दिया है?

श्री अध्यक्ष--

मैं कार्यवाही देख रहा हूं, जहां तक मुझे स्मरण है, केवल इलाहाबाद के लिए ही मैंने स्वीकार किया था। इसलिए इसी पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप यदि इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो पूछें।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

नियम ५१ में जो स्वीकार किया जाता है, उसमें सम्पूर्ण प्रश्नों, सब विषयों पर वक्तव्य दिया जाता है। इस सूचना में मेरा पहला ही नाम है।

श्री अध्यक्ष--

नाम तो इसमें आपका दिया है। आप प्रश्न पूछें, समय जा रहा है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मैंने नियम ५१ में जो प्रश्न उठाया था, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप थे। मैं पढ़ भी दूं, प्रदेश के लगभग सभी कुलपतियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये जा रहे हैं। दो विश्वविद्यालयों में कुलपति निलम्बित किये जा चुके हैं। मेरठ, लखनऊ, कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर, बुन्देलखण्ड आदि अन्य अनेक कुलपतियों के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच के आदेश दिये जा चुके हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष--

मेरठ का तो इसमें नहीं है। आपने जो दिया है, वह इस प्रकार है :— प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रों, प्रदेश छात्र संघ तथा विश्वविद्यालय में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जो आन्दोलन कर रहे हैं, उसमें कुलपति के निवास के घिराव तथा आमरण अनशन के रूप में उग्र रूप धारण कर लिया। प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों में भी इन्हीं मूल मांगों को लेकर व्यापक असंतोष है। आपात्कालीन स्थिति में कुलपतियों की नियुक्ति पक्षपात एवं भ्रष्टाचार के आधार पर हुई थी, अतः प्रदेश के लगभग सभी कुलपतियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये जा रहे हैं। दो विश्वविद्यालयों के कुलपति निलम्बित किये जा चुके हैं। मेरठ, लखनऊ, कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर तथा बुन्देलखण्ड आदि अन्य अनेक कुलपतियों के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।

प्रदेश छात्रसंघ तथा भ्रष्ट कुलपतियों को अपने पद से हटाने की छात्रों की मांगों का औचित्य सभी स्वीकारते हैं, किन्तु यह तथ्य है कि उनके असंतोष का लाभ हताश राजनैतिक तत्व अपने असामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाकर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिसमें भ्रष्ट कुलपतियों को अस्थायी सरकारी संरक्षण प्राप्त हो जाता है, अतः यह आवश्यक है कि सरकार छात्रों की इन मूल मांगों के विषय में एक स्पष्ट तथा समय बद्ध नीति की घोषणा करे। तो इसमें अन्य का जिक्र तो अवश्य किया गया है भूमिका के रूप में, लेकिन मुख्यतः यह इलाहाबाद के बारे में ही था। इसलिए निर्देश विशेष रूप से मैंने इलाहाबाद के बारे में ही किये थे। अन्यत्र की सूचना बाद में शिक्षा मंत्री जी दे देंगे, लेकिन जैसा उनका वक्तव्य था, यह इलाहाबाद के बारे में है और इसी पर प्रश्न पूछें। कल भी अगर आप मुझे इसकी जानकारी दे देते तो मैं उनसे कह सकता था। इस वास्ते इस समय केवल इलाहाबाद के विषय में ही प्रश्नों को सीमित रखना चाहिये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन, अगर कोई सदस्य नियम ५१ में सूचना देता है, तो अब तक आपके सामने कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया है कि अधूरी सूचना पर उसको स्वीकार किया करें। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि नियम ५१ में आपको कोई सूचना दी जाती है, तो उस पर क्या अधूरी सूचना स्वीकार करेंगे शासन की तरफ से ? यदि नहीं, तो मेरी मांग है कि चाहे इसे स्थगित करना पड़े, लेकिन इसको सुनने के बाद ही आप अपनी व्यवस्था दें, क्योंकि यही परम्परा बाद में सदन की बनेगी।

श्री अध्यक्ष—

यह जो आपने जनरल बात कही, इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं कि जो नियम ५१ के अन्तर्गत मैं स्वीकार करता हूं, जो भी प्रश्न उठाये जाते हैं, उन्हीं का सब का उत्तर होना चाहिये। अब आप देखेंगे, जैसा कि मोहन सिंह जी का है, हो सकता कि इससे थोड़ा सा भ्रम हो गया हो। आपने भी इलाहाबाद के लिए इस पर ध्यान आकर्षित किया है—यह आवश्यक है कि छात्रों की इन मांगों के विषय में एक स्पष्ट घोषणा करें, जिसके सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री तत्काल वक्तव्य दें। तो इसलिए प्रयाग विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हमने बाद में कहा है, प्रश्न विषय कहा है, उसे कुछ भ्रम हो सकता है, मोहन सिंह जी की सूचना केवल इलाहाबाद तक सीमित है, इसलिए इलाहाबाद पर वक्तव्य दिया है। इसमें नियम उल्लंघन का प्रश्न नहीं है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियम ५१ में मेरी सूचना को स्वीकार करना आवश्यक नहीं था। अगर स्वीकार की गयी है तो माननीय शिक्षा मंत्री मेरी सूचना को पढ़ कर वक्तव्य देते। मैंने सारे प्रदेश में व्याप्त अनुशासनहीनता की बरफ सारे कुलपतियों की तरफ . . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने जिस रूप में स्वीकार किया, नियम ५१ के अन्तर्गत, आप नियम पढ़ें, उसमें एक निश्चित कोई विषय होना चाहिये। साथ ही एक साथ एक ही प्रश्न उठाया जा सकता है। मैंने इसको इसी रूप में स्वीकार किया क्योंकि इसमें मेरठ और दूसरी जगह को मिला दिया गया है। एक-एक विषय को अलग-अलग लिया जा सकता है। अगर मंत्री जी इस पर वक्तव्य देते कि छात्रों में सम्पूर्ण प्रदेश में असंतोष व्याप्त है, तो यह नियम ५१ की परिधि में नहीं आ सकता। इसलिए मैंने इलाहाबाद तक ही सीमित रखा था। उसी पर उन्होंने वक्तव्य दिया है। यदि यह न होता तो फिर तो नियम ५१ में नहीं नियम ५२ में बहस की गुंजाइश हो सकती थी। नियम ५१ के शब्द आप देखें वह केवल एक विषय तक सीमित है। इसलिए इलाहाबाद तक सीमित रखा। इसमें केवल इलाहाबाद पर प्रश्न किये जायेंगे।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)—

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि गुणात्मक विकास के कारण भी शासन और अनुदान आयोग की ऐसी नीति रही है कि छात्रों का अधिक प्रवेश न किया जाय। इस संदर्भ में मंत्री जी को संज्ञान है कि यू० जी० सी० गुणात्मक विकास के आधार पर जो धन आवंटित करता रहा है आडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि उसका ५० प्रतिशत धन लैप्स होता रहा है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते

हुए क्या मंत्री जी अपनी नीति में ऐसा परिवर्तन करेंगे कि केवल गुणात्मक विकास को आधार न मान कर, परिमाणात्मक विकास को दृष्टि में रखते हुए सीटों में वृद्धि करते हुए जो भी लड़के प्रवेश पाने के इच्छुक हैं, उन सब को प्रवेश देंगे ? और चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान देने की गलत नीति रही है इसलिए लड़कों को तत्काल रिहा कर के शीघ्र ही इस समस्या का सम्यक् समाधान करेंगे ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, जहां तक सम्पूर्ण लड़कों के एक विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रश्न है यह कहीं भी दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं है कि जितने लड़के चाहें सब का प्रवेश ले लिया जाय । यह सम्भव नहीं है । प्रश्न का जहां तक दूसरा पहलू है, आर्थिक अनियमितता का, कर्तव्य पूरा न करने का, उसकी जांच करा कर के उसमें उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सूचना दी थी, उसमें छात्रों के आन्दोलन के सम्बन्ध में जितने कारण हैं, मेरी इच्छा थी कि माननीय मंत्री जी उन सभी को बतायेंगे । उनका जो मांग-पत्र था उसका पूरा ब्यौरा क्या था ? उसे यहां पर रखते लेकिन उन्होंने केवल छात्रों के दाखिले से सम्बन्धित समस्या की चर्चा यहां पर की । २० सितम्बर का जो आन्दोलन है इसकी पृष्ठभूमि लम्बी है और विद्यार्थी आन्दोलन की धमकी दे रहे थे । ४ सितम्बर को वे वाइस चान्सलर से मिले और उन्होंने वाइस चान्सलर को ज्ञापन दिया । मैं चाहूंगा कि वह मांग-पत्र का ज्ञापन जो था उसमें उनकी मांग क्या थी ? और दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर जो अनियमितताएं और भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें हैं, उनका कहना है कि जो डा० तारा चन्द्र के नाम पर जो छात्रावास बना है, उसमें २६ लाख रुपया यू० जी० सी० द्वारा स्वीकृत हुआ था लेकिन बताया जाता है कि ४० लाख रुपया व्यय हुआ है । इसमें वाइस चान्सलर और वहां के जो एकाउन्टेन्ट वगैरह हैं, सभी मिले हुए हैं । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और कोई आयोग गठित करेंगे ?

श्री काली चरण—

मान्यवर, जहां तक छात्रों की मांगों का प्रश्न है केवल छात्र यही नारे लगाते रहे कि हमारी मांग पूरी की जायें । वाइस चान्सलर का कहना है कि लिखित कोई मांग-पत्र उन्होंने नहीं दिया था । जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, माननीय सदस्य विवरण दे दें तो इसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, पहले तो छात्र संख्या अधिक थी उसके बाद घटा दी गयी कहते है कि क्व लिटी बढ़ायेंगे जब छात्रों ने आन्दोलन किया तो अब सरकार कहती है कि पुरानी जो संख्या थी उसे लायेंगे । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इतने दिनों तक हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी रही ?

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं मानते हैं कि १८२१ जो पहले संख्या थी वह कर दिया । बाइलोजी में विशेष सेक्शन खोलने का आदेश दे दिया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

सरकार ने विद्यार्थियों को आन्दोलन करने का मौका क्यों दिया ? आप पहले ही खतम करवा देते ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो विश्वविद्यालय क काम था कि वह मंत्री जी की नोटिस में लाते । जब उनको नोटिस में आया तब किया ।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद जिले के भरवारी स्थान पर एक डिग्री कालेज है, वहां के अध्यापकों ने शिकायत की कि उन्हें पढ़ने के लिए लड़के नहीं मिलते हैं । उनके यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कमी है । क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि ग्रामीण अंचल में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे पैदा नहीं होता है ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

छात्रों की जो मांगें थीं, उनमें एक मांग यह भी थी कि उनकी फीस में कमी की जाये । राज्य सरकार ने आपातकाल में जो फीस बढ़ायी थी, उसके कमी का कारण भी एक था ।

श्री अध्यक्ष—

५ मिनट का समय और बढ़ाया जाता है ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार उनकी फीस में कमी करने का कोई निर्देश देगी और जो विद्यार्थी इस समय जेल में बन्द हैं उनको सुपीरियर क्लास देने की व्यवस्था की जायेगी ? मेरी तो इच्छा यह है कि क्या उनको तत्काल रिहा करने पर विचार किया जायेगा ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, जहां तक फीस के घटाने का या बढ़ाने का प्रश्न है, शासन ने आदेश दे दिया है कि आपातकाल के पूर्व जो फीस थी, और जो आपातकाल में बढ़ा दी गयी थी, वह पुनः आपातकाल के पूर्व की स्थिति में ला दी जाये ।

अब रह गई लड़कों के जेल में रहने की बात तो उन्होंने चूंकि अमन-चैन की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया था । जिन्होंने तोड़-फोड़ की कार्यवाही प्रारंभ की थी तो जिलाधिकारी ने उन्हीं छात्रों को गिरफ्तार किया है । जितने छात्र गिरफ्तार हुए हैं उनमें केवल २५ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं, और शेष बाहरी छात्र हैं । तो यह नहीं कहा जा सकता कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यह समस्या रही है, प्रशासनिक दृष्टि से जो उचित होगा, वही कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छात्रों की मांगों के संबंध में शासन के बीच कोई सद्भावना पूर्ण बातचीत कराने का प्रयास किया जा रहा है ? दूसरा प्रश्न यह है मान्यवर, कि विश्वविद्यालय जो अभी तक बंद है, उसको कब तक खोला जायेगा ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, छात्रों की एक मांग केवल यह थी कि आपातकाल के पूर्व जो सीटों की संख्या थी और आपातकाल में घटा दी गई, वह अब पुनः आपातकाल के पूर्व की स्थिति में ला दी गई है ।

माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के संबंध में मैं निवेदन कर दूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहयुक्त विद्यालयों में ७०० अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था कर दी गई है । शासन से जहां तक विचारविमर्श का सवाल है, तो जब भी छात्रों की कोई मांग शासन के समक्ष आएगी, तो शासन सदैव उस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने के लिए तत्पर रहेगा ।

माननीय सदस्य ने विश्वविद्यालय को पुनः खोलने के विषय में जो पूछा है तो मैं सूचना देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय दशहरा और दीपावली की छुट्टियों के बाद पुनः खोल दिया जायेगा ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो छात्र बंद हैं, वे जाप्ताफौजदारी की किस धारा के तहत बंद हैं ? और उनको छोड़ने के आदेश कब दिये जायेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, धारा के बारे में तो सूचना की आवश्यकता है । वैसे मैं यह बता दूं कि छात्रों को शीशा तोड़ने, टेलीफोन के तार काटने तथा कुलपति और प्राध्यापकों का घेराव करने से संबंधित बातों के कारण गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी की धारा के संबंध में मैं माननीय सदस्य को बाद में सूचना दे दूंगा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने दिन विश्वविद्यालय बंद रहा है, क्या उन दिनों की फीस छात्रों को वापस की जायेगी क्योंकि विश्वविद्यालय को कुलपति की तरफ से बंद किया गया था ?

श्री अध्यक्ष--

इससे यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जब श्रम मंत्री, श्री गणेश दत्त बाजपेयी और श्री सत्य प्रकाश मालवीय हिन्द मजदूर पंचायत के अधिवेशन का उद्घाटन करन इलाहाबाद गये थे तो

[श्री हरिकेवल प्रसाद --]

छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर उनका घेराव किया था और उन्हें एक मांग पत्र भी दिया था। और उसी समय उन्हें बिना टिकट का यात्री बता कर गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं। दिनांक १० अक्तूबर, १९७७ को पुनः प्रातः ११ बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर सोमवार, १० अक्तूबर, १९७७ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

८ अक्तूबर, १९७७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०--४९ वि० सभा--१-३-७८--८४०--(पी० डी०)।